खण्ड–7, अंक–3
मंगलवार, 26 अग्रहायण, शक संवत् 1924
(17 दिसम्बर, 2002)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(प्रथम विधान सभा)
(तृतीय सत्र, 2002)

(खण्ड 7 में 4 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2003

मूल्य :

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	"क"-"ख"
प्रश्नोत्तर	1-49
उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों के मुकदमे वापस न लिए जाने के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना पर चर्चा की मांग	49-57
दिनांक 13-12-2002 को भा0ज0पा0 कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज पर सरकार द्वारा संतोषजनक उत्तर न मिलने पर, नियम 311 में लिए जाने की मांग	57-61
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रमों के निर्धारण का प्रस्ताव ...	61-63
उत्तरांचल विश्वविद्यालयों में विधान सभा सदस्यों को नामित करने संबंधी प्रस्ताव (स्वीकृत)	63-64
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (द्वितीय उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2002 (पारित) ...	64-65
नियम 300, 301 एवं 56 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं (अस्वीकृत) ...	65
उत्तरांचल आयुर्विज्ञान परिषद् विधेयक, 2002—(पारित)	66-85
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) विधेयक, 2002 (पारित)	85-88
भारतीय स्टाम्प (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2002—(पारित) ...	88-90
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	91

उपस्थिति

1—श्री अजय भट्ट
2—श्री अनिल नौटियाल
3—"डॉ0" अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4—श्रीमती अमृता रावत
5—श्रीमती आशा देवी
6—(डॉ0) श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
7—श्री उम्मेद सिंह माजिला
8—श्री काशी सिंह ऐरी
9—श्री किशोर उपाध्याय
10—श्री कैलाश शर्मा
11—श्री कौल दास
12—श्री गगन सिंह
13—श्री गणेश प्रसाद गोदियाल
14—श्री गोपाल सिंह
15—श्री चन्द्रशेखर
16—श्री जोत सिंह
17—श्री तसलीम अहमद
18—श्री तिलक राज बेहड़
19—श्री तेजपाल सिंह रावत
20—श्री दिनेश अग्रवाल
21—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी
22—श्री नव प्रभात
23—श्री नारायण पाल
24—श्री नारायण राम आर्य
25—श्री नारायण सिंह जंतवाल
26—श्री प्रकाश पंत
27—कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
28—"डॉ0" प्रताप बिष्ट
29—श्री प्रदीप टम्टा
30—श्री प्रीतम सिंह
31—श्री प्रीतम सिंह पंवार
32—श्री प्रेमानन्द महाजन
33—श्री फूल सिंह बिष्ट
34—श्री बलबीर सिंह नेगी
35—श्री बिजय पाल सिंह सजवाण
36—श्री बिशन सिंह चुफाल
37—श्री भगत सिंह कोश्यारी
38—श्री मदन कौशिक
39—श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
40—श्री महेन्द्र भट्ट
41—श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)
42—श्री मातबर सिंह कण्डारी
43—श्री मालचन्द
44—चौधरी यशवीर सिंह
45—श्री रणजीत सिंह
46—श्री राम प्रसाद टम्टा
47—श्रीमती विजय बड़थ्वाल
48—श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी
49—श्री शूरवीर सिंह
50—"डॉ0" शैलेन्द्र मोहन सिंघल

''ख''

51—श्री शहजाद

52—श्री साधू राम

53—श्री सुबोध उनियाल

54—श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल

55—श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी

56—''डॉ0'' हरक सिंह रावत

57—श्री हरबंस कपूर

58—श्री हरभजन सिंह चीमा

59—श्री हरिदास

60—श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल

61—श्री हीरा सिंह बिष्ट

62—श्री हेमेश खर्कवाल

मंगलवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2002 ई0

(विधान सभा की बैठक सभामण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई)

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

जनपद पौड़ी गढ़वाल के उञ्चाकोट पेयजल पम्पिंग योजना

* 1–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत उञ्चाकोट पेयजल पम्पिंग योजना पर कितना धन खर्च हुआ है ?

क्या यह सत्य है कि गंगा नदी पर बना इनटेक वैल का उपयोग नहीं किया जा रहा है तथा योजना के अन्तर्गत जिन गांवों को लिया गया था क्या सभी में जलापूर्ति हो रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

पेयजल मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

उञ्चाकोट पेयजल पम्पिंग पेयजल योजना में माह नवम्बर, 2002 तक कुल रुपये 178.15 लाख व्यय हुए हैं।

गंगा नदी पर बने इनटेक वैल का उपयोग किया जा रहा है तथा योजना में सम्मिलित सभी ग्रामों में जलापूर्ति हो रही है।

उपरोक्तानुसार।

पॉलिथीन के प्रयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध

* 2–श्री हरबंस कपूर एवं श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में पॉलिथीन के प्रयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नव प्रभात)–

जी नहीं।

सभी प्रकार के पॉलिथीन के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाना वर्तमान में व्यवहारिक नहीं है, पॉलिथीन के प्रयोग पर नियंत्रण के सम्बन्ध में पुनःचक्रित प्लास्टिक विनिर्माण और उपयोग नियम, 1999 एवं उ0 प्र0 प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (उपयोग व निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2000 के प्राविधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है।

* 3–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

(10 वें सोम0 के तारा0 1 में स्थानान्तरित)

नैनीताल शहर में वाहनों के लिये बल्दियाखान–खूर्पाताल बाईपास के निर्माण की योजना

*4–श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या, लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नैनीताल शहर में वाहनों के बढ़ते दबाव के कारण प्रसिद्ध नैनीझील के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है ?

यदि हां, तो क्या सरकार वाहनों के दबाव को कम करने के लिए बल्दियाखान–खूर्पाताल बाईपास का निर्माण करने पर विचार कर रही है ?

यदि नहीं तो क्यों ?

लोक निर्माण मंत्री [डा0 (श्रीमती) इन्दिरा ह्रदयेश]–

जी हां। वाहनों का बढ़ता दबाव भी आंशिक रूप से एक कारण है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मेगाटेक कम्पनी की तकनीकी क्वालिटी एवं इसके चयन का आधार

*5–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जो कार्य मेगाटेक कम्पनी को दिये गये हैं क्या उनके पास तकनीकी क्वालिटी, टी0एन0पी0 क्षमता है ?

उनके चयन का आधार क्या है ?

क्या मेगाटेक कम्पनी का आँकलन किया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

सुरेन्द्र सिंह नेगी–

पूर्ण तकनीकी क्षमता है। निर्माण कार्य मेगाटेक कम्पनी द्वारा नहीं किया जाना है अतः निर्माण सम्बन्धी टी0एन0पी0 का औचित्य नहीं है।

समाचार माध्यमों के द्वारा ओपन विडिंग के आधार पर।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में एन0 सी0 पी0 सी0 के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति के लिए तोक को सम्मिलित करने की मांग

*6–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में एन0 सी0 पी0 सी0 के अन्तर्गत जो तोक सम्मिलित नहीं हैं, क्या सरकार की उन तोकों को पेयजल आपूर्ति करने की कोई योजना है ?

यदि हां, तो योजना कब तक लागू हो जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

वर्ष 1991 में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन द्वारा जो सर्वेक्षण किया गया था, वह मुख्य रूप से एन0 सी0 पी0 सी0 तोक (बस्तियों) का ही किया गया था। इन बस्तियों में पेयजल वर्ष, 2004 तक उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इनके अतिरिक्त जो बस्तियां (तोक) समय–समय पर पेयजल योजना के निर्माण के समय प्रकाश में आ रही हैं, उनको भी योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया जा रहा है। ऐसे तोकों के लिए पेयजल आपूर्ति की अलग से कोई योजना नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

* 7–श्री मदन कौशिक–

(प्रथम बुध0 के तारा0 10 में स्था0)

केदारनाथ धार्मिक स्थलों के लिए पेयजल योजना

* 8–श्रीमती आशा नौटियाल–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि केदारनाथ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्रसिद्ध धार्मिक स्थल केदारनाथ, मद्महेश्वर, तुंगनाथ एवं कार्तिक स्वामी हेतु कोई पेयजल व्यवस्था सुव्यवस्थित करने की कोई कार्य योजना है ?

यदि, हां तो कब तक प्रस्तावित योजना पर कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

केदारनाथ, विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्रसिद्ध तीर्थस्थल केदारनाथ, मद्महेश्वर में क्रमशः केदारनाथ पेयजल योजना तथा मद्महेश्वर पेयजल योजना से आंशिक जलापूर्ति कराई जा रही है। तुंगनाथ में ग्लेशियर के कारण योजना पूर्णतः क्षतिग्रस्त है, जिसके जीर्णोद्धार हेतु धन स्वीकृत किया जा चुका है। जीर्णोद्धार की कार्यवाही शीघ्र आरम्भ की जा रही है। कार्तिक स्वामी मंदिर पहाड़ की चोटी पर स्थित है, इस मंदिर के नजदीक पानी का कोई स्रोत उपलब्ध नहीं है, यहां के लिए वर्तमान में विभाग द्वारा पेयजल की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उत्तरांचल में पत्रकारों को प्रदेश सरकार द्वारा देय सुविधा

* 9–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या सूचना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में कितने पत्रकारों को प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारों को देय सुविधायें प्रदान की गयी हैं ?

क्या वर्तमान में पत्रकारों द्वारा इस सुविधा हेतु आवेदन किये गये हैं ? क्या सरकार ने इस दिशा में कोई निर्देश बनाये हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

राज्य गठन के उपरान्त श्रमजीवी पत्रकारों को देय सुविधाओं यथा–पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना, पत्रकार बीमा योजना, पत्रकारों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति सुविधा, प्रेस क्लबों की स्थापना आदि को सुलभ कराने हेतु सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। पत्रकार कल्याण कोष एवं प्रेस क्लब की स्थापना योजनाओं को आरम्भ किये जाने हेतु धनराशि का प्राविधान भी इसी वित्तीय वर्ष में किया जा चुका है। इन योजनाओं को पत्रकारों के सहयोग व परामर्श से सफलतापूर्वक चलाये जाने हेतु सभी मीडिया प्रतिनिधियों के सुझाव प्राप्त किये गये हैं।

इन योजनाओं के संचालन हेतु नियमावलियां तैयार की जा रही हैं। पत्रकारों व मीडिया प्रतिनिधियों के सुझाव इस संदर्भ में प्राप्त कर लिए गये हैं। नियमावलियों के अन्तर्गत ही प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार विचार किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रावण मास में काँवड़ियों के लिए वैकल्पिक मार्ग पर विचार

* 10–काजी निजामुद्दीन–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्रावण मास में काँवड़ियों के लिए सरकार हरिद्वार–दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग (58) के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग बनाये जाने पर विचार कर रही है ?

यदि हां, तो वह वैकल्पिक मार्ग क्या होगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

जी हां।

भगवानपुर से पिरान कलियर प्रस्तावित है।

प्रश्न ही नही उठता।

उत्तरकाशी के काश्तकारों / उद्यानपतियों को उचित मूल्य पर काष्ठ पेटियां या वैकल्पिक व्यवस्था

* 11–श्री मालचन्द–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि जनपद उत्तरकाशी के काश्तकारों / उद्यानपतियों को गत्ते की पेटियों के प्रयोग से नुकसान उठाना पड़ रहा है ?

यदि हां, तो क्या सरकार काश्तकारों एवं उद्यानपतियों को वन निगम या किसी अन्य संस्था द्वारा उचित मूल्य पर काष्ठ पेटियाँ उपलब्ध कराये जाने अथवा अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार करेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

गत्ते की पेटी का प्रयोग करने की बाध्यता के सम्बन्ध में वन विभाग द्वारा कोई निर्देश नहीं दिये गये हैं।

उत्तरांचल वन विकास निगम द्वारा काष्ठ का विपणन गिल्टे/स्लेस के रूप में भी किया जाता है, काश्तकार/उद्यानपति उसका उपयोग फल पेटी बनाने के लिए कर सकते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून बनाने की मांग

* 12–"डॉ0" शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार जीव अनाशित कूड़ा–कचरा निवारण हेतु क्या कोई कानून बनाने पर विचार कर रही है ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (उपयोग व निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2000, उ0 प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के प्राविधानों के तहत उत्तरांचल राज्य में भी लागू है।

देहरादून में रिलायन्स टेलीनेट द्वारा टेलीफोन लाईन बिछाने पर रोड कटिंग विषयक

* 13–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद देहरादून में रिलायन्स टेलीनेट द्वारा टेलीफोन लाईन बिछाने के लिए जो रोड कटिंग की जा रही है, उसकी विभाग से अनुमति ली गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

यदि हां, तो विभाग को किस हिसाब से उसका भुगतान किया जा रहा है ?

डा0 (श्रीमती) इंदिरा हृदयेश–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

कच्चा रोड कटिंग	रु0 250.00 प्रति वर्ग मीटर।
वाटर बाउण्ड मैकेडम	रु0 450.00 प्रति वर्ग मीटर।
मार्ग की सतह की कटिंग बी0एम0/एस0डी0सी0	रु0 1350.00 प्रति वर्ग मीटर।

कुमाऊँ मण्डल को देहरादून से जोड़ने हेतु सीधी सड़क निर्माण योजना

* 14–श्री गोपाल सिंह राणा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि कुमाऊँ मण्डल को उत्तरांचल की राजधानी देहरादून से जोड़ने हेतु उत्तरांचल की सीमा के अन्दर सीधे सड़क निर्माण की योजना है ?

यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

जी हां।

प्रस्तावित मार्ग के संरेखण पर पड़ने वाले आरक्षित वन भूमि के विधिवत् हस्तान्तरण के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

द्वितीय सत्र 2002 के प्रथम मंगलवार को स्थगित अतारांकित प्रश्न

निम्बूवाला कौलागढ़ में घटिया जल वितरण पाइप लाइन का बदलना

1–श्री हरबंस कपूर–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि निम्बूवाला, कौलागढ़ में उ0 प्र0 जल निगम द्वारा निर्मित जलाशय की जल वितरण पाइप लाइन निर्धारित मानकों के अनुरूप न होने के कारण वितरण हेतु उपलब्ध पेयजल का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है ?

यदि हां, तो क्या मंत्री जी वर्तमान में डाली गयी पाईप लाइन के स्थान पर दूसरी पाईप लाईन डालेंगे और पूर्व में डाली गयी घटिया पाइप लाईन के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नही, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी नहीं, निम्बूवाला, कौलागढ़ ग्राम समूह पेयजल योजना में निर्मित जलाशय से जल वितरण प्रणाली में प्रयुक्त पाइप लाइन में से केवल 1152 मीटर पी0 वी0 सी0 पाइप निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये गये। कमीशनिंग/टेस्टिंग के समय कुछ स्थानों पर लीकेज पाये गये, इन स्थानों पर पाइप को सही मानकों के पाइप में बदल दिया गया है। परिणामस्वरूप वितरण प्रणाली पूर्ण रूप से कार्य कर रही है। इस योजना से वर्तमान में जनता को पेयजल प्राप्त हो रहा है।

यह क्षेत्र चूंकि अब नगर निगम देहरादून में सम्मिलित हो जाने के कारण जलापूर्ति के मानकों में परिवर्तन हो गया है। अतः अब नगरीय क्षेत्र के लिए निर्धारित मानक के अनुसार जलापूर्ति करने हेतु योजना का पुनर्गठन किया जाना होगा, जिसमें उक्त 1152 मीटर सबस्टेन्डर्ड पाइप को बदला जाना भी शामिल रहेगा। घटिया पाइप के प्रयोग के लिए विभागीय जांच के आधार पर कोई कर्मचारी/अधिकारी दोषी नहीं पाये गये, बल्कि

आपूर्तिकर्ता फर्म मैसर्स एम0 के0 विनायल प्रा0 लि0 उन्नाव को दोषी पाया गया है। इस फर्म के विरुद्ध पुलिस थाना डालनवाला देहरादून में प्रथम सूचना रिपोर्ट 25-8-98 को दर्ज की गयी थी तथा फर्म के लम्बित भुगतानों को रोक दिया गया और अनुबन्ध के विरुद्ध फर्म की जमानती राशि बैंक से इनकैश कराने पर उक्त फर्म द्वारा सिविल जज उन्नाव के कोर्ट में एक सिविल सूट संख्या-83/99 दायर किया गया है, जो न्यायालय के विचाराधीन है, तथा सुनवाई हेतु अगली तिथि 18-1-2003 नियत है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

मंत्री आवासों, मुख्यमंत्री आवास तथा सचिव आवासों में साज-सज्जा का अनुमानित व्यय

2-श्री प्रकाश पंत-

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रथम विधान सभा के गठन के पश्चात् मंत्री आवासों, मुख्यमंत्री आवास तथा सचिव आवासों में विभिन्न मदों में कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

क्या सुसज्जित आवासों में वर्तमान में भी पुनर्रक्षण तथा सज्जा का कार्य चल रहा है ?

यदि हां, तो इन कार्यों का अनुमानित व्यय कितना है ?

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश-

सिविल कार्यों हेतु रु0 22.36 लाख, विद्युत अनुरक्षण कार्यों हेतु रु0 5.20 लाख तथा साज-सज्जा हेतु रुपया 21.23 लाख अर्थात कुल रु0 48.79 लाख व्यय अनुमानित है।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

ऋषिकेश-बद्रीनाथ पैदल मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करने पर विचार

1-श्रीमती विजय बड़थ्वाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ऋषिकेश-बद्रीनाथ पैदल मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित किये जाने पर सरकार विचार करेगी ?

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश-

जी नहीं, क्योंकि ऋषिकेश से बद्रीनाथ के लिए मोटर मार्ग पूर्व में ही उपलब्ध है

उत्तरकाशी में भवान-नगुण मोटर मार्ग (टिहरी-उत्तरकाशी) का निर्माण पूर्ण करने की कार्यवाही

2-श्री प्रीतम सिंह पंवार-

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद उत्तरकाशी में अधूरे पड़े भवान-नगुण मोटर मार्ग (टिहरी-उत्तरकाशी) का निर्माण पूर्ण करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

डा० (श्रीमती) इन्दिरा ह्रदयेश–

यह हल्का वाहन मार्ग के रूप में भवान की ओर से 16 कि०मी० तथा नगुण की ओर से 05 कि०मी० यातायात हेतु उपलब्ध है।

शासन की वर्तमान नीति हल्का वाहन मार्ग निर्माण की नहीं है। अवशेष मार्ग को मोटर मार्ग के रूप में बनाये जाने हेतु वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर विचार किया जायेगा।

उत्तरांचल राज्य में सम्पूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना का सुचारु रूप से चलना

3–श्री मदन कौशिक–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सम्पूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना उत्तरांचल राज्य में सुचारू रूप से चल रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

पौड़ी गढ़वाल के सन्तूधार–पाबौं मुख्य मोटर मार्ग पर मटेलना–सगोड़ा मार्ग के गलत निर्माण पर अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

4–श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड एकेश्वर के अन्तर्गत सन्तूधार–पाबौं मुख्य मोटर मार्ग पर मटेलना के पुल से पिलखेरा–मैंणा–सगोड़ा होते हुए ईड़ाखाल तक तीन किमी० मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है ?

यदि हां तो क्या उक्त मोटर मार्ग चालू हो गया है ?

क्या यह भी सत्य है कि इस मोटर मार्ग पर कई बैन्ड अनावश्यक रूप से निर्मित कराये गये हैं ?

यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में गलत ढंग से हुए सर्वे/निर्माण के लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० (श्रीमती) इंदिरा ह्रदयेश–

जी हां।

भारी वृष्टि के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया है जिसे खोलने का प्रयास किया जा रहा है।

ग्राम मटियाना से पिलखेरा तक की वर्टिकल ऊँचाई 130 मीटर है तथा दोनों ग्रामों के बीच हारिजेन्टल लगभग 1.25 कि०मी० है। बिना हेयरपिन बैण्ड दिये मटियाना से पिलखेरा तक के मार्ग का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं था। अतः मार्ग के निर्माण में कोई अनावश्यक बैण्ड नहीं दिया गया है तथा निर्माण कार्य स्वीकृत संरेखण के अनुसार ही किया गया है।

मार्ग निर्माण स्वीकृत संरेखण, विभागीय विशिष्टियों एवं स्थानीय परिस्थितियों के मध्यनजर किया गया है। अतः कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में रौन्तल अदनी, भरगांव जसपुर को मास्टर प्लान में सम्मिलित किया जाना

5–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मास्टर प्लान में, जनपद उत्तरकाशी के रौन्तल अदनी, भरगांव, जसपुर को सम्मिलित किया गया ?

यदि नहीं, तो क्या मास्टर प्लान में संशोधन किया जायेगा ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

इंगित गांवों हेतु मार्ग लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्गों के अन्तर्गत पूर्व ही स्वीकृत/निर्माणाधीन है। अतः योजना की गाइड लाइन के अनुसार ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रस्तावित किये जाने के पात्र नहीं हैं।

विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के ग्राम माला कोटा तथा तल्ला ढांगू आदि गांवों में पेयजल पम्पिंग योजना

6–श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

क्या पेयजल मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल के ग्राम माला, कोटा तथा तल्ला ढांगू के ग्राम कढ़डबड़ा एवं मल्ला ढांगू में पेयजल का नितान्त अभाव है ?

क्या सरकार इन गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कोई पम्पिंग पेयजल योजना बनाये जाने पर विचार कर रही है ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हां, इन ग्रामों के लिए उपयुक्त गुरुत्व स्रोत उपलब्ध न होने के कारण कोई पेयजल योजना कार्यान्वित नहीं है। स्थानीय स्रोतों से ही ग्रामीण पेयजल प्राप्त कर रहे हैं।

जी हां, ग्राम कोटा, माला के लिए हिवल नदी से कोटा माला पम्पिंग पेयजल योजना तथा तल्ला ढांगू कड़डबड़ा एवं मल्ला ढांगू के लिए नयार नदी से पम्पिंग पेयजल योजना एवं विकल्प के तौर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग तथा स्थानीय श्रोतों से सोलर पम्प द्वारा पम्पिंग योजनाओं की सम्भावनाओं पर विचार किया जा रहा है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

गंगा नदी पर बालावाली के पुराने रेल पुल को मोटर मार्ग हेतु अधिग्रहण करना

7—कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि बालावाली के गंगा नदी के पुराने रेल पुल को शासन द्वारा अधिग्रहण किये जाने की कोई कार्यवाही की जा रही है ?

यदि हां, तो इसका उपयोग मोटर मार्ग का निर्माण तथा राष्ट्रीय राजमार्ग में सम्मिलित कराने का नियोजन शासन द्वारा तैयार किया गया है ?

यदि हां, तो कब यह कार्य पूर्ण हो सकेगा ?

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश—

जी हां।

जी हां

भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों से स्वीकृति/सहमति प्राप्त होने के उपरान्त।

लक्सर नगर क्षेत्र हेतु पेयजल टंकी एवं अन्य उपकरण लगाने की योजना

8—कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"—

क्या पेयजल मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के लक्सर नगर क्षेत्र हेतु द्वितीय चरण पेयजल योजना के अन्तर्गत पानी की टंकी एवं अन्य उपकरण लगाने की शासन की कोई योजना है ?

यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

जी हां।

जनपद हरिद्वार के लक्सर नगर क्षेत्र हेतु द्वितीय चरण पेयजल योजना के अन्तर्गत नलकूप, अवर जलाशय पाईप लाईन, इत्यादि के कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं। जिसके लिए नागर त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत एक प्राक्कलन रु0 165.85 लाख का बनाकर उत्तरांचल शासन के द्वारा शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय भारत सरकार निर्माण भवन, नई दिल्ली को स्वीकृति हेतु भेजा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्षाकाल में राजमार्गों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने की योजना

9–श्री मदन कौशिक–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि वर्षाकाल में राजमार्गों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

यदि हां, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगी कि इस वर्ष वर्षा से कितने राजमार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं ?

क्या उनकी मरम्मत का कार्य हो रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

जी हां।

वर्षाकाल में राजमार्गों के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में राजमार्गों को तुरन्त खोलने हेतु पर्याप्त बुल्डोजरों एवं मरम्मत हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में 8 राज्यमार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल में जल निगम का गठन न होने के कारण

10–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल जल निगम का गठन न होने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार जल निगम का गठन शीघ्र करने जा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

अधिसूचना सं0 2878/नौ–2–(12 अधि0) 2001, दिनांक 22 नवम्बर, 2002 द्वारा दिनांक 07 नवम्बर, 2002 की तिथि से "उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम" गठित हो चुका है।

लागू नहीं।

11–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

(प्रथम बुध0 के अता0–67 में स्था0)

नगरपालिका क्षेत्रों में इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगाने की सरकार की नीति

12–श्री मदन कौशिक–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नगरपालिका क्षेत्रों में इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगाने की सरकार की नीति क्या है ?

क्या इसका पालन किया जा रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

नगरपालिका क्षेत्रों में हैण्ड पम्प लगाने की अलग से कोई नीति निर्धारित नहीं है। स्थानीय आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर हैण्ड पम्प अधिष्ठापन करने की कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

सूचना विभाग में दो चालक एवं दो कम्प्यूटर ऑपरेटरों की संविदा पर नियुक्ति

13–श्री अजय भट्ट–

क्या सूचना मंत्री को ज्ञात है कि हाल ही में सूचना विभाग में दो चालक एवं दो कम्प्यूटर ऑपरेटर विभाग द्वारा संविदा पर रखे गये हैं ?

यदि हां, तो क्या ये नियुक्तियां नियमानुसार हैं ?

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

जी हां।

सूचना निदेशालय में दो चालक एवं दो कम्प्यूटर ऑपरेटर संविदा के आधार पर रखे गये थे।

सूचना निदेशालय के उपयोगार्थ वर्ष 2001–02 में तीन वाहन स्वीकृत किये गये थे। इसके पूर्व सूचना विभाग द्वारा मासिक किराये पर टैक्सियों को लगाया गया था। इन टैक्सियों को कम करने हेतु दो चालक नियमानुसार केवल दो माह की संविदा पर रखे गये थे। इसी प्रकार निदेशालय में कम्प्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध न होने के कारण समाचार–पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करने के उपरान्त तथा निर्धारित चयन प्रक्रिया अपनाने के उपरान्त दो कम्प्यूटर ऑपरेटर को नियमानुसार संविदा पर रखा गया है।

प्रदेश में सूचनाधिकारियों के लिए वाहनों का क्रय एवं पिथौरागढ़ के सूचनाधिकारी द्वारा वाहन का प्रयोग

14–श्री अजय भट्ट–

क्या सूचना मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि प्रदेश में किन–किन जिला सूचनाधिकारियों के लिए वाहन क्रय किये गये हैं ?

क्या सूचना अधिकारी, पिथौरागढ़ के लिए भी कोई वाहन क्रय किया गया है ? यदि हां, तो उस वाहन का प्रयोग कहां किया जा रहा है।

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

प्रदेश में अल्मोड़ा, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ में 08 सूचना अधिकारियों के लिए वाहन उपलब्ध हैं।

उपरोक्त वाहनों में से जनपद ऊधमसिंह नगर एवं पिथौरागढ़ के जिला सूचना अधिकारियों के उपयोगार्थ गत वित्तीय वर्ष 2001–02 में वाहन क्रय किये गये थे। जनपद पिथौरागढ़ के जिला सूचना कार्यालय में कार्यरत चालक सेवा स्थानान्तरण के आधार पर सचिवालय में सम्बद्ध हो चुके हैं एवं जनपद पौड़ी में वाहन उपलब्ध नहीं था। अतः अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत यह वाहन, सीमित अवधि के लिए जिला सूचना कार्यालय, पौड़ी से सम्बद्ध किया गया है।

रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत रा0 इ0 का0 गणेशनगर को मोटर मार्ग से जोड़ना

15–श्रीमती आशा नौटियाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत रा0 इ0 का0 गणेशनगर को मोटर मार्ग से जोड़ने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हां, तो कब तक उक्त विद्यालय को मोटर मार्ग से जोड़ दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग की ग्राम सभा गीड़ तिलवाड़ा में ट्राईसेम प्रशिक्षण केन्द्र का सदुपयोग

16–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग की ग्राम सभा गीड़ तिलवाड़ा में ट्राईसेम प्रशिक्षण केन्द्र का सदुपयोग हो रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली के कोट बधाणी खोड के स्वीकृत मोटर मार्ग का निर्माण प्रारम्भ न होना

17–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली के अन्तर्गत कोट बधाणी खोड मोटर मार्ग शासन द्वारा स्वीकृत है ?

यदि हां, तो उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ न होने के क्या कारण हैं ?

उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कार्य कब तक शुरू किया जायेगा ?

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

जी हां

कार्य प्रारम्भ हो गया है तथा 2.75 कि0मी0 तक मार्ग निर्माण हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल वन विकास निगम में संहत वेतनकर्मियों की संख्या एवं उनका नियमितीकरण

18–डा0 नारायण सिंह जंतवाल–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल वन विकास निगम में संहत वेतनमान कर्मियों की संख्या कितनी है और ये कर्मचारी कब से विभाग में कार्यरत हैं ?

क्या सरकार इन कर्मचारियों को नियमित करने पर विचार कर रही है ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

उत्तरांचल वन विकास निगम में संहत वेतनमान में कार्यरत कर्मियों की संख्या 1737 है तथा ये कर्मी 1975 से 1993 के मध्य से कार्यरत हैं।

जी हां।

पदों के स्वीकृत होने पर विनियमितीकरण की कार्यवाही की जायेगी

प्रश्न नहीं उठता है।

उत्तरांचल में वृक्षारोपण हेतु योजना

19–श्री मदन कौशिक–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार ने उत्तरांचल में वृक्षारोपण हेतु कोई योजना बनाई है ?

यदि हां, तो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण की क्या योजना है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

जी हां।

"बहुद्देशीय वृक्षारोपण" ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण की प्रमुख योजना है, इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों के परिवेश एवं क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुरूप विभाग द्वारा निम्न अन्य योजनायें भी वर्तमान में संचालित की जा रही है :–

(1) कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डलों में सिविल सोयम वनों का विकास योजना

(2) राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम

(3) टिहरी बांध जलागम क्षेत्रों में वनीकरण

(4) धारचूला एवं झूलाघाट क्यारकुली जलागम क्षेत्रों में इको टास्क फोर्स द्वारा वनीकरण

(5) रामगंगा व सिन्धु गंगा जलागम क्षेत्र में वनीकरण

(6) विश्व बैंक वानिकी परियोजना

प्रश्न ही नहीं उठता।

उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार वन विभाग में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण

20–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि माननीय उच्चतम न्यायालय में दिनांक 21–02–2002 को वन विभाग में दस वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश दिये थे ?

यदि हां, तो क्या माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को विभाग द्वारा अंगीकृत करा दिया गया है ?

यदि नहीं, तो क्या यह माननीय उच्चतम न्यायालय की अवमानना नहीं है ?

श्री नव प्रभात–

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दस वर्ष या उससे अधिक समय से विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को उनकी दीर्घ सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुए, विनियमित करने पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के आदेश पारित किये गये हैं।

इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही।

प्रश्न नहीं उठता है।

उत्तरकाशी में ज्ञानसू–साल्ड–उपरिकोट के अवशेष मोटर मार्ग का निर्माण/गुणवत्ता पर विचार

21–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद उत्तरकाशी में ज्ञानसू–साल्ड–उपरिकोट मोटर मार्ग का निर्माण स्वीकृत एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप किया गया है ?

उक्त मोटर मार्ग पर अब तक कितना व्यय किया जा चुका है तथा कितने किलोमीटर सड़क निर्माण हो चुका है ?

क्या सरकार अवशेष मोटर मार्ग को शीघ्र पूर्ण कराये जाने पर विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

जी हां।

उक्त मोटर मार्ग के निर्माण कार्य पर अब तक रु0 233.30 लाख का व्यय किया जा चुका है तथा इस मार्ग का निर्माण 12 कि0मी0 में (कि0मी0 9 एवं कि0मी0 10 में पुल के स्लैब कार्य को छोड़कर) पूर्ण किया जा चुका है और यह मार्ग 8.50 कि0मी0 यातायात योग्य बन चुका है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इस मोटर मार्ग के अवशेष कार्य को पूर्ण कराने हेतु नये कार्य के रूप में विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरकाशी में जड़ीदुमका, रनाड़ी, अठाली, जोशियाड़ा हल्का वाहन का जोशियाड़ा तक निर्माण

22—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद उत्तरकाशी में जड़ीदुमका, रनाड़ी, अठाली, जोशियाड़ा हल्का वाहन मोटर मार्ग का कितने किलोमीटर निर्माण किया जा चुका है ?

इस मार्ग पर अब तक कुल कितना व्यय किया जा चुका है ?

उक्त मोटर मार्ग का जोशीयाड़ा तक निर्माण कब तक कर लिया जायेगा।

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश—

यह मार्ग अठाणी तक 7.50 किमी0 निर्मित है।

इस मार्ग पर अब तक रु0 43.48 लाख का व्यय किया जा चुका है।

वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर विचार किया जायेगा।

गंगोत्री–गौमुख पैदल मार्ग में प्रतिवर्ष काँवड़ियों द्वारा भोजपत्र वृक्ष के नुकसान पर कार्यवाही

23—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या वन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि गंगोत्री–गौमुख पैदल मार्ग में एक मात्र वनस्पति भोजपत्र वृक्ष से प्रतिवर्ष काँवड़ियों द्वारा बड़ी मात्रा में डण्डे काटकर ले जाने से भोजपत्र वृक्ष के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है ?

क्या सरकार इस दिशा में कोई कार्यवाही करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात—

काँवड़ियों/यात्रियों द्वारा यात्रा काल में भोजपत्र के वृक्षों को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया जाता है।

यात्रा सीजन के दौरान भोजपत्र वृक्ष प्रजाति की सुरक्षा हेतु कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता है।

मण्डल में संयुक्त विकास आयुक्त के पदों को समाप्त करना

24—डा0 नारायण सिंह जंतवाल—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में विकास कार्यक्रमों के अनुश्रवण एवं अनुसरण हेतु मण्डल में संयुक्त विकास आयुक्त के पदों को समाप्त कर दिया गया है।

यदि हां, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हां।

दिनांक 14–2–2001 को मंत्रि परिषद् की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार संयुक्त विकास आयुक्त कार्यालयों को समाप्त किया गया है।

गुप्तकाशी चोपता गोपेश्वर मोटर मार्ग को सीमा सड़क संगठन में शामिल करने का प्रस्ताव

25–श्रीमती आशा नौटियाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि यात्रा एवं पर्यटन के विकास की दृष्टि से गुप्तकाशी चोपता गोपेश्वर मोटर मार्ग को सीमा सड़क संगठन में शामिल किये जाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है ?

यदि हां, तो कब से उक्त मोटर मार्ग सीमा सड़क संगठन के अधीन कार्य करेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सरकार स्वयं सक्षम है।

चमोली के विकास खण्ड घाट के नन्दप्रयाग वेरासकुण्ड वाहन मार्ग का निर्माण एवं प्रगति

26–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट के अन्तर्गत नन्दप्रयाग वेरासकुण्ड वाहन मार्ग कुल कितने किमी० स्वीकृत है तथा निर्माण कार्य की प्रगति क्या है ?

डा० (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

नन्द प्रयाग–वेरासकुण्ड मार्ग के लिये 01 कि०मी० हल्का वाहन मार्ग तथा 01 कि०मी० मार्ग कुल 02 कि०मी० की स्वीकृति जिला योजना में दो चरणों में प्रदान की गई है। प्रथम कि०मी० पर निर्माण कार्य हेतु वन भूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है।

चमोली के धिरपाक काण्डई मोटर मार्ग में वन भूमि के भुगतान की मांग

27–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद चमोली के धिरपाक काण्डई मोटर मार्ग के कि०मी० 14 से 18 में वन भूमि वृक्षारोपण का कुल कितना भुगतान शेष है तथा यह भुगतान कब तक किया जायेगा ?

डा० (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

वृक्षारोपण हेतु वन विभाग द्वारा रु० 13,78,160.00 की धनराशि की मांग की गई है। जिसे भुगतान करने की कार्यवाही की जा रही है।

चमोली के घिरपाक काण्डई बैरासकुण्ड वाहन मार्ग को पुन.... स्वीकृति प्रदान करना

28–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद चमोली के घिरपाक काण्डई बैरासकुण्ड वाहन मार्ग के 3 एवं 4 कि0मी0 में पुनरीक्षित स्वीकृति विभाग को प्रदान कर दी गयी है ?

यदि हां, तो कब ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

जी हां।

दिनांक 20 अप्रैल, 2002 को।

प्रश्न नहीं उठता।

हरिद्वार के ज्वालापुर में उपरिगामी रेलवे क्रासिंग (ओवर ब्रिज) निर्माण की योजना

29–श्री मदन कौशिक–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि हरिद्वार में ज्वालापुर में उपरिगामी रेलवे क्रासिंग (ओवर ब्रिज) निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

चमोली के गैरसैंण, रोहिड़ा, नागचुलाखाल मोटर मार्ग से प्रभावित गांववासियों को संशोधित दरों से मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में

30–श्री अनिल नौटियाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद चमोली के गैरसैंण विकास खण्ड के अन्तर्गत गैरसैंण, रोहिड़ा, नागचुलाखाल मोटर मार्ग पर धारापानी, हरगढ़ आदि ग्रामवासियों को 1976 से संशोधित दरों पर मुआवजा नहीं मिला है?

यदि हां, तो कब तक उक्त ग्रामवासियों को मुआवजा संशोधित दरों पर दे दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

जी हां।

जुलाई, 2002 में रु० 4.70 लाख की स्वीकृति दी जा चुकी है तथा अवशेष रु० 4.50 लाख की स्वीकृति जारी किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

चमोली के विकास खण्ड गैरसैंण कुनीगाड़, मण्डारीखोल, गोगनातल्ला–मल्ला पाण्डवाखाल में पेयजल योजना के सम्बन्ध में

31–श्री अनिल नौटियाल–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि चमोली जनपद के गैरसैंण विकास खण्ड में कुनीगाड़, मण्डारीखोल, गोगनातल्ला–मल्ला, पाण्डवाखाल के लिए विभाग की कोई पेयजल योजना स्वीकृत है ?

यदि हां, तो इस पर कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जनपद चमोली के विकास खण्ड गैरसैंण में कुनीगाड़, भण्डारीखोल, गोगनातल्ला के लिए पूर्व से ही पेयजल योजनायें निर्मित हैं। मल्ला गोगना में विकास खण्ड द्वारा निर्मित डिग्गी से ग्रामवासियों को पानी प्राप्त हो रहा है। पाण्डवाखाल जनपद अल्मोड़ा में स्थित है तथा वहां निजी श्रोत से पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता है।

उपरोक्तानुसार।

चमोली के कर्णप्रयाग विकास खण्ड के अन्तर्गत गोलडुंगी, सीरी, सलियांणा मोटर मार्ग का नाम अमर शहीद श्री नारायण सिंह नेगी, सलियांणा के नाम पर रखे जाने के संबंध में

32–श्री अनिल नौटियाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के कर्णप्रयाग विकास खण्ड के अन्तर्गत गोलडुंगी, सीरी, सलियांणा मोटर मार्ग का नाम अमर शहीद नारायण सिंह नेगी सलियांणा के नाम पर रखा जाना विचाराधीन है ?

यदि हां, तो इसको कब तक स्वीकृति प्राप्त हो जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं। मार्ग निर्मित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पौड़ीगढ़वाल के यमकेश्वर के अन्तर्गत "स्वर्ण जयन्ती गांव" ढांसी पट्टी तल्ला ढांगू को मुख्य सड़क से जोड़ने की अद्यतन स्थिति

33–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सत्य है कि विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत "स्वर्ण जयन्ती गांव" ढांसी पट्टी तल्ला ढांगू को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए 85 लाख रु0 की लागत से प्रारम्भिक अनुमान तैयार किया गया है ?

यदि हां, इस सम्बन्ध में उद्यतन स्थिति क्या है ?

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

जी हां।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु प्रस्ताव को जिला ग्राम विकास अभिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

हरिद्वार में बिहारीगढ़ से जिला मुख्यालय रोशनाबाद तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में

29–मो0 शहजाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में बिहारीगढ़ से जिला मुख्यालय रोशनाबाद तक सड़क निर्माण किया जायेगा ?

यदि हां, तो कब तक ?

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर किया जायेगा।

सेरा मोख कुण्डी जनपद चमोली विकास खण्ड घाट मोटर मार्ग निर्माण की स्थिति

35–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि सेरा मोख कुण्डी जनपद चमोली विकास खण्ड घाट मोटर मार्ग की प्रगति रिपोर्ट क्या है ?

क्या वर्तमान में यहां निर्माण कार्य चल रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

इस मार्ग के 02 कि0मी0 लम्बाई में पहाड़ कटान एवं 0.750 कि0मी0 लम्बाई में दीवार निर्माण कार्य पूर्ण है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के घाट बाजवगड़ वाहन मार्ग के डामरीकरण के सम्बन्ध में

36–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद चमोली के घाट बाजवगड़ वाहन मार्ग के डामरीकरण हेतु कितने कि०मी० मार्ग जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है ?

क्या उक्त मार्ग का डामरीकरण प्रारम्भ हो गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

1.50 कि०मी० की स्वीकृति प्राप्त है।

कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

कार्य की निविदा दिनांक 26–10–2002 को आमंत्रित की जा चुकी है।

जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट के अन्तर्गत घाट सुतोल–कनोल वाहन मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में

37–महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट के अन्तर्गत घाट सुतोल–कनोल वाहन मार्ग निर्माण हेतु कितने कि०मी० सड़क स्वीकृत है ?

तथा वर्तमान में 15 कि०मी० से आगे की प्रगति क्या है ?

डा० (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

घाट–सुतोल–कनोल हल्का वाहन मार्ग 32 कि०मी० स्वीकृत है।

15 कि०मी० से आगे का कार्य प्रगति में है।

चमोली के विकास खण्ड घाट के अम्बेडकर ग्राम बुरा हेतु मार्ग का निर्माण

37–महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट के अम्बेडकर ग्राम बुरा हेतु कितने मार्ग स्वीकृत है तथा कितने कि०मी० सड़क का निर्माण हो चुका है ?

उक्त मार्ग यातायात हेतु कब तक खोल दिया जायेगा ?

डा० (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

अम्बेडकर ग्राम बुरा को सड़क मार्ग से जोड़ने हेतु 10 कि०मी० लम्बाई के मार्ग की आवश्यकता है। वर्ष 1996–97 में जिला योजना के अन्तर्गत 02 कि०मी० मार्ग तथा 36 मीटर स्पॉन का पुल स्वीकृत था, जो पूर्ण हो चुका है।

मार्ग 02 कि०मी० लम्बाई में यातायात हेतु उपलब्ध है।

चमोली के विकास खण्ड घाट के घाट बाजवगड़ तेलान वाहन मार्ग का निर्माण कार्य रुकने के कारण

39—श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट के घाट, बाजवगड तेलान वाहन मार्ग 8 एवं 9 कि0मी0 में निर्माण कार्य रुकने का क्या कारण है ?

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश—

कार्य प्रगति में है।

जनपद चमोली में कर्णप्रयाग विकास खण्ड के ग्राम कल्याड़ी में पेयजल योजना का कार्य सम्बन्धी विषयक

40—श्री अनिल नौटियाल—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली में कर्णप्रयाग विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम कल्याड़ी में जल निगम द्वारा 1990 में पेयजल के लिए पाइप लाईन बिछाई गई थी ? यदि, हां तो उक्त योजना पर कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

जी हां, जनपद चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग अन्तर्गत ग्राम कल्याणी तल्ली–मल्ली पेयजल योजना जल निगम द्वारा पूर्ण कर दिनांक 02–03–1983 को ग्राम सभा को रख–रखाव हेतु हस्तान्तरित कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली में सुलभ इण्टरनेशनल द्वारा सुलभ शौचालयों का निर्माण

41—श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट—

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली में सुलभ इण्टरनेशनल द्वारा कितने सुलभ शौचालयों का निर्माण किया गया है ?

तथा आगामी वर्ष के लिए कितने प्रस्तावित हैं ?

श्री नव प्रभात—

जनपद चमोली में सुलभ इण्टरनेशनल द्वारा कोई सुलभ शौचालय का निर्माण नहीं किया गया।

आगामी के लिए सुलभ इण्टरनेशनल के माध्यम से कोई भी शौचालय बनाने का प्रस्ताव नहीं है।

चमोली के उडामाडा चोपडा मोटर मार्ग निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि एवं निर्माण कार्य की प्रगति

42—श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के उडामाडा चोपडा मोटर मार्ग निर्माण हेतु कितनी धनराशि इस वर्ष अवमुक्त की गई है ?

तथा निर्माण कार्य की वर्तमान प्रगति रिपोर्ट क्या है ?

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

वित्तीय वर्ष 2002–2003 में कोई धनराशि अभी तक स्वीकृत नहीं की गयी है।

सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो गया है।

चमोली के ग्राम सभा माणखी के अन्तर्गत तोलना में नन्दाकिनी नदी पर झूलापुल के निर्माण की योजना

43–महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट ग्राम सभा माणखी के अन्तर्गत ग्राम तोलना में नन्दाकिनी नदी पर झूलापुल निर्माण की शासन की कोई योजना है ?

क्या सरकार जनहित में उक्त पुल का निर्माण शीघ्र करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

पुल निर्माण का प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

पौड़ी गढ़वाल के काण्डी एवं बैलूसैण को मोटर मार्ग द्वारा ऋषिकेश से जोड़ने के लिए गंगा नदी पर गरुड़ चट्टी–फूलचट्टी नामक स्थानों पर मोटर पुल का निर्माण

44–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर (जिला पौड़ी गढ़वाल) के अन्तर्गत काण्डी एवं बैलूसैण को मोटर मार्ग द्वारा ऋषिकेश से जोड़ने के लिए गंगा नदी पर गरुड़ चट्टी–फूलचट्टी नामक स्थानों पर मोटर मार्ग पुल निर्माण शीघ्र किया जायेगा ?

यदि हां, तो कब तक प्रस्तावित पुल का निर्माण प्रारम्भ होगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग के पाटयूँ–बडेथ पेयजल योजना की स्थिति

45–श्रीमती आशा नौटियाल–

क्या पेयजल मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे, कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत पाटयूँ–बडेथ पेयजल योजना सुचारू रूप से चल रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जनपद रुद्रप्रयाग में पाटयूं व बडेथ दो अलग–अलग पेयजल योजनायें हैं, योजनायें दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त होने के कारण उनसे आंशिक रूप से पेयजल आपूर्ति हो रही है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चमोली में विभाग द्वारा सुलभ शौचालयों के निर्माण की योजना

46–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विभाग द्वारा सुलभ शौचालयों के निर्माण की कोई योजना जनपद चमोली हेतु स्वीकृत है ?

यदि हां, तो कुल कितने शौचालयों का निर्माण किन–किन स्थानों पर किया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

जी नहीं। जनपद चमोली में सुलभ शौचालयों के निर्माण की कोई योजना स्वीकृत नहीं है, बल्कि भारत सरकार से वित्त पोषित कम लागत के व्यक्तिगत शौचालयों की योजना लागू है।

जनपद चमोली में 689 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण प्रस्तावित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

चमोली के नन्दप्रयाग क्षेत्र के अम्बेडकर गांवों को हल्का वाहन मार्ग से जोड़ना

47–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद चमोली की नन्दप्रयाग विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अम्बेडकर गांवों को हल्का वाहन मार्गों से जोड़ने की स्वीकृति वर्ष 1997 में दे दी गयी थी ?

यदि हां, तो निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

अम्बेडकर ग्राम बुरा को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए 10 कि0मी0 लम्बाई के मार्ग की आवश्यकता है। मार्च 1997 में 02 कि0मी0 हल्का वाहन मार्ग तथा 36 मीटर स्पॉन का एक पुल जिला योजना में स्वीकृत किया गया था।

जी हां, 02 कि0मी0 लम्बाई तथा 36 मीटर स्पॉन के सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

चमोली के नन्दप्रयाग क्षेत्र के गांवों में पेयजल आपूर्ति के सम्बन्ध में

48–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के नन्दप्रयाग विधान सभा क्षेत्र के कितने गांवों में पेयजल का अभाव है ?

क्या इन ग्रामों में पेयजल आपूर्ति हेतु सरकार द्वारा कोई योजना बनाई जा रही हैं ? यदि हां तो उसका स्वरूप क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अन्तर्गत कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार नन्दप्रयाग विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी गांव पेयजल की अभावग्रस्त श्रेणी (एन0सी0) में नहीं है। इस क्षेत्र में कुल 152 पेयजल योजनायें अनुरक्षणाधीन हैं जिनमें से 4 योजनायें पूर्ण बन्द हैं तथा 14 योजनायें आंशिक रूप से बन्द हैं।

प्रभावित 4 बन्द तथा 14 आंशिक बन्द पेयजल योजनाओं में से 3 योजनाओं पर मरम्मत कार्य प्रगति पर हैं। एक योजना का जीर्णोद्धार कार्य वर्ष 2003 की जिला योजना में प्रस्तावित है। पांच योजनायें अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हैं जिनके जीर्णोद्धार मरम्मत, दैवीय आपदा मद में धन उपलब्ध होने पर कराया जाना प्रस्तावित है तथा शेष नौ योजनाओं की मरम्मत के कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर आगामी वर्षों में करायें जाने प्रस्तावित हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

49–श्री महेन्द्र सिंह भट्ट–

(दूसरे मंगल के अतारांकित 44 में स्थानान्तरित)

टिहरी गढ़वाल में घनसाली के बूढ़ाकेदार–कोट–बिशन–घण्डियाल सौड तितुरूणा हल्का वाहन मार्ग के निर्माण की जानकारी

50–श्री बलवीर सिंह नेगी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद टिहरी गढ़वाल के लोक निर्माण विभाग अस्थायी खण्ड घनसाली के अन्तर्गत बूढ़ाकेदार–कोट बिशन–घण्डियाल सौड तितुरुणा हल्का वाहन मार्ग निर्माण कब से प्रारम्भ हुआ ?

यह मार्ग अब तक कितने किलोमीटर वाहन चलाने योग्य बन गया है ?

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा ह्रदयेश–

इस हल्के वाहन मार्ग का निर्माण वर्ष 1994 में प्रारम्भ हुआ था।

बूढ़ाकेदार व बेलक के कि0मी0 01 के प्रारम्भ की 700 मी0 लम्बाई में जहां से यह मार्ग प्रारम्भ होता है पर भूमि विवाद है जबकि 9.5 कि0मी0 मार्ग निर्मित किया जा चुका था, बादल फटने के कारण कई जगह से यह मार्ग कई स्थानों पर पुनः क्षतिग्रस्त हो गया है और यातायात हेतु सुलभ नहीं हो पाया है।

टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार बेलक हल्का वाहन मार्ग के निर्माण की स्थिति

51–बलबीर सिंह नेगी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद टिहरी गढ़वाल के लोक निर्माण विभाग अस्थाई खण्ड घनसाली के अन्तर्गत बूढ़ाकेदार बेलक हल्का वाहन मार्ग की स्वीकृति कब हुई ?

क्या यह मार्ग वाहन चलाने लायक हो गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा ह्रदयेश–

यह हल्का वाहन मार्ग मार्च, 1990 में स्वीकृत हुआ था।

मार्ग के प्रारम्भ में 700 मीटर लम्बाई में भूमि–विवाद है। इसके आगे सेतु का निर्माण मार्च, 2002 में पूर्ण कर लिया गया था तथा 6.75 कि0मी0 लम्बाई में मार्ग निर्मित हो चुका था, जो दिनांक 10 अगस्त, 2002 को बूढ़ाकेदार क्षेत्र में बादल फटने से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है।

जनपद टिहरी गढ़वाल में लम्बगांव–कोटालगांव–चमियाला मोटर मार्ग के निर्माण की स्थिति

52–श्री बलवीर सिंह नेगी–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद टिहरी गढ़वाल में लम्बगांव–कोटालगांव–चमियाला मोटर मार्ग का निर्माण कार्य सम्पन्न हो गया है ?

यदि हां, तो कब ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा ह्रदयेश–

मार्ग की कुल लम्बाई 39 कि0मी0 है जिसमें लगभग 32 कि0मी0 मार्ग पूर्ण हो गया है। शेष पर कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

हरिद्वार में लगने वाले मेलों की संख्या एवं दी जाने वाली वित्तीय सहायता

53—श्री मदन कौशिक—

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हरिद्वार में प्रति वर्ष कितने मेलों को वित्तीय सहायता दी जाती है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष में कुल कितने मेले ऐसे लगते हैं जिनमें यात्रियों की संख्या एक लाख या इससे अधिक होती है ?

श्री नव प्रभात—

जनपद हरिद्वार में प्रति 6 एवं 12 वर्ष में पड़ने वाले अर्द्धकुम्भ एवं कुम्भ मेले के अतिरिक्त अन्य किसी भी मेले हेतु शासन से वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है।

प्रतिवर्ष हरिद्वार में 18 मेलों में यात्रियों की संख्या एक लाख या इससे अधिक होती है।

हरिद्वार के काशीपुर, जौगिया मंडी (मंसादेवी मार्ग) में लिफ्ट पेयजल योजना के सम्बन्ध में

54—श्री मदन कौशिक—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि काशीपुर, जौगिया मंडी (मंसादेवी मार्ग) जनपद हरिद्वार में सरकार इसी वित्तीय वर्ष में लिफ्ट पेयजल योजना के निर्माण को पूरा कराने जा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

जी नहीं।

काशीपुर, जौगिया मंडी (मंसादेवी मार्ग) क्षेत्र जोन "ए" भोपतवाला क्षेत्र में पड़ता है। इस जोन की वर्ष 2004 की मांग 8.30 एम0एल0डी0 आंकी गयी है। इस क्षेत्र में वर्तमान में एक नलकूप एवं 5 अन्तः स्रोत कूप निर्मित हैं जिनमें 8.23 एम0एल0डी0 जल प्राप्त हो रहा है। इस जोन में एक सी0डब्लू0आर0 200 कि0ली0 तथा एक अवर जलाशय 270 कि0ली0 का निर्मित है।

जल निगम द्वारा निर्मित तथा जल संस्थान द्वारा अधिग्रहीत पेयजल योजनाओं के रख–रखाव की व्यवस्था

55—श्री अनिल नौटियाल एवं श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जल निगम द्वारा निर्मित तथा जल संस्थान द्वारा अधिग्रहीत की गयी पेयजल योजनाओं के रख–रखाव एवं देखभाल हेतु क्या व्यवस्था की गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जल निगम द्वारा निर्मित तथा जल संस्थान द्वारा अधिग्रहीत पेयजल योजनाओं का रख–रखाव जल संस्थान की निकटवर्ती पेयजल योजनाओं पर पूर्व से तैनात कर्मियों/अंशकालिक कर्मियों से अथवा अनुबन्ध के आधार पर कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

56–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

(दूसरे मंगल के अता०–55 में स्थानान्तरित)

पोखरी विकास खण्ड में पैड़ी कुजासू मोटर मार्ग के निर्माण का रुकना

57–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद चमोली के पोखरी विकास खण्ड के अन्तर्गत शासन द्वारा स्वीकृत 03 कि०मी० पैड़ी कुजासू मोटर मार्ग को उत्तरांचल शासन के शासनादेश दिनांक 29–10–2001 द्वारा हल्का वाहन मार्ग का निर्माण रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

क्या सरकार उक्त मार्ग के निर्माण पर पुनर्विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

जी हां। शासन की नीति के अनुसार हल्का वाहन मार्ग निर्माण नहीं किया जा रहा है।

जी हां। मोटर मार्ग के रूप में।

प्रश्न नहीं उठता।

कर्णप्रयाग गैरसैंण से रामनगर मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने की जानकारी

58–श्री अनिल नौटियाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद चमोली के कर्णप्रयाग गैरसैंण से रामनगर मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने हेतु कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ?

यदि हां, तो कब तक इस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

चम्पावत तथा पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मोटर मार्गों का निर्माण

59—श्री प्रकाश पंत—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चम्पावत तथा जनपद पिथौरागढ़ के कितने मोटर मार्गों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कार्य चल रहा है ?

क्या यह सत्य है कि माह जुलाई, 2002 में किसी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य रोक दिया गया था ?

यदि हां, तो रोकने के क्या कारण हैं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

जनपद चम्पावत में 12 मार्ग एवं जनपद पिथौरागढ़ में 10 मार्ग।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

टिहरी गढ़वाल के विनकखाल कल्डी हल्का वाहन मार्ग के निर्माण की जानकारी

60—श्री बलवीर सिंह नेगी—

क्या लोक निर्माण मंत्री जानकारी देने का कष्ट करेंगी कि जनपद टिहरी गढ़वाल के लोक निर्माण विभाग अस्थायी खण्ड घनसाली के अन्तर्गत विनकखाल कल्डी हल्का वाहन मार्ग अब तक कितने कि0मी0 तक वाहन चलाने योग्य बन चुका है ?

यदि नहीं, तो मार्ग न बनने के कारण क्या हैं ?

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश—

यह मार्ग 03 कि0मी0 तक बन चुका है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

टिहरी गढ़वाल के लम्बगांव कोटालगांव—चमियाला के लम्बित मोटर मार्ग के निर्माण की योजना

61—श्री बलवीर सिंह नेगी—

क्या लोक निर्माण मंत्री जानकारी देने का कष्ट करेंगी कि जनपद टिहरी गढ़वाल के लोक निर्माण विभाग अस्थायी खण्ड घनसाली के अन्तर्गत लम्बगांव—कोटालगांव—चमियाला मोटर मार्ग निर्माण कितने वर्षों से लम्बित है ?

इस मार्ग को पूर्ण रूप से बनाने हेतु सरकार की कोई योजना है ?

यदि हां, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

यह मार्ग अस्थायी खण्ड घनसाली के अन्तर्गत 4 वर्ष से लम्बित है।

जी हां।

अवशेष मार्ग का आंकलन तैयार किया जा रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

टिहरी गढ़वाल के सेन्दुल–पटुड़गांव मोटर मार्ग पर यातायात की जानकारी

62–श्री बलवीर सिंह नेगी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद टिहरी गढ़वाल के लोक निर्माण विभाग अस्थायी खण्ड घनसाली के अन्तर्गत सेन्दुल–पटुड़गांव मोटर मार्ग को कब तक वाहन चलाने लायक बना दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

भवन सम्बन्धी विवाद के निस्तारण एवं वन भूमि के विधिवत् हस्तांतरण के उपरान्त मार्ग पूर्ण कर यातायात हेतु उपलब्ध करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

टिहरी गढ़वाल के छतियारा–खवाड़ा मोटर मार्ग के निर्माण की प्रगति

63–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग अस्थायी खण्ड घनसाली के छतियारा–खवाड़ा निर्माणाधीन मोटर मार्ग की क्या प्रगति है ? तथा इस मार्ग को कब तक वाहन चलाने योग्य बना दिया जायेगा ?

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मार्ग 12 कि0मी0 लम्बाई में स्वीकृत है। कि0मी0 7 व 8 में भूमि के प्रतिकर भुगतान सम्बन्धी विवाद है। शेष मार्ग 12 कि0मी0 तक पूर्ण है तथा वर्तमान में 6 कि0मी0 तक यातायात हेतु खुला है।

उत्तरकाशी के खनेड़ा स्लिप जोन पर नदी का जलस्तर बढ़ने से पुल को खतरे की जानकारी

64–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद उत्तरकाशी के प्रसिद्ध तीर्थ यमुनोत्री के खनेड़ा स्लिप जोन पर बने पुल पर यमुना का जल स्तर बढ़ने से पुल को खतरा हो गया है ?

यात्रा को सुचारू बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

क्या उक्त मार्ग को बदलने की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

ऋषिकेश–धरासू–फूलचट्टी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 94 के कि0मी0 189 में अगस्त, 2001 में खनेड़ा स्थान पर स्लिप आने से कृत्रिम झील बनने से अपस्ट्रीम में बने मोटर सेतु को खतरा उत्पन्न हो गया था।

नदी का जल स्तर कम करने के लिए तल पर आये पत्थरों को तोड़कर एवं मलवे को काटकर नदी की चौड़ाई बढ़ाने का कार्य लगातार किया था। अगस्त, 2002 में भारी वर्षा के कारण यमुना नदी का जल स्तर अत्यधिक बढ़ने से पूर्व में आया मलवा तथा बोल्डर्स बह जाने से कृत्रिम झील समाप्त हो गयी है। अतः अब पुल को कोई खतरा नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नई दिल्ली स्थित उत्तरांचल निवास में पर्वतीय व्यंजनों एवं संस्कृति के प्रदर्शन की व्यवस्था

65–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार नई दिल्ली स्थित उत्तरांचल निवास में पर्वतीय व्यंजन को वैकल्पिक रूप से परोसे जाने तथा पर्वतीय संस्कृति के प्रदर्शन हेतु कोई व्यवस्था करेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

अतिथियों द्वारा मांग किये जाने पर यथासंभव पर्वतीय व्यंजन परोसे जाने के प्रयास किये जायेंगे। उत्तरांचल निवास का विस्तारीकरण एवं पुनर्निर्माण की कार्यवाही शासन के विचाराधीन है। पुनर्निर्माण एवं विस्तारीकरण पूर्ण होने के उपरान्त स्थान उपलब्ध हो जाने पर पर्वतीय संस्कृति के प्रदर्शन हेतु व्यवस्था की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

पिथौरागढ़ के जाख–पुरान क्षेत्र में लिफ्ट पेयजल योजना

66–श्री प्रकाश पंत–

क्या पेयजल मंत्री बतायेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड विण के जाख–पुरान क्षेत्र में गम्भीर पेयजल संकट को देखते हुए क्या सरकार के पास लिफ्ट पेयजल योजना निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है ?

यदि हां, तो क्या निर्माण कार्य इसी वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड विण के अन्तर्गत जाख–पुरान क्षेत्र में गुरुच पेयजल योजना से वर्तमान में जलापूर्ति सुचारू है।

भूकम्प से क्षतिग्रस्त जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली मुख्य भवन के निर्माण के सम्बन्ध में

67–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली का मुख्य भवन भूकम्प से पूर्ण क्षतिग्रस्त हुआ था ?

यदि हां, तो क्या यह सही है कि शासन द्वारा उक्त भवन निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत हुई थी ?

अभी तक उक्त भवन का निर्माण क्यों नहीं हो पाया है ?

क्या सरकार उक्त भवन का निर्माण करवायेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हां।

जी हां।

उत्तरांचल राज्य के सृजन पर स्वीकृत धनराशि फ्रीज हो गई है।

जी हां।

पुनर्आबंटन के प्रस्ताव विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरकाशी के खालसी पेयजल योजना के निर्माण की स्थिति

68–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या पेयजल मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ की खालसी पेयजल योजना पर कुल कितने प्रतिशत कार्य हो चुका है ?

इस योजना की कुल लागत क्या है ?

तथा यह पेयजल योजना कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

योजना के स्रोत पर स्थानीय व्यक्तियों द्वारा विवाद उत्पन्न कर दिये जाने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है।

इस योजना की अनुमानित लागत रु0 76.26 लाख है।

स्रोत विवाद हल करने हेतु स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। विवाद हल होने के उपरान्त ही योजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव होगा।

जनपद उत्तरकाशी में योजनाओं की लागत आदि सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किये जाने के सम्बन्ध में

69—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरकाशी में योजनाओं के क्रियान्वयन, लागत आदि की सूचना सम्बन्धित ग्राम पंचायत, ब्लाक या जिला मुख्यालय के सूचना पट्ट पर अंकित की जाती है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या उक्त सूचनाओं को सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा ?

यदि हां, तो कब से ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायत उत्तरकाशी द्वारा सम्पादित की जाने वाली सभी योजनाओं की लागत आदि का अंकन सार्वजनिक स्थानों, विकास खण्ड मुख्यालय, ग्राम पंचायत में पंचायत भवन मुख्यालयों पर अंकित करने के निर्देश दिये गये हैं तथा परिपालन किया जा रहा है।

किया जा रहा है।

किया जा रहा है।

योजना प्रारम्भ से ही किया जा रहा है।

उत्तरकाशी के बधाणगांव की पेयजल योजना

70—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या पेयजल मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में आंशिक डूब क्षेत्र बधाणगांव की पेयजल योजना पर कुल कितने प्रतिशत कार्य हो चुका है तथा अब तक कुल कितनी राशि का भुगतान विभाग द्वारा किया जा चुका है ? उक्त योजना से ग्रामीणों को कब तक पेयजल सुलभ करवा दिया जायेगा ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में आंशिक डूब क्षेत्र बधाणगांव की पेयजल योजना में 90 % कार्य हो चुका है। योजना पर अभी तक 11.21 लाख रूपये व्यय हो चुके हैं। योजना से ग्रामीणों को पेयजल सुलभ करावा दिया गया है।

प्रदेश में वर्ष 2002—2003 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित मोटर मार्ग एवं उन पर खर्च राशि की जानकारी

71—श्री प्रकाश पंत—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2002—03 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत कितने मोटर मार्गों का निर्माण किया जा रहा है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि भारत सरकार से उक्त निर्माण के सापेक्ष कितनी धनराशि प्राप्त हो चुकी है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

भाग (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 2002–2003 में निर्माणाधीन मोटर मार्ग की संख्या निम्न प्रकार है–

वर्ष 2000–01 में स्वीकृत 69 मार्ग

वर्ष 2001–02 में स्वीकृत 95 मार्ग

कुल 164 मार्ग

अतिरिक्त सूचना :–

वर्ष 2000–01 के स्वीकृत 69 कार्यों में से 21 कार्य माह अगस्त, 2001 में पूर्ण किये गये हैं।

वर्ष 2000–01 के स्वीकृत कार्यों में से 22 आरम्भ किये जा चुके हैं। शेष माह अक्टूबर, 2002 में आरम्भ किये जाने की सम्भावना है।

भाग (ख) भारत सरकार से उक्त निर्माण के सापेक्ष प्राप्त धनराशि निम्न प्रकार है–

वर्ष 2000–01 में स्वीकृत रुपये 60.63 करोड़

वर्ष 2001–02 में स्वीकृत रुपये 70.00 करोड़

कुल रु0 130.63 करोड़

पिथौरागढ़ नगरपालिका परिषद् में सफाई कर्मचारियों हेतु आवास निर्माण की मांग

72–श्री प्रकाश पंत–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ की नगरपालिका परिषद् में सफाई कर्मचारियों द्वारा अपने आवास निर्माण हेतु समय–समय पर मांग उठाई जाती रही है ?

यदि हां, तो क्या सफाई कर्मियों के आवास निर्माण हेतु सरकार परिषद् को निर्देशित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

जी हां।

जी नहीं।

नगरपालिका परिषद् सीमा में पालिका की अपनी भूमि न होने और धनाभाव के कारण सफाई कर्मचारियों के आवासों का निर्माण नहीं हो सका।

पिथौरागढ़ में नगरपालिका द्वारा अतिक्रमण हटाओं अभियान से क्षतिग्रस्त, मोटर मार्गों, लिंक मार्गों व नालियों के निर्माण के सम्बन्ध में

73–श्री प्रकाश पंत–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नगरपालिका परिषद् पिथौरागढ़ में विगत दिनों चलाये गये अतिक्रमण हटाओं अभियान से समस्त मार्ग तथा नालियां क्षतिग्रस्त हो गयी है ?

यदि हां, तो क्या क्षतिग्रस्त मोटर मार्गों, लिंक मार्गों तथा नालियों का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में करवा लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

जी हां।

इस हेतु आगणन शासन में प्राप्त हो गया है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

पिथौरागढ में असकोट से टनकपुर व झूलाघाट से अल्मोड़ा तक पैदल मार्गों का संरक्षण

74–श्री प्रकाश पंत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद पिथौरागढ में असकोट से टनकपुर तथा झूलाघाट से अल्मोड़ा तक पैदल मार्गों के संरक्षण हेतु वर्ष 2001–2002 तथा वर्ष 2002–2003 में कितनी धनराशि व्यय की गयी तथा वर्तमान में इन मार्गों की स्थिति क्या है ?

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा ह्रदयेश–

जनपद पिथौरागढ में असकोट से टनकपुर (कनालीछीना–असकोट प्रभाग) पैदल मार्ग के संरक्षण हेतु वर्ष 2001–2002 तथा 2002–2003 में उक्त मार्ग का रख–रखाव विभागीय गैंग द्वारा किया गया है। अतः कोई धनराशि व्यय नहीं की गई है।

झूलाघाट से अल्मोड़ा तक पैदल मार्ग के संरक्षण हेतु वर्ष 2001–2002 में 0.035 लाख रुपये व्यय हुआ। वर्ष 2002–2003 में संरक्षण कार्य विभागीय गैंग द्वारा सम्पादित कराया जा रहा है। अतः कोई व्यय नहीं किया गया है।

दोनों पैदल मार्ग चालू स्थिति में हैं।

हरिद्वार के लक्सर–लण्ढौरा–रुड़की मार्ग एवं कनखल–लक्सर–खानपुर–पुरकाजी मार्गों का आगामी अर्द्धकुम्भ के लिए सुदृढ़ीकरण

75–कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद हरिद्वार के लक्सर–लण्ढौरा–रुड़की मार्ग एवं कनखल–लक्सर–खानपुर–पुरकाजी मार्ग को आगामी अर्द्धकुम्भ के बजट से अनुरक्षित/सुदृढ़ीकरण किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा ह्रदयेश–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

निजी हैण्ड पम्पों तथा नलकूपों पर जल संस्थान द्वारा जलकर वसूली

76—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में पेयजल हेतु निजी स्थापित हैण्ड पम्पों, तथा नलकूपों के स्वामियों से गढ़वाल तथा कुमाऊँ जल संस्थान द्वारा जल-कर/जलमूल्य वसूल किया जाता है ?

यदि हां, तो यह जलकर/जलमूल्य क्यों लिया जाता है ?

क्या सरकार इस गैर कानूनी वसूली को रोकेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

जी नहीं। जिन क्षेत्रों में जल संस्थान की पाइप लाईन बिछी हुई है अथवा सार्वजनिक नल लगा हुआ है वहां से 100 मी0 की दूरी में स्थित भवनों से जलकर लेने का प्राविधान है, परन्तु जलमूल्य वहीं लिया जाता है जहां उपभोक्ता जल संस्थान से पानी का कनेक्शन लेता है।

उपरोक्तानुसार।

लागू नहीं होता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला योजना में स्वीकृत मोटर मार्गों का निर्माण एवं भूमि का मुआवजा

77—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जिला योजना के स्वीकृत मोटर मार्गों के निर्माण हेतु सरकार की नीति के अनुसार सर्वप्रथम दो फुट सड़क काटने एवं भूमि का मुआवजा दिलाने की व्यवस्था की गयी है ?

यदि हां, तो सड़क काटने के उपरान्त सड़क का निर्माण कितने समय में किया जायेगा ?

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश—

जी हां। प्रथम चरण में सर्वेक्षण भूमि अध्याप्ति, प्रतिकर भुगतान, वन भूमि अनुमति एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण भुगतान, ड्रेसकट, जांट पिलर तथा केविल पिलर का कार्य किया जाता है।

प्रथम चरण के कार्य पूर्ण हो जाने पर द्वितीय चरण की वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त।

उत्तरकाशी के लिए मुख्य सड़क पर (ताबाखाणी के पास) मलवा की वजह से बन्द होने पर स्थायी समाधान हेतु वैकल्पिक व्यवस्था

78—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि उत्तरकाशी मुख्यालय का मुख्य सड़क मार्ग (ताबाखाणी के पास) बरसात के दिनों में अक्सर मलबा आने से बन्द हो जाता

है ? क्या सरकार इसके स्थायी समाधान हेतु किसी वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

यह मार्ग सीमा सड़क संगठन के अधीन है।

जनपद चमोली के मटई एवं बैरासकुण्ड में पेयजल समस्या के लिए योजना

79–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड में मटई एवं बैरासकुण्ड में पेयजल की समस्या को ध्यान में रखते हुए क्या कोई कार्य योजना शासन के विचाराधीन है ?

यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हां।

जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में मटई पेयजल योजना का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जिसमें सिविल कार्य प्रगति पर है तथा वर्तमान में योजना में अस्थाई रूप से पानी चालू है। बैरासकुण्ड बस्ती में भी इस पेयजल योजना के जीर्णोद्धार से पेयजल की व्यवस्था हेतु दो जल स्तम्भों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के कनकचौरी में पेयजल हेतु हैण्डपम्प लगाने की मांग

80–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में कनकचौरी में पेयजल समस्या को देखते हुए उक्त स्थान पर हैण्ड पम्प लगाने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हां।

जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत कनकचौरी में हैण्ड पम्प स्थापित किया जा चुका है एवं सुचारू रूप से कार्य कर रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी के लोक निर्माण विभाग में शासनादेश के अनुरूप नियुक्ति विषयक

81–श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि उत्तरांचल शासनादेश सं० 2054 / पी०डब्ल्यू०डी० / अभि०–2001–9–0 पी०डब्ल्यू०डी० / 2001, दिनांक 11–7–2001

के निर्देश पर प्रत्येक खण्ड हेतु 3 स0 अभियन्ता, 12 अवर अभियंता (सिविल) एक अवर अभियन्ता विद्युत/यांत्रिक पर स्वीकृत है ?

क्या यह सही है कि शासन इस निर्देश का जनपद टिहरी में अब तक पालन नहीं हुआ।

यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शासनादेश का पालन जनपद टिहरी में सुनिश्चित करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा ह्रदयेश–

जी हां।

जी हां।

स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत अधिकारियों की संख्या कम है नियुक्ति/चयन की प्रक्रिया प्रचलित है। नये अधिकारियों की नियुक्ति के पश्चात् रिक्त पदों पर तैनाती की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

टिहरी के विकास खण्ड प्रतापनगर के गांवों को पेयजल आपूर्ति हेतु लिफ्ट पम्पिग योजना के संबंध में

82–श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या पेयजल मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि विकास खण्ड प्रतापनगर जनपद टिहरी गढ़वाल के प्रभावित ग्रामों हेतु वहां के ग्रामीण, वर्ष 1991–92 से पेयजल आपूर्ति हेतु लिफ्ट पम्पिग योजना की मांग करते आ रहे हैं ?

क्या यह सत्य है कि इस योजना का प्रस्ताव चैंबार गांव से नीचे जलकूर नदी से प्रतापनगर तक पानी लिफ्ट कराने का है ?

यदि हां, तो इस योजना से सरकार कब तक पेयजल उपलब्ध करायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हां।

प्रस्तावित योजना का विस्तृत सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

लिफ्ट पम्पिग योजनायें अत्यधिक लागत की होने तथा राज्य के वित्तीय संसाधन सीमित होने के कारण इस योजना पर चालू वित्तीय वर्ष में विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

टिहरी गढ़वाल के ग्राम मोल्या की पेयजल योजना में अनियमितताएं एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

83–श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या पेयजल मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि अम्बेडकर ग्राम मोल्या प्रतापनगर टिहरी गढ़वाल के लिये कितनी लागत की पेयजल योजना निर्मित की गयी थी ?

क्या यह सरकार के संज्ञान में है कि यह योजना ग्रामवासियों को एक बूंद भी पेयजल उपलब्ध नहीं करा पाई तथा संबंधित विभाग द्वारा इसका हस्तान्तरण ग्राम पंचायत को दिखाया गया ?

यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

अम्बेडकर ग्राम मोल्या, प्रतापनगर (टिहरी गढ़वाल) के लिए रु0 26.94 लाख की योजना निर्मित की गयी थी जो वर्ष 1998 में ग्राम पंचायत मोल्या उपली रमोली को हस्तांतरित की गयी।

यह योजना मार्च, 1998 में ग्राम पंचायत को चालू हालत में हस्तांतरित की गयी थी। जिसका रख–रखाव भी ग्राम पंचायत को ही करना था।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद टिहरी गढ़वाल कि विकास खण्ड प्रतापनगर की विभिन्न पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में

84–श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी के अन्तर्गत प्रतापनगर विकास खण्ड पेयजल योजना ग्वाड़, पेयजल योजना माजफ, पेयजल योजना मुखेम, पेयजल योजना खराला (ओनाल गांव) का निर्माण क्रमशः कब प्रारम्भ हुआ और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

इन पर क्रमशः कितनी धनराशि व्यय हुई है ?

क्या इन योजनाओं पर धन का दुरूपयोग हुआ है ?

यदि हां, तो क्या सरकार इन सभी योजनाओं की जांच कराकर दोषियों को सजा दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

ग्वाड़ पेयजल योजना, 1997, माजफ पेयजल योजना–1 1996, माजफ पेयजल योजना–11 मार्च, 1997, मुखेम की बस्तियों के लिए भराड़ी तोक समूह पेयजल योजना 1997 में आरम्भ की गयी। खराला (ओनाल गांव) पेयजल योजना में जीर्णोद्धार कार्य वर्ष 1998–99 में कराये गये। माजफ पेयजल योजना–1 व खराला (ओनाल गांव) पेयजल योजना चालू है तथा पेयजल योजना ग्वाड़, माजफ पेयजल योजना–11 तथा मुखेम पेयजल योजनाएं निर्माणाधीन है।

पेयजल योजना ग्वाड़, पेयजल योजना माजफ–1 तथा 11 तथा पेयजल योजना मुखेम की अनु0 लागत क्रमशः रु0 54.41, 29.64, 16.73 तथा 43.68 लाख थी जिन पर क्रमशः रु0 35.18, 29.639, 13.32 तथा 20.32 लाख व्यय हो चुका है। एवं खराला (ओनाल गांव) की योजना जीर्णोद्धार में रु0 1.00 लाख व्यय हुआ है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

उत्तरांचल की नगर पंचायतों के त्रुटिपूर्ण निर्माण कार्यों की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे जाने के सम्बन्ध में

85—श्री प्रेमानन्द महाजन—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में कितनी नगर पंचायतों द्वारा किये गये त्रुटिपूर्ण निर्माण कार्यों की जांच मजिस्ट्रेट द्वारा करायी गयी है ?

ऊधमसिंह नगर की नगर पंचायत, दिनेशपुर की जांच रिपोर्ट के बिन्दु क्या है ?

क्या मंत्री महोदय उस रिपोर्ट की प्रति सदन में प्रस्तुत करने का कष्ट करेंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात—

एकमात्र नगर पंचायत, दिनेशपुर की जांच मजिस्ट्रेट द्वारा कराई गई थी।

1. वर्ष 1991–92 की आडिट आपत्तियों का निस्तारण न करना।
2. वर्ष 1988–89 तथा 89–90 में खडंजे से उखाड़ी गई ईंटों की नीलामी, 1989–90 में बाढ़ राहत योजनान्तर्गत निर्मित खडंजों, 1991–92 में पार्किंग के ठेके, नेहरू रोजगार योजनान्तर्गत आहरित धनराशि, सौन्दर्यीकरण हेतु आवंटित धनराशि, विद्युत उपकरणों की खरीद, सामुदायिक विकास केन्द्र के निर्माण एवं दीनदयाल पार्क के निर्माण में व्यापक वित्तीय अनियमितताएं।
3. सुलभ शौचालयों के निर्माण की गुणवत्ता ठीक न होना।
4. दो चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की अनियमित नियुक्ति।

रिपोर्ट की प्रति संलग्न की जा रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तरांचल के वन विभाग में जिला स्तर के अधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में

86—श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट—

क्या वन मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में वन विभाग के अन्तर्गत जिला स्तर के वन अधिकारियों के कुल कितने पद रिक्त है ?

क्या सरकार इन रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने पर विचार कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात—

जिला/प्रभाग स्तर के प्रभागीय वनाधिकारी का कोई भी पद वर्तमान में रिक्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद टिहरी के कोरदी पेयजल योजना के सम्बन्ध में

87—श्री फूल सिंह बिष्ट—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल विकास खण्ड प्रतापनगर कोरदी भरपूर पेयजल योजना कब से जल निगम के पास निर्माणाधीन है ?

क्या सरकार ग्रामवासियों को शीघ्रातिशीघ्र पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

कोरदी ग्राम समूह पेयजल योजना वर्ष 1993 में पूर्ण की जा चुकी है। ग्राम भरपूर इस योजना में सम्मिलित नहीं है।

कोरदी पेयजल योजना में सम्मिलित ग्रामवासियों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, ग्राम भरपूर के लिए अलग से कोई पेयजल योजना प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विभिन्न लम्बित/हल्का वाहन मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में

88–श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत (1) लम्बगांव कोटालगांव घनियाला (2) लम्बगांव बिजपुर घनियाला (3) लम्बगांव प्रतापनगर (4) कौडार दीनगांव मुखेम (5) सेरा मुखेम (6) सेरा मुखेम दो पुलों सहित (7) कौडार दीनगांव मुखेम किमी0 10 तक (8) अम्बेदकर मेलुन्ता (9) अम्बेदकर खोला (10) कौडार दीनगांव मुखेम हल्का वाहन के (सभी मोटर व हल्का वाहन मार्ग) पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति के अभाव में निर्माण से लम्बित है ?

यदि हां, तो लम्बित सभी पुनरीक्षित आगणन कब तक स्वीकृत होंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा ह्रदयेश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

31–03–2000 तक स्वीकृत मार्गों के अवशेष कार्यों की नए कार्यों के रूप में स्वीकृति हेतु वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर विचार किया जायेगा।

जनपद टिहरी के सिराखोली भैतालखाल मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में

89–श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत सिराखोली भैतालखाल मोटर मार्ग कार्य किन कारणों से रुका हुआ है ?

क्या सरकार जनहित में इस मोटर मार्ग का निर्माण शीघ्र कराने पर विचार करेगी ?

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा ह्रदयेश–

इस मार्ग के निर्माण कार्य पर स्वीकृत लागत तक व्यय हो चुका है।

मार्ग के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु नये कार्यों के रूप में स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जायेगा।

जनपद टिहरी के चैधार–जणगी मार्ग पर जलकूर नदी पर निर्मित पुल के सम्बन्ध में

90–श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत चैधार से जणगी जाने के लिए जलकूर नदी पर निर्मित पैदल झूला पुल तकनीकी दोषों के कारण टेढ़ा हो गया है ?

यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में इस पुल को ठीक करवायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन द्वारा जिला स्तरीय सड़क परिवहन समन्वय समिति के लिए दिशा निर्देश

91–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेंगी कि जिला स्तरीय सड़क परिवहन समन्वय समिति को शासनादेश संख्या: 303/एस0पी0डब्ल्यू0डी0/2001, दिनांक 15–12–2001 द्वारा 2002–2003 के लिए लोक निर्माण विभाग हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये हैं ?

क्या यह सही है कि इन दिशा निर्देशों से नई सड़कों के निर्माण में बाधा उत्पन्न होगी ?

यदि हां, तो क्या सरकार इस शासनादेश को समाप्त करने की सोच रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न ही नही उठता।

जारी दिशा निर्देशों में नये मार्ग निर्माण का भी समावेश है।

प्रदेश के समस्त जनपदों के सूचना कार्यालयों को वाहनों की उपलब्धता

92–श्री प्रकाश पंत–

क्या सूचना मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि उत्तरांचल के सभी जनपदों में सूचना विभाग के पास अपने वाहन हैं ? यदि हां, तो कितने कार्य रूप में हैं ?

क्या सरकार सभी जनपदों के सूचना विभाग को वाहन उपलब्ध करायेगी ?

यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

वर्तमान में 08 जनपदों में सूचना विभाग के पास वाहन उपलब्ध हैं व कार्यरूप में हैं।

उपरोक्त जनपदों के अतिरिक्त दो और जनपदों में सूचना विभाग के लिए वाहन क्रय हेतु धनराशि आवंटित की जा चुकी है। शेष तीन जनपदों में भी सूचना विभाग के जनपद स्तरीय कार्यालयों में वाहनों को क्रय किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून में जंगली जानवरों द्वारा गन्ने के खेतों का नुकसान एवं खेतों की सुरक्षा

93–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून में गन्ने की खेती को राजाजी नेशनल पार्क के जंगली जानवर नुकसान पहुंचा रहे हैं ?

यदि हां, तो सरकार द्वारा खेती की सुरक्षा हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

जी हां, इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं।

जंगली जानवरों द्वारा नुकसान की रोकथाम हेतु वन सीमा पर वर्ष 2001–2002 में 18 कि0मी0 विद्युत तारबाड़ लगाई गई है तथा वर्ष 2002–2003 में भी विद्युत तारबाड़ लगाई जा रही है। नुकसान की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही कर जंगली जानवरों को भगाया जाता है। हाथियों से फसल को क्षति पहुंचने पर निर्धारित प्राविधानों के तहत मुआवजे का भुगतान किया जाता है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

जनपद पौड़ी के बड़ोली–बैलाड़ी–विजोंली–चौड़ाखाल हल्का मोटर मार्ग का निर्माण

94–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद पौड़ी गढ़वाल स्थित बड़ोली–बैलाड़ी–विजोंली–चौड़ाखाल प्रस्तावित हल्का मोटर मार्ग के निर्माण कार्य की क्या स्थिति है ?

यह निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

क्या इस मार्ग से अन्य ग्रामों को जोड़े जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

शासन की नीति के अनुसार हल्का वाहन मार्गों का निर्माण नहीं किया जाना है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के बुंगली पेयजल योजना का पुनर्गठन

95—श्री नारायण राम आर्य—

क्या पेयजल मंत्री को ज्ञात है कि विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट जनपद पिथौरागढ़ के बुंगली पेयजल योजना के निर्माण में पुराने पाइपों एवं घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया ?

क्या यह भी सत्य है कि बिना पर्याप्त मात्रा में पानी का श्रोत उपलब्ध हुए इतनी बड़ी योजना बनायी गयी ?

क्या यह भी सत्य है कि उक्त योजना से गांव वालों को पानी नहीं मिल पा रहा है ?

यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए गांव वालों को पानी मुहैया करायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

मूल योजना के प्रयोग में लगाये जा सकने वाले पुराने पाइपों को पुनर्गठन योजना में प्रयोग में लाया गया है। घटिया सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया है।

जी नहीं।

जी नहीं।

बुंगली ग्राम समूह (पुनर्गठन) पेयजल योजना वर्तमान में निर्माणाधीन है कार्य प्रगति पर है वर्तमान में 15 स्टैंड पोस्टों में पानी सुचारु रूप से चल रहा है। किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद टिहरी के घुत्तु गंगी मोटर मार्ग का निर्माण

96—श्री बलबीर सिंह नेगी—

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद टिहरी गढ़वाल के पंचकेदार स्फटिक लिंग जाने वाले मार्ग के अंतिम गांव गंगी हेतु पूर्व सरकार द्वारा घुत्तु गंगी मोटर मार्ग की स्वीकृति दी गई थी ?

उक्त मोटर मार्ग कितने वर्षों से निर्माण की प्रतीक्षा में लम्बित है ?

क्या सरकार जनहित में उक्त मोटर मार्ग का निर्माण करावायेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश—

जनपद टिहरी गढ़वाल में गंगी ग्राम को जोड़ने हेतु घुत्तु—गंगी—कल्याणी—बुग्याल की स्वीकृति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1984 में 35 कि०मी० लम्बाई की दी गई थी।

यह मार्ग 5 कि०मी० वर्ष 1990 में पूर्ण हो चुका है। शेष 30 कि०मी० लम्बाई में वनभूमि के हस्तांतरण हेतु वन विभाग द्वारा असहमति व्यक्त की गई है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अवशेष 30 कि0मी0 लम्बाई में अत्यधिक सघन आरक्षित वनभूमि के कारण वन विभाग द्वारा वनभूमि हस्तांतरण की असहमति के कारण।

जनपद टिहरी में बादल फटने से क्षतिग्रस्त बूढ़ाकेदार–कोट–सौड़–तितरुणा हल्का वाहन मार्ग की मरम्मत

97–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद टिहरी गढ़वाल में विगत 10 अगस्त, 2002 को बादल फटने से बूढ़ाकेदार–कोट–विशन–घण्डियाल सौड़–तितरुणा हल्का वाहन मार्ग को कितनी क्षति होने का अनुमान है ?

क्या सरकार उक्त वाहन मार्ग की अविलम्ब मरम्मत करायेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

थाती–कोट–घण्डियाल सौड़–तितरुणा हल्का वाहन की क्षति लगभग रु0 20.00 लाख अनुमानित है।

जी हां।

वित्तीय संसाधन उपलब्ध होते ही।

प्रश्न नहीं उठता।

टिहरी में बादल फटने से क्षतिग्रस्त बूढ़ाकेदार–बेलक मोटर मार्ग की मरम्मत

98–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद टिहरी गढ़वाल में दिनांक 10 अगस्त, 2002 को बादल फटने से बूढ़ाकेदार–बेलक हल्का वाहन मार्ग में कितने करोड़ रुपये की क्षति होने का अनुमान है ?

क्या सरकार उक्त वाहन मार्ग को ठीक करवायेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

बूढ़ाकेदार–बेलक हल्का वाहन मार्ग के कि0मी0 5 पर स्टील गार्डर सेतु रु0 42.20 लाख व कि0मी0 7 में स्लिप व दीवार क्षतिग्रस्त से रु0 83.29 लाख कुल रु0 एक करोड़ पच्चीस लाख उन्चास हजार (रु0 1,25,49,000) मात्र की क्षति होने का अनुमान है।

जी हां।

वित्तीय संसाधन उपलब्ध होते ही।

प्रश्न ही नहीं उठता।

टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार में बादल फटने से क्षतिग्रस्त गार्डर ब्रिजों का निर्माण

99—श्री बलबीर सिंह नेगी—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि 10 अगस्त, 2002 को जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार क्षेत्र में बादल फटने से लोक निर्माण विभाग के कितने गार्डर ब्रिज क्षतिग्रस्त हुए हैं ?

उक्त क्षतिग्रस्त गार्डर ब्रिजों की अविलम्ब निर्माण की सरकार की कोई कार्य योजना है ?

यदि हां, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश—

10—8—2002 को बादल फटने से लोक निर्माण विभाग के 02 पैदल स्टील गार्डर व 01 स्टील गार्डर मोटर सेतु पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए हैं ।

जी हां।

वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तरांचल निर्माण निगम पुनर्गठित किये जाने के सम्बन्ध में

100—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि उत्तरांचल में उत्तर प्रदेश निर्माण निगम की तर्ज पर उत्तरांचल निर्माण निगम पुनर्गठित किये जाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ?

यदि हां, तो उक्त निगम का कब तक गठन कर लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पिथौरागढ़ के नगरपालिका कर्मचारियों में वेतन विसंगतियों से उत्पन्न असंतोष

101—श्री प्रकाश पंत—

क्या नगर विकास मंत्री जी को जानकारी है कि नगरपालिका परिषद, पिथौरागढ़ के कर्मचारियों में वेतन विसंगतियों के कारण असंतोष व्याप्त है ?

क्या सरकार इन वेतन विसंगतियों को दूर करेंगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

जी हां।

वेतन विसंगतियों के सम्बन्ध में शासन में प्राप्त प्रत्यावेदन पर विचार किया जा रहा है, जिस पर शीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्रत्येक जनपद में विकास कार्यों का चयन क्षेत्रीय विधायक की संस्तुति पर किये जाने विषयक

102–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में विकास कार्यों का चयन क्षेत्रीय विधायक की संस्तुति पर किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ?

यदि हां, तो यह व्यवस्था कब तक लागू हो जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विकास कार्यों का सम्पादन त्रिस्तरीय पंचायतों के द्वारा किया जाता है। विकास कार्यों में माननीय विधायकों की सहभागिता हेतु विधायक निधि का गठन है जिसके कार्यों का सम्पादन मा0 विधायकों की संस्तुति पर ही किया जाता है ।

टेण्डर एडवाइजरी समिति में तकनीकी परामर्शदाता, लो0 नि0 वि0, उत्तरांचल शासन पदनाम से पदधारक की अर्हताएं, कर्तव्य एवं दायित्व

103–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि टेण्डर एडवाइजरी समिति में तकनीकी परामर्शदाता, लो0नि0वि0, उत्तरांचल शासन पदनाम से पदधारक की अर्हताएं कर्तव्य एवं दायित्व क्या है ?

तथा इस पद के सृजन एवं उस पर तैनाती का औचित्य क्या है ?

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

टेण्डर एडवाइजरी समिति का गठन विभिन्न वित्तीय परिसीमाओं के अन्तर्गत निविदा स्वीकृत करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त निविदाओं पर परामर्श प्रदान करने हेतु किया गया है। रु0 40.00 लाख से अधिक के कार्यों की निविदाओं हेतु टेण्डर एडवाइजरी समिति में तकनीकी परामर्शदाता भी एक सदस्य है।

गुणवत्ता नियंत्रण, तकनीकी कार्यों का सम्पादन, आगणनों का परीक्षण तथा तकनीकी मैनुअल के गठन के उद्देश्य से निःसंवर्गीय पद का सृजन किया गया है।

जनपद चमोली में चांदपुर गढ़ी नाम से नये विकास खण्ड की मांग

104—श्री अनिल नौटियाल—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि चमोली जनपद में चांदपुर गढ़ी नाम से नये विकास खण्ड की मांग वर्षों से की जा रही है ?

क्या शासन स्तर पर चांदपुर गढ़ी विकास खण्ड बनाये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

जी हां।

जी नहीं।

विकास खण्डों के सृजन हेतु भारत सरकार द्वारा सहायता प्रदान न किये जाने के फलस्वरूप विकास खण्डों के सृजन का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जल निगम तथा जल संस्थान के एकीकरण सम्बन्धी विषयक

105—डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जल निगम तथा जल संस्थान के एकीकरण का मामला शासन के विचाराधीन है ?

यदि हां, तो कब तक इस पर निर्णय हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

"कुमायूं जल संस्थान" एवं "गढ़वाल जल संस्थान" का संविलयन करके "उत्तरांचल जल संस्थान" का गठन दिनांक 26 अगस्त, 2002 को अधिसूचित किया जा चुका है। तथा "उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम" का भी पृथक से गठन करके दिनांक 22 नवम्बर, 2002 को अधिसूचित किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में एंग्लो इण्डियन की जनसंख्या एवं सरकार द्वारा एंग्लो इण्डियन को विधायक मनोनीत करने का औचित्य

106—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या संसदीय कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में एंग्लो—इण्डियन की जनसंख्या कितनी है ?

सरकार द्वारा किसी एंग्लो इण्डियन को विधायक मनोनीत किये जाने का क्या औचित्य है ?

डा० (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

प्रश्न माननीय उत्तरांचल उच्च न्यायालय नैनीताल के समक्ष रिट याचिका संख्याः 393(एम०बी) 2002, श्री अजेन्द्र भट्ट बनाम उत्तरांचल सरकार में विचाराधीन है।

उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों के मुकदमे वापस न लिये जाने के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना पर चर्चा की मांग

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, नियम 311 की एक सूचना है, जिस पर कृपा करके आपने कल यह व्यवस्था दी थी कि इसे मैं कल सुनूंगा।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, मैंने कल इस सूचना को नियम–56 के अन्तर्गत सुनने की बात कही थी।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, 311 की हमारी सूचना दो दिन से लम्बित है जो बहुत महत्वपूर्ण है। अविलम्बनीय तथा लोक महत्व की भी है जिसे आपने कल 311 में सुनने की व्यवस्था दी थी।

(उत्तराखण्ड क्रान्ति दल, भारतीय जनता पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं फिर से कह रहा हूं कि कल मैंने इस सूचना को नियम 311 के अन्तर्गत सुनने की बात नहीं कही थी।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, ऐसा प्रतीत होता है कि मुझसे समझने में गलती हुई। यह ठीक है कि आपने नियम 56 के अन्तर्गत सूचना को सुनने की बात कही होगी लेकिन मैं तो यही समझा कि आप हमारी सूचना को नियम 311 के अन्तर्गत सुनेंगे क्योंकि प्रकरण कल 311 पर ही चल रहा था। यह हमारी गलती हो सकती है। वैसे यह सूचना नियम 311 में सुनी जा सकती है क्योंकि यह लोक महत्व का विषय है इसलिए इसे आप नियम 311 के अन्तर्गत 2–3 मिनट सुन लें।

(भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तथा उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

औद्योगिक विकास राज्य मंत्री (श्री किशोर उपाध्याय)–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। सभी माननीय सदस्य खड़े होकर एक साथ बोल रहे हैं जिससे यह सदन व्यवस्थित ढंग से नहीं चल पा रहा है।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप सभी लोग बैठ जाइये। माननीय काशी सिंह ऐरी, आप बोलिये।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, हमारे सम्मानित सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार कुछ कहना चाहते हैं, पहले इनको मौका दिया जाय।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने हमारी सूचना पर नियम 311 के अन्तर्गत सारे नियमों का निलम्बन कर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य का जन्म त्याग, बलिदानों के बल पर हुआ है। जहां उत्तराखण्ड राज्य के लिए यहां के युवाओं ने, मातृशक्ति ने अपनी शहादतें दी हैं, वहीं आज हम जिस सदन में बैठे हैं यह शहीदों और यहां के युवाओं की कुर्बानी के दम पर ही सम्भव हुआ है। जिनके दम पर हमारी सरकार बनी, आज हमारी सरकार उन्हें ही भूल गयी। जो शहीद हुए उनके परिवारों को पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए था और घोषणा के अनुसार प्रति परिवार से एक सदस्य को सरकारी सेवा में रोजगार दिया जाना चाहिए था। मान्यवर, जो आन्दोलनकारी हैं, जो घायल हुए, उनको भी सरकारी सेवा में लिया जाना चाहिए था, सरकार की घोषणा भी थी, लेकिन इस दिशा में सरकार द्वारा किसी भी तरह के कदम नहीं उठाये गये। मान्यवर, तत्कालीन सरकार द्वारा आन्दोलनकारियों पर मुकदमे दर्ज किये गये। राज्य बनने के बाद भी ये मुकदमे वापिस नहीं लिये गये और उनका उत्पीड़न आज तक जारी है। मान्यवर, जहां एक ओर राज्य सरकार इसका दोष केन्द्र सरकार को दे रही है, मैं मानता हूं केन्द्र सरकार भी इसमें दोषी होगी, दोषी है, लेकिन राज्य सरकार भी कम दोषी नहीं है। राज्य सरकार एक ओर जहां कहती है सी०बी०आई० के मुकदमे केन्द्र सरकार वापिस लेगी। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं क्या राज्य सरकार ने इस दिशा में कोई कारगर पहल की ? सी०बी०आई० राज्य सरकार की सिफारिश पर मुकदमे दर्ज करती है, मान्यवर, यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह मुकदमे वापिस लेने के लिए केन्द्र सरकार से सिफारिश करे, लेकिन आज तक सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया गया।

मान्यवर, राज्य के प्रति जनता में पूरी तरह से निराशा का वातावरण पैदा हो गया है। मान्यवर, यहां की जनता में यह भी सुनाई देने लगा है कि यदि यह सब कुछ होना था तो उत्तराखण्ड राज्य क्यों बनाया, यहां के लोगों ने इतना त्याग क्यों दिया, इससे अच्छे तो हम उत्तर प्रदेश में थे। ऐसा विचार यहां की जनता में उत्पन्न होने लगा है। मान्यवर, राज्य सरकार जहां एक ओर आन्दोलनकारियों के मुकदमे वापस नहीं ले रही है वहीं आन्दोलनकारियों का उत्पीड़न भी राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके ज्वलंत उदाहरण उत्तराखण्ड क्रान्तिदल के केन्द्रीय अध्यक्ष श्री दिवाकर भट्ट जी हैं। मान्यवर, राज्य सरकार द्वारा और टिहरी प्रशासन द्वारा माननीय दिवाकर भट्ट की सम्पत्ति की कुर्की की गई। यहां के हजारों क्रान्तिकारियों ने टिहरी में गिरफ्तारी दी, माननीय दिवाकर भट्ट जी ने आन्दोलनकारियों के दर्ज मुकदमे पर गिरफ्तारी दी और इस समय माननीय भट्ट जी और अन्य आन्दोलनकारी जेल में हैं। मान्यवर, जेल में माननीय भट्ट जी के साथ एक सामान्य कैदी की तरह व्यवहार किया जा रहा है जबकि वे एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं।

मान्यवर, उत्पीड़न की श्रेणी में मैं आपके सामने एक उदाहरण दूं, मैंने अखबारों में पढ़ा और मुझे जो सूचना मिली उसके आधार पर उत्तरकाशी में मेरे खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज किया गया है। मान्यवर, इसी तरह का उत्पीड़न अन्य आन्दोलनकारियों पर हो रहा है। सरकार बदले की भावना से कार्य कर रही है ऐसा प्रतीत हो रहा है। मान्यवर,

मेरा यह निवेदन है कि आन्दोलनकारियों का जो उत्पीड़न हो रहा है सरकार द्वारा उत्पीड़न बन्द कराया जाये।

मान्यवर, टिहरी बांध में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, वहां के अधिकारी मार्च, 2003 तक पूरा करने की बात करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पंवार जी आपने जो सूचना दी है, उसी पर बोलिये। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, जहां टिहरी बांध पर मार्च, 2003 तक अधिकारियों ने पूरा करने की बात की है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में वहां की जनता आन्दोलित है।.....

मान्यवर, जहां एक ओर राज्य सरकार कहती है कि केन्द्र सरकार द्वारा पुनर्वास के लिए 980 करोड़ की मद रखी गयी है, आज तक 800 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। मान्यवर, अभी भी शहरी क्षेत्र में 30 करोड़ रुपये की देनदारी बाकी है और 200 करोड़ रुपये की देनदारी अन्य मदों में बाकी है, तो मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्र का पुनर्वास किस तरह होगा। यह राज्य सरकार बताये कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां 3 हजार परिवार टिहरी डैम से प्रभावित होंगे, उनके लिए राज्य सरकार क्या कर रही है। जो कि पूर्ण रूप से पुनर्वास की पात्रता में हैं। तो मान्यवर, इसी तरह जो पुनर्वास के लिए मदें तय थीं वहां पर व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण आपसी बन्दरबांट वहां पर हो चुकी है और पुनर्वास की एक बहुत बड़ी समस्या वहां पर लोगों के सामने आ पड़ी है। तो मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस विषय पर भी सरकार अपना स्पष्टीकरण दे, धन्यवाद।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, आपने नियम 311 की ग्राह्यता पर बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मुझसे पूर्व वक्ता माननीय प्रीतम सिंह पंवार जी ने राज्य आन्दोलनकारियों के विषय में विस्तार से अपनी बात रखी है। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस राज्य के निर्माण में 40 से ज्यादा लोगों ने अपनी शहादत दी है। जहां तक देश की आजादी का प्रश्न है इसमें सल्ट, स्याल्दे, और सालम से 9 लोगों ने शहादत दी थी, किन्तु आजादी के 50 वर्ष बाद जब राज्य की मांग की तो 41 लोगों ने शहादत दी, जिसमें हमारी दो बहनें–हंसा धनाई व बेलमती चौहान भी शहीद हुई। जहां भी संघर्ष हुए हैं, अपने हकों के लिए लोगों ने बलिदान दिया है, उनको सरकार ने सबसे पहले याद किया है, सम्मान दिया है, किन्तु मान्यवर, बड़े दुःख की बात है कि इस राज्य को बने हुए लगभग दो वर्ष हो चुके हैं और दो सरकारें सत्तारूढ़ हो चुकी हैं, लेकिन आज तक भी ये मुकदमे वापस नहीं हुए। इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि सभी आन्दोलनकारियों के मुकदमे वापस किये जायेंगे और जिन्होंने राज्य के निर्माण में त्याग किया, बलिदान दिया, उन्हें सम्मानित किया जायेगा, किन्तु बड़े दुःख के साथ निवेदन करना पड़ रहा है कि बहुत से राज्य आन्दोलनकारियों के मुकदमे लम्बित पड़े हैं। मेरा अनुरोध है कि हमारी सरकार को चाहिए कि वह पहल करे, जो हमारा सबसे पहला कार्य होना चाहिए वह राज्य आन्दोलनकारियों के मुकदमें वापस लिए जायें। सारे राज्य आन्दोलनकारियों को सूचीबद्ध किया जाय, उनका रिकार्ड रखा जाय, जिस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया जाता है, उनसे कम

इन राज्य आन्दोलनकारियों का दर्जा नहीं है। इसमें राज्य सरकार एक सर्वदलीय कमेटी बना ले और राज्य आन्दोलनकारियों को चिन्हित करे, जैसा कि सरकार ने कई बार चिन्हित भी किया है।

मान्यवर, उत्तराखण्ड आन्दोलन में बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपनी शहादत दी है। कुछ परिवार तो ऐसे हैं जिनका केवल एक ही चिराग था वह इस आन्दोलन में शहीद हो गया। अब उनके परिवार में कोई भी नहीं बचा है। रुड़की में एक नौजवान प्रकाशकांति लकवे से ग्रसित है। इसी देहरादून शहर में तीन परिवारों का एक ही बेटा था जो शहीद हुआ। मान्यवर, निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियाँ इन लोगों से सबक लेंगी लेकिन हमारी सरकार ने इन आन्दोलनकारियों के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन आन्दोलनकारियों के ऊपर से मुकदमे वापस लिए जाएं। जैसा कि हमारे साथी श्री प्रीतम सिंह पंवार जी ने भी कहा।

मान्यवर, माननीय दिवाकर भट्ट जिन्होंने राज्य आन्दोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उनको गिरफ्तार कर टिहरी जेल भेज दिया गया है। उनके साथ साधारण कैदियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। जो सरकारें अपने इतिहास से सबक नहीं ले सकती, त्यागियों का सम्मान नहीं कर सकती, वे सरकारें ज्यादा दिन तक नहीं बनी रह सकती। मैं पुनः माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से राज्य आन्दोलनकारियों के मुकदमे वापस लेने का अनुरोध करता हूं और जो सी0बी0आई0 के मुकदमे हैं उनको वापस लेने के लिए राज्य सरकार केन्द्र से सिफारिश करें। राज्य आन्दोलनकारियों को चिन्हित करने के लिए मान्यवर, कमेटी बनाई जाय जो राज्य आन्दोलनकारियों को चिन्हित करें। इसके साथ–साथ उन प्रवासी उत्तराखण्डी, जिन्होंने राज्य आन्दोलन में अपना योगदान दिया है, उनको भी चिन्हित किया जाय। चाहे वे बरेली में रहते हों या चण्डीगढ़ में। मान्यवर, राज्य सरकार अगर उन लोगों को रोजगार नहीं दे सकती, पर सम्मान तो दे सकती है। उनको सम्मानित किया जाय। जिस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान दिया जाता है। जिससे आने वाली पीढ़िया उनसे सबक लें, उनसे प्रेरणा लें। मान्यवर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

चौ0 यशवीर सिंह–

मान्यवर, मैं गन्ने के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि

श्री अध्यक्ष–

सदन में जिस विषय पर चर्चा हो रही है। उस पर बोलने के लिए आपसे कह रहा हूं।

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूं। मान्यवर, लोकतांत्रिक लोकतंत्र समाजों में, लोकतांत्रिक लोकतंत्र व्यवस्थाओं के अन्तर्गत बेहतर समाज निर्माण के लिए जनता को यह अधिकार हमेशा होता है कि वह अपनी बात को कहने के लिए शांतिपूर्वक आन्दोलन करें। उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन इसका अनुकरणीय उदाहरण है। जिन्होंने राज्य निर्माण के लिए आन्दोलन किया। उन पर दमनात्मक कार्यवाही की गयी, उनको काफी चोटें आयी।

मान्यवर, हम जानते हैं कि उत्तरांखण्ड राज्य आन्दोलन के दौर में राज सत्ता के इशारों पर भोले-भाले आन्दोलनकारियों का दमन किया गया और उन पर मुकदमे चलाये गये। मान्यवर, राज्य बनने के बाद हमें यह उम्मीद थी कि आन्दोलनकारियों का सम्मान करते हुए हमारी सरकार आन्दोलनकारियों के मुकदमे वापस ले लेगी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारी सरकारों ने संवेदनहीनता का आचरण किया। मान्यवर, आज तक जितने भी समझौते हुए चाहे वह असम के अन्दर राजीव गांधी और असमगण परिषद् के बीच समझौता हुआ हो या राजीव लौंगोवाल समझौता किसी अन्य के बीच, उसमें यह मानकर चला जाता था कि समझौते के बाद आन्दोलनकारियों के मुकदमे वापस ले लिये जायेंगे और होता भी यही था, लेकिन उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों से मुकदमे वापस नहीं लिये गये। मान्यवर, जनता महसूस कर रही है कि कैसे हमारे जनप्रतिनिधि हैं जो राज्य बनने के बाद भी आन्दोलनकारियों के मुकदमे चलाये हुए हैं। हमारा दल राज्य निर्माण के लिए अस्तित्व में आया।

मान्यवर, राज्य निर्माण की मांग के अतिरिक्त और भी कई आन्दोलन हमारे दल के द्वारा किये गये जैसे वन संरक्षण हेतु आन्दोलन, वन संरक्षण अधिनियम हमारे विकास की राह में बाधा बना हुआ है इसके लिए भी आन्दोलन किये गये हैं। उन आन्दोलनों में भी हमारे दल के मर्द लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज किये गये हैं। मान्यवर, हमारे दल के अध्यक्ष, श्री दिवाकर भट्ट पर भी मुकदमा चल रहा है। सरकार ने अभी तक ये मुकदमा वापस नहीं लिया है। मान्यवर, यह विषय आज उत्तरांचल का सबसे महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए सारे नियमों को निलम्बित करते हुए इस पर चर्चा कराई जाये। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हू।

श्री काशी सिंह ऐरी-

माननीय अध्यक्ष जी, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं पुनः कहना चाहूंगा कि मैं व्यक्तिगत रूप से नियम 311 के ज्यादा उपयोग के पक्ष में नहीं हू, लेकिन कल जो आपकी व्यवस्था आई उससे मैंने समझा कि शायद आप नियम 311 में इसे सुनेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मैं पुनः दोहरा रहा हू कि मैंने नियम 56 में इसे सुनने के लिए कहा था।

श्री काशी सिंह ऐरी-

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हू कि आपने इस विषय को सुना। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन को याद दिलाना चाहता हू कि जो हमारा उत्तराखण्ड आन्दोलन है, यह दुनिया का सबसे बड़ा अहिंसक आन्दोलन घोषित हुआ है। विदेशी मीडिया ने भी इस बात के लिए उत्तराखण्ड आन्दोलन की तारीफ की थी। विदेशी अखबारों ने लिखा था कि अगर आपको गांधी को चलते-फिरते देखना है तो आप उत्तराखण्ड चले जायं। इस आन्दोलन में कितने लोग शहीद हुए, इसकी जानकारी माननीय सदस्य ने दे दी है। आन्दोलनकारियों का दमन भी हुआ, आन्दोलन अहिंसक था, लेकिन सरकारी हिंसा हुई यह सबके सामने है, सरकार ने लोगों का दमन किया, लोगों की शहादतें हुई इसके बावजूद आन्दोलनकारियों पर मुकदमे भी कायम हुए। इन मुकदमों को वापस लेने के लिए हम लोगों ने शुरुआत में भी अपील की थी। मान्यवर, पहली अनन्तिम सरकार ने सदन के अन्दर और सदन के बाहर भी आन्दोलनकारियों के मुकदमे वापस लेने की घोषणा की थी, लेकिन आज भी दर्जनों मामले ऐसे हैं जो आज तक भी वापस नहीं हुए हैं।

मान्यवर, केन्द्रीय सरकार की ओर से अभी गृह मंत्री जी का बयान आया था कि उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान कुछ मुकदमों को वापस नहीं लिया जा सकता है, मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं, कि हम उसी देश के हैं जहां पर एक केन्द्रीय मंत्री की लड़की का अपहरण हो जाता है तो हम दुर्दान्त आतंकवादियों को छोड़ देते हैं, हमारे जहाज का अपहरण हो जाता है तो हम खूंखार तथा दुर्दान्त आतंकवादियों को अपने जहाज में बिठाकर कंधार पहुंचाते हैं और राज्य के लिए, अपने अधिकार को पाने के लिए आन्दोलन करने वाले अहिंसक आन्दोलनकारियों के मुकदमो को वापस लेने से सरकार कतरा रही है। मान्यवर, इस सच्चाई से और इस आरोप से न राज्य सरकार बच सकती है और न ही केन्द्र सरकार बच सकती है। हमारा आन्दोलन पूर्णतः अहिंसक था और शान्तिपूर्ण था। उस वक्त की सरकार के इशारे पर जो मुकदमे लगाये गये हैं वे फर्जी थे, बेबुनियाद थे। जो धारायें उस समय लगी वे फर्जी थीं इस सरकार को प्राथमिकता के आधार पर यह सोचना था कि आन्दोलनकारियों के मुकदमो को वापस लिया जाय। अभी सरकार की ओर से इसका जबाब आयेगा मुझे मालूम है राज्य सरकार को उनको वापस लेना चाहिए था परन्तु नहीं लिया गया है यह अति गम्भीर है। जहां इनको सम्मान देकर और मुकदमो को वापस लेकर सरकार ने सम्मानित करना चाहिए था वहीं सरकार द्वारा इनको जेलों में डाला जा रहा है इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारी पार्टी के अध्यक्ष श्री दिवाकर भट्ट जी जिनको अभी टिहरी जेल में डाला गया है, गत 10 दिसम्बर को उन पर आन्दोलन का ही मुकदमा है वे विधान सभा आते हैं माननीय मंत्रीगणों से मुलाकात करते हैं लेकिन टिहरी जिला प्रशासन ने यह जहमत भी नहीं उठाई कि उन्हें किस श्रेणी में रखा जाय। मान्यवर, जैसी कि प्रक्रिया है कि पहले सम्मन जारी किया जाता है। फिर वारंट जारी किया जाता है और उसके बाद गैर जमानती वारंट जारी होता है। परन्तु टिहरी के जिला प्रशासन ने इन सारी औपचारिकताओं को ताक में रखकर उनके घर की कुर्की कर दी और उसके बाद 10 दिसम्बर को उनको जेल में डाल दिया है और उनके साथ सामान्य अपराधी की तरह बर्ताव किया जा रहा है, यह इस सरकार के लिए शर्मनाक है। मान्यवर, हमारी दिली इच्छा है कि इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। मान्यवर, उत्तराखण्ड की 84 लाख जनता देख रही है कि सरकार उत्तराखण्ड के आन्दोलनकारियों के मुकदमे वापस लेती है या फिर उनके खिलाफ कार्यवाही करती है। अगर आन्दोलनकारियों के खिलाफ सरकार का यही रवैया रहा लोकतांत्रिक सरकार का यही रवैया रहा तो आगे आने वाले समय में सुधार के लिए कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आयेगा और मान्यवर, इससे जनता में गलत संदेश जायेगा।

मान्यवर, इस संबंध में हम आपसे 2 दिन से आग्रह कर रहे थे कि मान्यवर, हमारी बात को सुन लिया जाये। मान्यवर, शान्तिपूर्ण आन्दोलन कर रहे कार्यकर्ताओं पर 13 तारीख को लाठीचार्ज हुआ है। सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है और इस संबंध में सदन में चर्चा करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हमने तो शांतिपूर्ण आन्दोलन कर राज्य प्राप्ति की लड़ाई लड़ी थी। तत्कालीन सरकार ने दमन करने के लिए जबरदस्ती ये मुकदमे लोगों पर थोपे हैं। मान्यवर, सरकार को यह भी जबाब देना होगा कि सरकार सदन के अन्दर व बाहर घोषणायें कर रही है उन पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है ?

मान्यवर, अभी तक मुकदमे वापस क्यों नहीं हुए ? क्या कारण है, किसकी गलती है, क्यों केन्द्र सरकार आपकी बात नहीं मान रही है, जो मुकदमे आपकी परिधि में हैं, जिनको आप वापस ले सकते थे, अभी तक क्यों नहीं लिए गये ? मान्यवर, यह सारी बातें तभी सामने आ सकती हैं, जब इस विषय पर यहां पर चर्चा हो। जब सरकार सारे तथ्य लेकर सामने आयेगी तभी इस प्रदेश की जनता और हमारी समझ में यह बात आयेगी कि अभी तक मुकदमे वापस क्यों नहीं लिए गये। इसलिए मैं इस बात पर बल देता हूं कि इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा इस माननीय सदन में होनी चाहिए। मैं एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं।

संसदीय कार्य मंत्री [''डा0'' (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश]–

मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान आन्दोलनकारियों के विरुद्ध दर्ज सभी मामलों को वापस लेने हेतु राज्य सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास जारी हैं। इनमें बहुत से मामले सिविल पुलिस के पास हैं, कुछ न्यायालयों में हैं। इसके अतिरिक्त जो मामले केन्द्र सरकार की जांच की परिधि में हैं, उनको केन्द्र सरकार के पास भेज दिया गया है। इस विषय पर सरकार अत्यन्त गम्भीर है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस मामले को बहुत गम्भीरता से ले रहे हैं। इस संबंध में उनके द्वारा 2–3 बैठकें भी की जा चुकी हैं। यह भी तय किया गया था कि जितने लोग भी इस आन्दोलन में शहीद हुए हैं, उनके नाम पर सड़कें और पार्क बनाये जायं। इस आन्दोलन के दौरान लापता हो गये व्यक्तियों, गम्भीर रूप से घायलों, उत्पीड़ित महिलाओं और मृतकों के परिवारजनों को मुआवजे के तौर पर 6 करोड़ 8 लाख 75 हजार रुपये का भुगतान किया गया है।

हम प्रयास कर रहे हैं कि जो मामले सिविल पुलिस के पास या न्यायालय में हैं, उनको जल्दी सुलझा लिया जाय तथा जिन मुकदमों की विवेचना केन्द्र सरकार के स्तर पर होनी है तथा जिनके लिए भारत सरकार ने अभी असमर्थता जाहिर की थी, हमने उन मामलों को भी यों ही नहीं छोड़ दिया है। हमने उन मामलों के लिए सारे विवरण सहित भारत सरकार से पुनः अनुरोध किया है। हमें पूरा विश्वास है कि राज्य की जन भावनाओं का आदर करते हुए भारत सरकार भी इस सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। मान्यवर, मैं कहना चाहती हूं कि इस सम्बन्ध में जितने संवेदनशील हमारे माननीय काशी सिंह ऐरी जी, माननीय त्रिपाठी जी, माननीय जंतवाल जी और माननीय प्रीतम सिंह पंवार जी हैं, उतनी ही संवेदनशील यह सरकार और यह पूरा सदन है, क्योंकि ये सब हमारे राज्य के नागरिक हैं। इस आन्दोलन के दौरान बहुत से परिवार प्रभावित हुए हैं, बहुत से परिवारों की रोजी–रोटी पर इसका असर पड़ा। इस सम्बन्ध में लगातार विवेचना जारी है।

मान्यवर, यह सही है कि केन्द्र सरकार को भेजा गया, जब उनकी तरफ से उत्तर आया कि इन किन्हीं कारणों से उन्हें नहीं कर सकते, इसके लिए मैं भरोसा दिलाती हूं

कि जितने भी घायल हैं, मृतक हैं, इनके प्रकरणों को यह सरकार निश्चित रूप से शीघ्रातिशीघ्र सर्वोच्च वरीयता देते हुए, सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जन भावनाओं के हित में निराकरण करेगी। श्री दिवाकर भट्ट की गिरफ्तारी के बारे में जो हमारी जानकारी है उसमें लिखा है कि श्री दिवाकर भट्ट एवं अन्य के विरुद्ध वर्ष 1991 में, श्री एस0के0 गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर एक अभियोग, मु0अ0सं0 108/91 के अन्तर्गत धारा 147/353/332/352/323/504/427 भा0द0वि0 व 7 क्रिमिनल अमेण्डमेण्ट ऐक्ट थाना टिहरी में पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग में माननीय न्यायालय के आदेश से इनकी कुर्की हुई। दिनांक 10-12-2002 को उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय के आदेश से ही उन्हें जेल भेजा गया। इस आन्दोलन अभियोग का उत्तराखण्ड आन्दोलन से कोई संबंध नहीं है। श्री दिवाकर भट्ट जी एक लम्बे समय से उत्तराखण्ड क्रान्ति दल से जुड़े हुए हैं, उन पर जितनी भी धारायें लगी हैं हम लोग सहृदयता से सहयोग करने को तैयार हैं। यह मामले विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत है, अभी इस संबंध में जानकारी नहीं दे सकते हैं।

इसके अतिरिक्त श्री प्रीतम सिंह पंवार के विरुद्ध किसी मुकदमे की बात की गयी, इसमें 19-11-2002 को पटवारी चौकी बनचौरा, जनपद उत्तरकाशी में एक अभियोग मु0अ0 सं0 2/02 धारा 379/353/504/506 भा0द0वि0 एवं 26 वन अधिनियम वन दरोगा श्री झबर सिंह द्वारा पंजीकृत कराया गया। इस अभियोग में सभी नामजद अभियुक्तों द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष आत्म समर्पण कर दिया है। इस अभियोग में माननीय विधायक श्री प्रीतम सिंह पंवार नामजद नहीं है। इस अभियोग की विवेचना सामान्य पुलिस को स्थानान्तरित कर दी गयी है। इसमें सम्मानित विधायक का नाम कहीं नामजद नहीं है। आपने सामयिक और गम्भीर प्रकरण को उठाया है हम इसके प्रति संवेदनशील हैं, सभी आन्दोलनकारियों के मुकदमे वापस लिये जाने के प्रति सरकार गम्भीर है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो मुकदमों के सम्बन्ध में जो जानकारी दी कि सरकार संवेदनशील है, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि सरकार संवेदनशील है, लेकिन सरकार संवेदनशील है कहने से काम चलने वाला नहीं है। केन्द्र सरकार का रवैया आपके सामने है, मैं पूरी तरह से इससे संतुष्ट नहीं हूं।

मान्यवर, मुकदमे लम्बित हैं और मैं समझता हूं सरकार को इसमें और ज्यादा संवेदनशील होने की आवश्यकता है। मुकदमों को फौरन वापस लेकर सरकार अपनी संवेदनशीलता बढ़ाये, यदि ऐसा नहीं होता है तो सरकार के इस वक्तव्य का कोई औचित्य नहीं है। मान्यवर, मैं अपने साथियों के साथ आन्दोलनकारियों के मुकदमे वापिस न लेने के विरोध में सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(श्री काशी सिंह ऐरी उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

* श्री नारायण पाल–

मान्यवर, हमारी सूचना को नियम 311 के अंतर्गत सुनने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने इस सूचना को नियम 311 के अन्तर्गत नहीं नियम 56 के अन्तर्गत सुनने की बात कल भी कही थी और आज पुनः इस बात को दोहरा रहा हूँ।

दिनांक 13–12–2002 को भा0ज0पा0 कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज पर सरकार द्वारा संतोषजनक उत्तर न मिलने पर, नियम 311 में लिये जाने की मांग

(भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप बैठ जायें। प्रश्नकाल होने दीजिए।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह जो 13–12–2002 को घटना घटित हुई है उस पर सरकार द्वारा जो कहा गया है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं उसमें सरकार द्वारा जो उत्तर दिया गया वह कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है। यह बहुत गम्भीर मामला है। इसका संतोषजनक जवाब सरकार की तरफ से आना बहुत ही आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष–

इसे नियम 56 के अन्तर्गत सुन लेंगे।

(भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा वेल में नारेबाजी करने के कारण घोर व्यवधान)

"भ्रष्टाचारी यह सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी, किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी, जनविरोधी यह सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी"

श्री अध्यक्ष–

कृपया सभी माननीय सदस्य अपना आसन ग्रहण करें। मैं आपकी सूचना को नियम 56 के अन्तर्गत सुनने को तैयार हूं।

(घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

सदन की कार्यवाही 12.30 मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

(12 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों का वेल में खड़े होकर एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, नियम 311 के अन्तर्गत सूचना ले ली जाये।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्यमंत्री ["डा0" (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश]–

मान्यवर, यह गलत परम्परा है, वेल में खड़े न होकर अपनी कुर्सी से बोलें तो सदन भी व्यवस्थित रहेगा।

(घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, सरकार ने जो उत्तर दिया है हम उस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सदन को चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए यह फैसला आपको करना है। बार–बार वेल में आना अच्छी बात नहीं है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप आसन ग्रहण करें। स्वस्थ परम्परा का निर्वहन आपके द्वारा होना चाहिए।

(वेल में खड़े माननीय सदस्य नारेबाजी करने लगे–नहीं चलेगी–नहीं चलेगी, भ्रष्टाचार की यह सरकार नहीं चलेगी)

(भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य सदन के वेल में खड़े होकर नारे लगाते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह सदन नहीं चलने देना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय बलबीर सिंह नेगी जी, आज 311 के अन्तर्गत आपकी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सदन की कार्यवाही को 1.30 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

मार्शल विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, ने सदन का स्थगन 3.00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

(सदन की कार्यवाही 3 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, नियम 311 की हमने जो सूचना दी थी उसमें सरकार का बिल्कुल ही गलत पक्ष आया है। इस पर सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे नियम 56 में सुन चुका हूं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इसमें तमाम लोग घायल हुए, तमाम लोगों को झूठे मुकदमों में फंसा दिया गया । (घोर व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि नियम 311 में पहले भी सूचनाएं सुनी गई हैं। माननीय इन्दिरा जी वहां पर बैठी हुई है। उनकी मौजूदगी में ऐसा कई बार हुआ है। मान्यवर, जो विषय आपके सामने रखे गये हैं चाहे वह पटवारी प्रकरण हो या 13–12–2002 की घटना हो, इन पर आप एक–एक घण्टे की चर्चा स्वीकार कर लें। (विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, हम चर्चा की मांग करते हैं। 13–12–2002 की घटना में कार्यकर्ताओं पर मुकदमे कायम किये गये हैं। श्री मनोहर कान्त ध्यानी, डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक", श्री त्रिवेन्द सिंह रावत पर धारा 307 के तहत मुकदमा कायम किया गया है। यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि जो विषय नियम 311 में उठाये गये हैं, उस पर आप एक–एक घण्टे की चर्चा स्वीकार कर लें और सदन को दो दिन, तीन दिन, चार दिन तक चलायें।

मान्यवर, मेरी समझ में यह नहीं आता है कि आपको चर्चा कराने में क्या कष्ट हो रहा है, मुझे तो नहीं लगता कि चर्चा कराने से आपको कोई परेशानी हो जायेगी।

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, दो मिनट के लिए मुझे भी सुन लें, नेता प्रतिपक्ष हमारे, पहले सरकार में रहे हैं हमारे वरिष्ठ साथी हैं। एक बार जिन मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है, बार–बार वही मुद्दे उठाकर आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं।

(सत्तापक्ष एवं विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, ऐसे कार्य सुचारू रूप से कैसे चलेगा, कल इन्होंने जो प्रकरण उठाया था उसे सुन लिया गया और आज हमारे उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के माननीय नेता श्री काशी सिंह ऐरी जी को भी 311 पर सुन लिया गया, परन्तु आपके द्वारा कल भी वही मामला उठाया गया था और आज भी आप चाहते हैं कि उसी पर चर्चा हो जाय, उसी मामले को सरकार कितनी बार सुनेगी। जब सरकार द्वारा उस प्रकरण पर अपना वक्तव्य दे दिया गया है तो फिर आज उसे कैसे सुना जायेगा।

(घोर व्यवधान)

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मेरी भी एक सूचना है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय ऐरी जी, मैंने आपकी बात को सुन लिया है आपकी सूचना को कल मैंने कहा था कि उसे नियम 56 में सुन लेंगे फिर भी आज उसको नियम 311 में सुन लिया गया है।

(कई माननीय सदस्यों के साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने हमारी बात को सुना मान्यवर, हमें हो सकता है कि कुछ गलत फहमी हो गई हो उसको भी आपने दूर किया और हमको नियम 311 में सुना।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा केवल एक आग्रह है, आपने कल एक व्यवस्था दी थी कि 311 की सूचना पर माननीय बलवीर सिंह नेगी जी को भी सुनूंगा। इसके अलावा मान्यवर, बसपा के माननीय सदस्यों ने भी 311 की सूचना दी है। तो कृपापूर्वक माननीय नेगी जी और बसपा के माननीय सदस्यों को सुन लिया जाय, मेरा यह आग्रह है। मैं तो यह भी आग्रह करूंगा कि 311 के अन्तर्गत भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों ने जो सूचना दी है, उस पर भी सुन लिया जाता।

श्री अध्यक्ष–

माननीय ऐरी जी, आप तो बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। आप देख रहे हैं कि तीन दिन से लगातार (इनके द्वारा) ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है। सदन का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है।

(सत्तापक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, कल सदन पूरी तरह व्यवस्थित नहीं था और जब सदन अव्यवस्थित होता है, तब निर्णय नहीं होता। लेकिन फिर भी निर्णय दिया गया। हम उस निर्णय को सिर–माथे पर रखते हैं। लेकिन हमने जिस विषय को लेकर बात उठायी थी, उसका उत्तर तो सरकार की तरफ से आया ही नहीं। हमारे माननीय अध्यक्ष पर मुकदमा चला दिया गया। मान्यवर, मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से एक स्पष्टीकरण आपके माध्यम से चाहता हूं कि सरकार ये मुकदमे वापस ले रही है या नहीं।

(व्यवधान)

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष द्वारा सदन को बार–बार अव्यवस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष मुद्दा विहीन राजनीति करना चाहता है।

(व्यवधान)

(घोर व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी के सभी सदस्य वेल में आ गये और नारेबाजी करने लगें)

"गुण्डा गर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भ्रष्टाचार बन्द करो, बन्द करो आदि"

(घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

सदन की कार्यवाही 3.58 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही 3 बजकर 58 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे साथियों पर झूठे मुकदमे चलाये गये हैं। कृपया ये मुकदमे वापस लिए जायें इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कल जो जवाब दिया गया है वह संतोषजनक नहीं है।

(भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा एक साथ जोर–जोर से बोलने के कारण घोर व्यवधान)

कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रमों के निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 17 दिसम्बर, 2002 की बैठक में दिनांक 17 एवं 18 दिसम्बर, 2002 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिश की है :–

1. समिति ने सिफारिश की है कि सभा की आज दिनांक 17 दिसम्बर, 2002 की कार्य सूची में मद संख्या 13 के बाद निम्नलिखित मद संख्या 13 (क) एवं 13 (ख) जोड़ी जाय :–

   13 (क) संसदीय कार्यमंत्री प्रस्ताव करेंगी कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय (समय निर्धारित 15 मिनट)

   13 (ख) संसदीय कार्यमंत्री प्रस्ताव करेंगी कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाय।

2. समिति ने सिफारिश की, कि विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली के सम्बन्धित नियम को शिथिल करते हुए प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार असरकारी कार्य को शुक्रवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2002 के स्थान पर बुधवार, दिनांक 18 दिसम्बर, 2002 की कार्य सूची में ले लिया जाय।

3. समिति ने यह भी सिफारिश की, कि श्री मातबर सिंह कण्डारी तथा श्री बलबीर सिंह नेगी, मा0 सदस्यों से नियम 103 के अन्तर्गत चर्चा हेतु स्वीकृत प्रस्तावों को सभा की दिनांक 18–12–2002 की कार्य सूची में सम्मिलित किया जाय।

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूं कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी ने सदन को दी, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) (घोर व्यवधान)

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, हमारे प्रतिपक्ष के सम्मानित नेता और सदस्यगण जो कहना चाह रहे हैं, इसे कल नोटिस के रूप में नियम 56 के अन्तर्गत लेने का कष्ट करें। यदि आप नियम 311 के अन्तर्गत ही लेना चाहेंगे तो प्रश्नकाल चला जायेगा। मान्यवर, मैं अनुरोध करती हूं कि कल हमारे सत्र का अंतिम दिन है। माननीय अजय भट्ट जी ने जो प्रश्न उठाया है, नारायण पाल जी ने उठाया है। (घोर व्यवधान)

सभी माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि सदन को व्यवस्थित रूप से चलाने में सहयोग करें। सत्तापक्ष पूरी तरह से आपका उत्तर देगी, जब सदन व्यवस्थित चलेगा तभी तो सत्तापक्ष उत्तर देगी। यदि आप बीच में ही कहेंगे कि अभी उत्तर दें तो यह सम्भव नहीं है। (व्यवधान)

मान्यवर, आप प्रोटेम स्पीकर रहे हैं। मान्यवर, आपकी नोटिस में मुकदमे की कोई धारा नहीं है। (घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हमारे विधायक श्री हरबंस कपूर, विधायक श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, पूर्व वित्त मंत्री डा0 रमेश पोखरियाल सहित 99 महिला व पुरुष कार्यकर्ता गम्भीर रूप से घायल हो गये। घायलों के ऊपर पुलिस ने अनेकों संगीन धाराओं में मुकदमे कायम किये गये हैं। सम्पूर्ण प्रदेश में जनता में आक्रोश व्याप्त है।

मान्यवर, मुकदमे दायर किये गये हैं तो उसकी जुडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिए और झूठे मुकदमे वापस होने चाहिए। (व्यवधान)

* श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, कल इसकी चर्चा स्वीकार कर लें।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी कह रही हैं कि वह सभी सूचनाओं को सुनने को तैयार हैं, अतः मेरा अनुरोध है कि जो यह दो–तीन विषय हैं उन पर चर्चा करा लें चाहे सदन 1–2 दिन के लिए बढ़ा लें। मान्यवर, नियम–56 में ग्राह्यता पर बात होती है उस पर चर्चा नहीं हो पाती है और उस पर आपका उत्तर आ जाता है। चूंकि संगीन विषय आ रहे हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि इन तीन विषयों पर चर्चा करा लें।

श्री अध्यक्ष–

आप कल नोटिस दे दें, मैं गुण–अवगुण के आधार पर देख लूंगा। आप ऐसा माहौल तो बनाइये, मैं सुनने के लिए तैयार हूं।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* श्री प्रदीप टम्टा–

मान्यवर, पिछले 2–3 दिनों से इस सदन की अवमानना हुई है। मान्यवर, इस सदन की अवमानना की नोटिस हमने लगाई है, तो मैं चाहता हूं कि इस नोटिस पर चर्चा हो।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे कल सुन लूंगा।

श्री प्रदीप टम्टा–

मान्यवर, ये फासीवादी लोग हैं जो कि सदन को व्यवस्थित तरीके से नहीं चलाना चाह रहे हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, फासीवादी हम हैं कि ये लोग हैं जो कि उत्तर नहीं देना चाहते। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य वेल में खड़े होकर नारे लगाने लगे–घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तरांचल विश्वविद्यालय में विधान सभा सदस्यों को नामित करने सम्बन्धी प्रस्ताव

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री [डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश]–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1972 की धारा 10 की उपधारा (छ) के अधीन गोविन्द वल्लभ पन्त कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर की प्रबन्ध कार्यकारिणी के पदेन सदस्य, के रूप में उत्तरांचल विधान सभा से दो माननीय सदस्य, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 22 की उपधारा (15) के अधीन हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय, गढ़वाल तथा कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल की सभा के सदस्य के रूप में विधान सभा के पांच–पांच माननीय सदस्य तथा देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 की धारा 19 की उपधारा (ल) के अधीन देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के व्यवस्थापक मण्डल में सदस्य के रूप में विधान सभा के तीन माननीय सदस्यों का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1972 की धारा 10 की उपधारा (छ) के अधीन गोविन्द वल्लभ पन्त कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर की प्रबन्ध कार्यकारिणी के पदेन सदस्य के रूप में उत्तरांचल विधान सभा से दो माननीय सदस्य, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 22 की उपधारा (15) के अधीन हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय, गढ़वाल तथा कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल की सभा के सदस्य के रूप में विधान सभा के पांच–पांच माननीय सदस्य तथा देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 की धारा 19 की उपधारा (ल) के अधीन देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार के व्यवस्थापक मण्डल में सदस्य के रूप में विधान सभा के तीन माननीय सदस्यों का निर्वाचन करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1972 की धारा 10, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 22 तथा देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 की धारा 19 के सन्दर्भ में आज दिनांक 17 दिसम्बर, 2002 को सदन द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसरण में यह सदन सन्दर्भित विश्वविद्यालयों की प्रबन्ध कार्यकारिणी, विश्वविद्यालयों की सभा तथा व्यवस्थापक मण्डल में कार्य करने हेतु निर्धारित संख्या में, माननीय सदस्यों को नामित करने हेतु माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को प्राधिकृत करता है तथा इस प्रकार नामित सदस्य विधान सभा द्वारा विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1972 की धारा 10, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 22 तथा देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 की धारा 19 के सन्दर्भ में आज दिनांक 17 दिसम्बर, 2002 को सदन द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसरण में यह सदन सन्दर्भित विश्वविद्यालयों की प्रबन्ध कार्यकारिणी, विश्वविद्यालयों की सभा तथा व्यवस्थापक मण्डल में कार्य करने हेतु निर्धारित संख्या में, माननीय सदस्यों को नामित करने हेतु माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को प्राधिकृत करता है तथा इस प्रकार नामित सदस्य विधान सभा द्वारा विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (द्वितीय उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2002

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री [डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश]–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (द्वितीय उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (द्वितीय उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (द्वितीय उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करती हूं।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (द्वितीय उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (द्वितीय उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (द्वितीय उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2002

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

   (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (द्वितीय उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2002 कहा जायेगा।

   (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. मूल अधिनियम की धारा 17–क में संशोधन–

   मूल अधिनियम की धारा 17–क को निम्नवत् संशोधित समझा जायेगा–

   (1) मूल अधिनियम की धारा 17–क में शब्द "दो लाख रुपये से अनधिक" के स्थान पर शब्द "तीन लाख रुपये से अनधिक" रख दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डॉ0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (द्वितीय उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (द्वितीय उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 300, 301 एवं 56 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं के सम्बन्ध में

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 300, 301 तथा 56 के अन्तर्गत जितनी भी सूचनायें प्राप्त हुई हैं, उन सभी को मैं अस्वीकार करता हूं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या 15 पर श्री प्रकाश पंत और श्री बिशन सिंह चुफाल का नाम पुकारे जाने पर वे खड़े नहीं हुए)

(व्यवधान)

उत्तरांचल आयुर्विज्ञान परिषद् विधेयक, 2002

* चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तरांचल आयुर्विज्ञान परिषद् विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल आयुर्विज्ञान परिषद् विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–33 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तरांचल आयुर्विज्ञान परिषद् विधेयक, 2002

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

भाग–1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भिकी

1. (1) यह विधेयक उत्तरांचल आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 2002 कहलायेगा।

(2) यह विधेयक उत्तरांचल राज्य की सम्पूर्ण परिधि को आच्छादित करेगा।

(3) यह दिनांक 30–10–2002 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएं

2. इस विधेयक में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(1) "नियत दिन" से वह दिन अभिप्रेत है जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत किया गया हो।

(2) "आकस्मिक रिक्ति" का तात्पर्य ऐसी रिक्ति से भिन्न रिक्ति से होगा जो किसी कार्यालय में चुनाव अथवा नामांकन से भरे जाने वाले पद पर समय बीत जाने से रिक्त हो।

(3) "परिषद्" का तात्पर्य इस विधेयक के तहत बनी आयुर्विज्ञान परिषद् से होगा।

(4) "उत्तरांचल" का तात्पर्य राज्य के अन्तर्गत समस्त क्षेत्र से होगा जो उत्तरांचल में आता हो।

(5) "कार्यकारी समिति" का तात्पर्य उत्तरांचल आयुर्विज्ञान परिषद् की कार्यकारी समिति से होगा जो विधेयक की धारा 11 द्वारा बनी होगी।

(6) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल सरकार से होगा।

(7) "मेडिकल प्रेक्टीशनर" या "प्रेक्टीशनर" का तात्पर्य उस व्यक्ति से होगा जो आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति व उसके अन्तर्गत आने वाली शाखाओं में से किसी शाखा के अन्तर्गत कार्यरत हो एवं जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (केन्द्रीय अधिनियम, 102 वर्ष 1956) की प्रथम, द्वितीय व तृतीय अनुसूची में विहित अर्हता का धारक हो।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(8) "औषधि" का तात्पर्य आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति की औषधियों से है एवं शल्य चिकित्सा व प्रसूति (आब्सेटैट्रिक्स) में प्रयुक्त होने वाली औषधियों व चिकित्सा उपचार हेतु प्रयुक्त होने वाली सामग्री को भी सम्मिलित करेगा परन्तु जिसमें पशु चिकित्सा हेतु औषधियां व शल्य उपकरण, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक अथवा सिद्ध अथवा यूनानी पद्धति की दवायें नहीं आयेगी। "मेडिकल" शब्द उपरोक्त परिभाषित अर्थ से तात्पर्यायित होगी।

(9) "सदस्य" का तात्पर्य परिषद् के सदस्य से होगा।

(10) "विहित करने" का तात्पर्य इस विधेयक व उसके अन्तर्गत बने नियमों द्वारा जो विहित किया गया हो।

(11) "अध्यक्ष" का तात्पर्य परिषद् के अध्यक्ष से होगा।

(12) "उपाध्यक्ष" का तात्पर्य परिषद् के उपाध्यक्ष से होगा।

(13) "पंजिका" का तात्पर्य चिकित्सा व्यवसायियों की उस पंजिका से होगा जो विधेयक के अथवा उसके अन्तर्गत बनी तथा संरक्षित की गयी हो।

(14) "पंजीकृत चिकित्सक" का तात्पर्य उस चिकित्सक से होगा जो पंजीकरण हेतु निर्धारित योग्यता जैसा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (केन्द्रीय अधिनियम, 102 वर्ष 1956) द्वारा विहित है, रखता हो और जिसका नाम प्रयोज्य समय से पंजिका में अंकित हो किन्तु यह उन व्यक्तियों के संबंध में लागू नहीं होगा जिनका नाम अनन्तिम रूप से पंजिका में अंकित किया गया है।

(15) "निबन्धक" व "उप निबन्धक" का तात्पर्य परिषद् के निबन्धक व उप निबन्धक से होगा जो विधेयक की धारा 14 द्वारा नियुक्त किया गया हो।

(16) "नियम" का तात्पर्य उन नियमों से होगा जो विधेयक की धारा 31 के अन्तर्गत बनाये गये हों।

(17) "भाग" का तात्पर्य इस अधिनियम के भाग से है।

भाग-2

परिषद् की स्थापना

परिषद् का संविधान व सहभागिता

3. (1) राज्य सरकार विधेयक के लागू किये जाने की तिथि राजपत्र द्वारा अधिसूचित कर प्रकाशित करेगा। विधेयक के तहत एक परिषद् का गठन किया जायेगा जो "उत्तरांचल आयुर्विज्ञान परिषद्" कहलायेगा। संविधान, दायित्व एवं परिषद् के अधिकार

(2) परिषद् एक निगमित निकाय होगा जिसका एक स्थायी उत्तराधिकार सूत्र व मोहर होगा, उसे चल-अचल सम्पत्ति के क्रय-विक्रय तथा अपने धारण में रखे जाने के अधिकार होंगे तथा वह संविदा आमंत्रित कर उन सभी कार्यों की सम्पादना कराये जाने हेतु सक्षम भी होगा जो विधेयक द्वारा वांछित हो, उसे वाद चलाने व लड़ने के भी अधिकार होंगे।

(3) परिषद् के निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(क) छः सदस्य जो कि पंजीकृत होने की योग्यता जैसा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (केन्द्रीय अधिनियम, 102 वर्ष 1956) द्वारा विहित है, रखते हों, राज्य सरकार द्वारा नामित किये जायेंगे।

(ख) उत्तरांचल राज्य में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त प्रत्येक मेडिकल कालेजों के मेडिकल फैकल्टी द्वारा उनके शिक्षकों में से चुने गये एक सदस्य।

(ग) चार सदस्य जो राज्य के पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी में से चुने जायेंगे जिसमें एक सदस्य उत्तरांचल चिकित्सा संघ से भी चुना जायेगा।

परन्तु ऐसे किसी पंजीकृत चिकित्सक को चुनाव में वोट डालने या लड़ने का अधिकार नहीं होगा जो :–

(i) भारत का नागरिक न हो, एवं

(ii) वह उत्तरांचल में न रहता हो एवं उत्तरांचल में अपना व्यवसाय न करता हो व उत्तरांचल में नियुक्त न हो।

(घ) राज्य के विश्वविद्यालयों के चिकित्सा संकाय के अध्यक्ष पदेन सदस्य होंगे।

(ङ) राज्य के महानिदेशक, चिकित्सा सेवा, परिषद् के पदेन सदस्य होंगे।

(4) परिषद् के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष परिषद् के चुने सदस्यों के बीच में से चुने जायेंगे।

(5) परिषद् के सदस्य, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चयन के समय की संख्या व प्रक्रिया नियमों द्वारा विहित की जायेगी।

(6) यदि किसी चुनाव में चुनने वाले सदस्य अपेक्षित संख्या में सदस्यों का चुनाव व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाते तो राज्य सरकार को अधिकार होगा कि वह रिक्तियों को भरने हेतु योग्य व्यक्तियों में से प्रत्येक कोटि के सदस्य को नामित करें। नामांकित व्यक्तियों को उस समय तक काम देखने का अधिकार होगा जब तक कि रिक्तियों के इस भाग के अनुरूप नियमित रूप से न भर ली जाये।

(7) जब कभी परिषद् के सदस्य, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न होगा तो वह समाधान हेतु राज्य सरकार को संदर्भित होगा एवं उस पर राज्य सरकार द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

(8) विधेयक की धारा 1, उपधारा (3) में निम्न व्यवस्थायें वांछित नहीं होगी–

(क) जो राज्य सरकार द्वारा परिषद् के गठन हेतु प्रथम बार की गयी हो जिसमें राज्य सरकार प्रत्येक कोटि के लिये उन्हीं व्यक्तियों को नामित करेगी जो चुने जाने हेतु निर्धारित अर्हतायें रखते हों।

(ख) उपरोक्त प्रकार से चुने गये सदस्य उस समय तक के लिये अपने कार्य का निर्वहन करेंगे, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्धारित किया जाय। ऐसे सदस्यों का कुल संकलित कार्यकाल तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा अथवा जो सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित कर निर्धारित किया जाय।

4. (1) सरकार राजकीय राजपत्र में समस्त सदस्यों का नाम प्रकाशित करेगी। परिषद् का कार्यकाल

(2) विधेयक द्वारा अन्यथा आरक्षित किये गये प्राविधानों के अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल उपरोक्त उपधारा (1) के तहत अधिसूचित तिथि से पांच साल का होगा :

परन्तुक–

ऐसे व्यक्ति जिनकी सदस्यता चिकित्सा संकाय के शिक्षकों द्वारा चुनी हुई हो अथवा पदेन हो, स्वतः उनके मूल पद की सदस्यता के साथ परिषद् के कार्यकाल से पूर्व समाप्त हो जायेगी।

(3) विधेयक द्वारा सुरक्षित प्राविधानों के अतिरिक्त परिषद् के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का कार्गकाल उसके परिषद् की सदस्यता के समाप्ति के दिन समाप्त हो जायेगी।

(4) किसी सदस्य के कार्यकाल की समाप्ति उपधारा (2) में प्रदत्त होते हुए भी उस समय तक बढ़ जायेगी एवं उपधारा (1) द्वारा उत्तराधिकारी के नाम के प्रकाशन के पूर्व दिन तक की मानी जायेगी।

(5) परिषद् के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के कार्यकाल की समाप्ति उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त होते हुए भी स्वतः बढ़कर उत्तराधिकारी के चुनाव की तिथि के पूर्व तिथि को समाप्त होगी।

(6) परिषद् के सदस्य, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष मात्र एक और लगातार सत्र हेतु चुनाव लड़ने व नामांकित होने के अधिकारी होंगे।

(7) परिषद् को अपने किसी सदस्य को एक लगातार क्रम में छः माह से अधिक अनुपस्थित रहने हेतु अवकाश दिये जाने का अधिकार न होगा।

5. (1) परिषद् के चुने हुए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा सदस्य की आकस्मिक रिक्ति धारा 3 की उपधारा (3) के खण्ड (क) अथवा (ग) द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों में से ही चुनाव द्वारा की जायेगी। आकस्मिक रिक्तियां

परन्तुक–

यदि यह रिक्ति सम्पूर्ण परिषद् के समय समाप्त होने के छः माह पूर्व हो तो नहीं भरी जायेगी।

(2) विधेयक की धारा 3 की उपधारा (3) खण्ड (1) अथवा उपधारा (8) के अन्तर्गत नामांकित सदस्य के आकस्मिक रिक्ति की सूचना परिषद् द्वारा तुरन्त सरकार को दी जायेगी, जिसे सरकार द्वारा फिर नामांकित कर भरा जायेगा।

(3) धारा 3 अथवा धारा 4 की उपधारा (1) व (2) द्वारा चुने अथवा नामांकित हुए व्यक्ति की आकस्मिक रिक्ति मात्र परिषद् के उतने कार्यकाल के लिये होगी जितनी अवधि रिक्ति के समय से संबंधित सदस्य की अवशेष होगी, इसमें उपधारा (8) की उक्ति बाधक नहीं होगी।

त्यागपत्र

6. (1) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष किसी भी समय अपने पद से परिषद् के निबन्धक को सूचित करते हुए त्यागपत्र दे सकता है। वह त्यागपत्र उस दिन से मान्य होगा जिस तिथि से इसे परिषद् द्वारा स्वीकार किया जायेगा अथवा सूचित करने की तिथि से 60 दिन की समयावधि के भीतर या दोनों में से जो पहले हो।

(2) परिषद् के चुने हुए सदस्य अथवा नामांकित सदस्य अपना त्यागपत्र लिखित रूप में किसी भी समय निबन्धक के माध्यम से अध्यक्ष को अथवा सरकार को दे सकेंगे। यह त्यागपत्र उस दिन से मान्य होगा जिस दिन से अध्यक्ष द्वारा या सरकार द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया हो अथवा त्यागपत्र की सूचना भेजने के 60 दिन से अधिक समय व्यतीत हो गया हो अथवा जो पहले हो।

निरर्हता अथवा निर्योग्यता

7. (1) चुने हुए अथवा नामांकित सदस्य को निम्न कारणों से चुनाव हेतु अथवा नामांकन हेतु अथवा पद पर निरन्तर बने रहने हेतु अयोग्य घोषित किया जायेगा, यदि–

(क) वह दिवालिया घोषित हो चुका हो, अथवा

(ख) वह अस्वस्थ मस्तिष्क का हो; और

किसी अधिकृत न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो; अथवा

(ग) यदि उसका नाम राज्य की पंजिका से निकाल दिया गया हो एवं दोबारा उसमें न लिखा गया हो, अथवा

(घ) यदि वह परिषद् का पूर्णकालिक कर्मचारी हो अथवा यदि उसे किसी अनैतिक कारणों में लिप्त होने के कारण न्यायालय द्वारा सजा सुना दी गयी हो।

(2) यदि कोई सदस्य परिषद् की लगातार तीन बैठकों में धारा 4 की उपधारा (7) के अन्तर्गत स्वीकृत अवकाश लिये बिना अथवा किसी अन्य कारण से जो परिषद् के विचार से उसकी सीट को रिक्त घोषित करने हेतु पर्याप्त हो, भाग न लिया हो, तो परिषद् उस सीट को रिक्त घोषित कर रिक्ति को पूर्ण करने हेतु कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

(3) यदि कोई सदस्य अपने कार्यालय में उप धारा (1) में वर्णित कारणों से अनर्ह घोषित किया जाय तो परिषद् इस आशय की एक आख्या शासन को देगी। यदि सरकार अयोग्यता के कारणों से सन्तुष्ट होती है तो परिषद् उस सीट को रिक्त घोषित कर देगी।

परिषद् की बैठक

8. (1) परिषद् की बैठक बुलाना, करना व संचालन किया जाना नियमों द्वारा विहित किया जायेगा।

(2) अध्यक्ष जब उपस्थित हो तो वह परिषद् की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा। यदि दोनों अनुपस्थित हों तो परिषद् के सामान्य सदस्यों में से चुना हुआ कोई सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) परिषद् की बैठक में किसी विवादित विषय को उस बैठक में उपस्थित सदस्यों के वोट के बहुमत से तय किया जायेगा।

(4) किसी बैठक के पीठासीन अधिकारी को उस समय वोट देने का अधिकार प्राप्त होना जब किसी विषय पर पक्ष व विपक्ष के वोट समान हों।

(5) परिषद् के किसी बैठक की गणपूर्ति (कोरम) छः सदस्यों से जिनमें अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भी सम्मिलित होंगे, पूर्ण होगी। जब किसी बैठक में उपरोक्त गणपूर्ति पूर्ण नहीं हो पा रही हो तो पीठासीन अधिकारी कम से कम गणपूर्ति हेतु 30 मिनट तक प्रतीक्षा करने के उपरान्त बैठक को उस दिन अथवा अगले दिन तक के लिए स्थगित कर सकेगा और इसकी सूचना परिषद् के सूचना पट पर अंकित की जायेगी। परिषद् की अगली बैठक में विवादित विषय को रखा जायेगा और गणपूर्ति के अभाव में भी उसे निस्तारित किया जा सकेगा।

बैठक का कार्यवृत्त एवं कार्यवाही की वैधता

9. (1) परिषद् की प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त गोपनीय होगा एवं कोई भी व्यक्ति परिषद् के पूर्व संकल्प के बिना बैठक की कार्यवाही अथवा उसके किसी अंश को प्रकट नहीं करेगा

परन्तुक–

कोई व्यक्ति परिषद् की बैठक के उन निर्णयों को प्रकट अथवा प्रकाशित कर सकेगा जिसके लिए परिषद् द्वारा संकल्प लिया जा चुका है एवं यदि परिषद् ने किसी संकल्प द्वारा प्रकाशन को सर्वथा गोपनीय रखने का संकल्प न लिया हो।

(2) किसी भी व्यक्ति द्वारा परिषद् की सदस्यता अथवा अध्यक्षता उपाध्यक्ष अथवा किसी बैठक के पीठासीन अधिकारी की हैसियत से किये गये कार्य, उनके चुनाव अथवा नामांकन के दोष अथवा निअर्हता के कारण समाप्त नहीं होगी अथवा परिषद् के उन बैठकों की कार्यवाही जिसमें उनके द्वारा अध्यक्षता की गयी हो भी वांछित नहीं होगी। यदि बैठक के निर्णय सदस्यों के बहुमत के आधार पर लिये गये हों।

(3) जब परिषद् का कोई पद रिक्त हो तो परिषद् के निरन्तर बने सदस्य इस प्रकार का कार्य करेंगे जैसे कि वह रिक्ति घटित न हुई हो।

(4) परिषद् द्वारा किये गये किसी भी कार्य पर मात्र इस आशय से प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जा सकेगा कि उसमें कोई रिक्ति रह गई हो अथवा परिषद् के गठन में किसी प्रकार का दोष हो।

परिषद् के अधिकार, कर्तव्य एवं कृत्य

10. विधेयक के अधीन रहते हुए अथवा नियमों द्वारा विहित परिषद् के अधिकार, कर्तव्य एवं कृत्य निम्न होंगे :–

(क) एक पंजिका जीवित चिकित्सकों हेतु तैयार किया जाना अनुरक्षित करना एवं चिकित्सा व्यावसायियों के पंजीकरण की व्यवस्था करना।

(ख) निबन्धक के निर्णय के विरुद्ध की गयी अपील को निस्तारित करना।

(ग) चिकित्सा व्यावसायियों हेतु आचार संहिता तथा व्यावसायिक आचरण को विहित किया जाना।

(घ) चिकित्सकों को दण्ड देना, निलम्बित करना अथवा उसका नाम राजकीय पंजिका से विलुप्त करना व उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करना। जैसा कि परिषद् की राय में उचित एवं आवश्यक हो।

(ङ) अन्य सब वे अधिकार, दायित्व एवं कर्तव्य का अनुपालन सुनिश्चित करना जो इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त हों अथवा नियमों द्वारा विहित किये जायें।

(च) जन साधारण की शिकायतों (जिसमें मरीज व उसके परिजन) जो किसी चिकित्सा व्यावसायी के विरुद्ध अभद्र आचरण अथवा अपेक्षापूर्ण कर्तव्य से संबंधित हो, को प्राप्त करना तथा उसकी विवेचना करना एवं मामलों को गुणदोष के आधार पर निर्णय लेते हुए यदि आवश्यक हो तो वादी को प्रतिकर की अदायगी करना तथा साथ ही यदि शिकायत आधारहीन हो तो शिकायतकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही करना।

(छ) परिषद् के सदस्यों को अपने व्यावसायिक दायित्वों के निर्वहन में संरक्षण देना।

(ज) यह सुनिश्चित करना कि कोई भी निअर्ह व्यक्ति आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से चिकित्सकीय कार्य न कर रहा हो।

कार्यकारी समिति

11. (1) परिषद् शीघ्र एक कार्यकारी समिति का गठन करेगी, जिसके अध्यक्ष पदेन सदस्य होंगे तथा परिषद् के अन्य सदस्य उसके सदस्य होंगे जो परिषद् के चुने हुए सदस्यों से चुनें जायेंगे अथवा जैसा विहित हो।

(2) समिति का कार्यकाल तथा इसके सदस्यों की आकस्मिकता को भरने व सदस्यों द्वारा कार्य में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया वही होगी जो नियमों द्वारा विहित होगी।

(3) समिति को विधेयक द्वारा सौंपे गये कार्य, अधिकार एवं कर्तव्य, के अतिरिक्त वह सब अधिकार प्राप्त होंगे एवं उन कर्तव्यों व दायित्वों का निर्वहन करना होगा जैसा कि परिषद् द्वारा नियमों के अन्तर्गत प्रत्यायोजन किया जाय अथवा परिषद् द्वारा सौंपे जाय।

(4) परिषद् का अध्यक्ष कार्यकारी समिति का पदेन सभापति होगा।

परिषद् के सदस्यों व कार्यकारी समिति के सदस्यों को दी जाने वाली फीस व भत्ते

12. परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों तथा इसकी कार्यकारी समिति के सदस्यों को प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने के लिए फीस व सुसंगत यात्रा भत्ता आदि जैसा समय–समय पर विहित होगा, देय होगा।

परिषद् का आय–व्ययक

13. (1) परिषद् के आय के निम्न श्रोत होंगे :–

(क) चिकित्सा व्यावसायियों से प्राप्त पंजीकृत शुल्क;

(ख) सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता राशि;

(ग) परिषद् द्वारा उगाही गयी अन्य कोई राशि।

(2) परिषद् निम्न व्यय भार वहन करने के लिए स्वयं सक्षम होगी :–

(क) निबन्धक एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों का भुगतान;

(ख) परिषद् एवं कार्यकारी समिति के सदस्यों को दी जाने वाली फीस एवं भत्ते;

(ग) किसी कार्य हेतु निर्धारित पारिश्रमिक;

(घ) ऐसा कोई अन्य व्यय जो अधिनियम के अन्तर्गत दायित्वों एवं कार्य संचालन के लिए आवश्यक हो।

परिषद् के निबन्धक, उप निबन्धक की नियुक्ति एवं उनके कर्तव्य व कृत्य

14. (1) परिषद् राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से निबन्धक अथवा उप निबन्धक पद पर उस व्यक्ति की नियुक्ति करेगी जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (केन्द्रीय अधिनियम 102 वर्ष 1956) की अनुसूची (एक) (दो) व (तीन) द्वारा विहित अर्हताधारक चिकित्सा स्नातक हो।

(2) परिषद् निबन्धक को समय-समय पर अवकाश दे सकेगी।

परन्तु अवकाश की अवधि एक माह से अधिक नहीं होगी, अवकाश अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

(3) किसी निबन्धक के पद की अस्थायी रिक्ति जो अवकाश या किसी अन्य कारण से हो, उप निबन्धक द्वारा निबन्धक के कार्य को देखा जायेगा। निबन्धक तथा उप निबन्धक की अनुपस्थिति में कार्यकारी समिति सरकार से पूर्व स्वीकृति लेकर उस पद पर कार्य करने हेतु व्यक्ति को नियुक्त करेगी। नियुक्ति की इस अवधि में इस व्यक्ति के कृत्य को अधिनियम के अन्तर्गत निबन्धक द्वारा किया गया कार्य माना जायेगा।

परन्तु जब यह अवधि एक माह से अधिक न हो तो नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा की जा सकेगी एवं जिसकी सूचना तुरन्त कार्यकारी परिषद् तथा सरकार को दी जानी आवश्यक होगी।

(4) परिषद् सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर किसी ऐसे व्यक्ति को जो निबन्धक नियुक्त हुआ हो, को निलम्बित अथवा अपसारित कर सकेगी अथवा उस पर किसी प्रकार का अर्थदण्ड जैसा नियमों द्वारा विहित हो लगा पायेगी।

(5) विधेयक द्वारा अन्य रूप से अनुरक्षित किये गये के अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्तें निबन्धक की वही होंगी जैसी विहित की जायेगी।

(6) निबन्धक परिषद् का सचिव तथा अधिशासी अधिकारी भी होगा व परिषद् व कार्यकारी समिति की समस्त बैठकों में भाग लेगा एवं बैठकों के कार्यवृत्त व उस बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के नाम आदि का विवरण रखेगा।

(7) परिषद् का लेखा जोखा निबन्धक द्वारा नियमों द्वारा विहित ढंग से रखा जायेगा।

(8) निबन्धक द्वारा परिषद् के कर्मचारियों पर पर्यवेक्षकीय अधिकारी जैसा नियमों द्वारा विहित हो, प्रयोग किया जायेगा एवं अन्य वे सब कर्तव्य व कृत्य जैसा विधेयक द्वारा प्रदत्त हो किये जायेंगे।

(9) निबन्धक भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अधीन वर्णित लोक सेवक होगा।

भाग–3

पंजिका की तैयारी एवं अनुरक्षण

पंजिका की तैयारी

15. (1) जैसे ही विधेयक के प्रभावी होने की तिथि निर्धारित हो जायेगी, निबन्धक द्वारा विधेयक के प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तरांचल के चिकित्सा व्यावसायियों को पंजीकृत करने हेतु एक पंजिका तैयार की जायेगी एवं उसे अनुरक्षित किया जायेगा।

(2) पंजिका नियमों द्वारा विहित प्रकार से एक भाग अथवा अनेक भागों में विभक्त कर रखा जायेगा और पंजिका में निम्न विवरण उपलब्ध कराये जायेंगे :–

(क) आवेदक का पूरा नाम, उसकी पूर्ण शैक्षिक योग्यता, विद्यालय/विश्वविद्यालय के नाम सहित आवेदक द्वारा प्राप्त की गयी प्रत्येक शैक्षिक अर्हता की तिथि एवं अन्य विवरण जो नियमों द्वारा विहित किये जायें, पंजिकायुक्त किये जायेंगे।

(3) कोई व्यक्ति जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (केन्द्रीय अधिनियम 102 वर्ष 1956) की अनुसूची (एक) (दो) व (तीन) की अर्हता रखता हो तथा भारतीय चिकित्सा परिषद् विधेयक की सभी शर्तों को पूर्ण करता हो, किसी भी समय विहित प्रारूप पर निबन्धक के समक्ष आवेदन कर सकेगा एवं निर्धारित शुल्क व अपने को पंजीकृत की जाने वाली योग्यता के साक्ष्य प्रस्तुत करने पर अपना नाम पंजिका में अंकित करा सकेगा।

(4) (क) वह प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम दिनांक 1 मई, 1961 से निरन्तर भारतीय चिकित्सा परिषद् की पंजिका में अंकित रहा हो तथा उसकी निरन्तरता इस विधेयक के प्रभावी होने के पूर्व दिवस तक रही हो, वह इस विधेयक के अन्तर्गत तैयार की गयी पंजिका में पंजीकृत होने के लिये अधिकृत होगा।

(ख) इस विधेयक के प्रभावी होने की तिथि के तीन माह के अन्दर अथवा सरकार द्वारा निर्धारित की गयी समय सीमा के अन्दर निबन्धक सरकारी गजट में पंजीकृत नाम सामान्य सूचना हेतु अथवा समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा जैसा कि परिषद् द्वारा निर्धारित किया गया हो प्रत्येक उस व्यक्ति से जो खण्ड (क) के अनुपालन में पंजीकृत होने योग्य हो, से निर्धारित प्रारूप पर निर्धारित फीस व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करने को कहेगा। यदि वह व्यक्ति इस विधेयक के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहता हो। वह उन प्रत्येक व्यक्तियों को अलग से पंजीकृत डाक अथवा नियमों द्वारा विहित अन्य किसी तरीके से उनके अन्तिम जानकार पते पर सूचना भेजेगा। प्रत्येक उस

व्यक्ति को जिसने जन साधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किये गये राजपत्र द्वारा सूचित तिथि के दो माह के अन्दर अथवा सूचना के कालातीत होने के पूर्व फीस आदि जमा कर दी हो, को निबन्धक पंजिका में नामावलिगत करेगा।

(5) विधेयक की धारा 4 के खण्ड (ख) के अनुरूप निर्धारित शुल्क जमा किये जाने हेतु समय के व्यतीत हो जाने तथा उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत पंजिका के तैयार हो जाने के पश्चात् निबन्धक द्वारा जैसा कि परिषद् द्वारा चाहा गया हो उसी प्रकार से राजकीय गजट समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा कि पंजिका तैयार हो चुकी है एवं पंजिका सरकारी गजट द्वारा निर्धारित तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

(6) कोई व्यक्ति जो उत्तरांचल राज्य की परिधि में आधुनिक चिकित्सा पद्धति द्वारा चिकित्सकीय सेवा अथवा चिकित्सा व्यवसाय में लिप्त हो तो विधेयक के अन्तर्गत पंजीकृत होगा। परिषद् द्वारा पंजीकरण के अभाव में कोई व्यक्ति जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति में निर्धारित की गयी योग्यता रखता हो, परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट कार्यवाही का भागी होगा।

(7) प्रत्येक पंजीकृत चिकित्सक को नियमों द्वारा विहित प्रारूप पर एक प्रमाण–पत्र दिया जायेगा। पंजीकृत चिकित्सक इस प्रमाण पत्र को अपने व्यवसाय के किसी सहज दृश्य स्थान पर दृष्टिगत होने के लिये लगायेगा एवं यदि चिकित्सक एक से अधिक स्थान पर अपना चिकित्सा व्यवसाय संचालित करता है तो अपने द्वारा किये जा रहे एक व्यवसाय के स्थान पर उसे लगायेगा।

कतिपय दशा में पंजीकरण की प्रक्रिया

16. (1) वे स्वैच्छिक अर्हतायें जो किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त हो, जिनका स्थान भारतीय राज्य क्षेत्र से बाहर हो (उन अर्हताओं से जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1956 की अनुसूची (2) व (3) के अन्तर्मुक्त न हो) इस विधेयक के अन्तर्गत बिना उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त प्रक्रिया को पूर्ण कराये पंजीकृत नहीं किया जायेगा।

(2) वह व्यक्ति जो इस प्रकार की चिकित्सा अर्हता रखता हो, को परिषद् के सम्मुख अपनी अर्हता सम्बन्धी सही जानकारी देनी होगी जिससे उसे अपनी डिग्री, डिप्लोमा, लाइसेंस अथवा प्रमाण–पत्र जमा करना होगा। परिषद् उनको भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् को उनकी राय के लिये भेजेगी तथा उनकी राय के अनुरूप ही कार्यवाही करेगी।

वे व्यक्ति जिन्हें पंजीकृत नहीं किया जाना है

17. धारा 15 व 16 में वर्णित अर्हताओं के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसका नाम विधेयक के अन्तर्गत बिना पंजिका के पूर्व अथवा बाद की तिथि को भारत के किसी भी भाग में इस विधेयक अथवा किसी अन्य नियमों के उल्लंघन में जो चिकित्सा व्यावसायी के पंजीकरण से संबंधित हो व्यापारिक अव्यवहार के आधार पर पंजिका से निकाल दिया गया हो, वह

व्यक्ति अपना नाम पंजिका में अंकित कराने से वारित रहेगा, जब तक कि उसका नाम उस पंजिका में सम्यक आदेशों के अन्तर्गत पुर्नस्थापित न कर दिया गया हो।

अनन्तिम पंजीकरण प्रमाण–पत्र हेतु शुल्क

18. (1) जो व्यक्ति भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (केन्द्रीय अधिनियम 102, वर्ष 1956) की धारा 25 के अनुसार अनन्तिम रूप से पंजीकृत होना चाहेगा, वह निबन्धक को एक आवेदन–पत्र एवं शुल्क अदा करेगा।

(2) प्रत्येक उस व्यक्ति को जिसका नाम उपधारा (1) के अन्तर्गत पंजीकरण रजिस्टर में नामावलिगत हो को एक अनन्तिम पंजीकरण प्रमाण–पत्र दिया जायेगा एवं जो प्रमाण–पत्र पर लिखी अवधि व दिनांक से वैध व प्रवृत्त रहेगा।

पंजिका का अनुरक्षण

19. (1) निबन्धक का यह दायित्व होगा कि वह पंजिका में प्रविष्टि करे, समय–समय पर यदि आवश्यक हो तो उनका परिशोधन करे एवं पंजीकरण के प्रमाण–पत्र विधेयक के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमों के अनुरूप जारी करें।

(2) (क) प्रत्येक मृत्यु का पंजीकरण करने वाले निबन्धक का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी चिकित्सा व्यवसायी की मृत्यु की प्रथम सूचना मिलते ही इस विधेयक के अन्तर्गत नियुक्त निबन्धक को डाक द्वारा सूचित करे जिसमें उसके हाथ का बना मृत्यु प्रमाण–पत्र, मृत्यु का कारण, समय व स्थान अंकित होंगे। जिस पर तथा सूचना देने पर हुए अपने कार्यालय व्यय को प्राप्त करने का वह अधिकारी होगा।

(ख) उन पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों को जिनकी मृत्यु हो चुकी हो अथवा जिनके नाम को विलोपित किये जाने की संस्तुति विधेयक की धारा 22 द्वारा प्रदत्त हो को पंजिका से विलोपित कर दिया जायेगा।

(3) कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम पंजिका में प्रविष्ट अथवा पंजीकृत कर लिया गया हो वह अपने नाम को पंजिका में परिवर्तित करने की इच्छा व्यक्त करता है तो उसे एक आवेदन–पत्र के साथ नियमों द्वारा विहित शुल्क देना होगा जिससे कि पंजिका में उसके परिवर्तित नाम का अंकन हो सके।

(4) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (केन्द्रीय अधिनियम 102, वर्ष 1956) की धारा 26 के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति अपने नाम का पंजीकरण किये जाने के बाद किसी अतिरिक्त अर्हता जो कि परिषद् के विधेयक की किसी सूची में दिया गया हो, को पंजीकृत कराना चाहता है तो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (केन्द्रीय अधिनियम 102, वर्ष 1956) की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हो, इस अंकन हेतु आवेदक इस प्रकार की अतिरिक्त अर्हता अपने नाम के सम्मुख अंकित कराने हेतु नियमों द्वारा निर्धारित शुल्क का आवेदन–पत्र देने के बाद अधिकारी होगा।

20\. (1) ऐसे समय में जो धारा 15 की उपधारा 5 के प्रस्तावित प्रकाशन की तिथि के बाद हो, जैसा परिषद् उपयुक्त मानता हो एवं उसके बाद प्रत्येक पांच वर्ष के उपरान्त निबन्धक प्रत्येक संशोधित उन सभी व्यक्तियों की सूची जिनके नाम की प्रविष्टि पंजिका में हो चुकी हो को छपवा कर प्रकाशित करायेगा जो किसी चुनाव प्रक्रिया के आरम्भ होने के तीन माह पूर्व सम्पन्न कर ली जायेगी। पंजीकृत चिकित्सकों की सूची को प्रकाशित किया जाना

(2) निबन्धक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रतिवर्ष या जैसी कि कार्यवाही समिति द्वारा तिथि निर्धारित की गयी हो एक पंजीकृत सूची को छपवाकर प्रकाशित करेगा अथवा अनुपूरक व एक शुद्धि–पत्र उस प्रकाशित अनुसूची के उपखण्ड (1) द्वारा स्थापित हो को दर्शाते हुए प्रकाशित करेगा।

(क) ऐसे सभी व्यक्तियों के नाम जो उस समय तक पंजिका में प्रविष्ट अथवा पुर्नप्रविष्ट किये गये हों एवं जो किसी अन्य उपलब्ध छपी हुई व प्रकाशित हुई सूची में सम्मिलित न किये गये हों।

(ख) उन चिकित्सकों के नाम जो विद्यमान में बन रही सूची में अंकित हो एवं जो नाम किन्हीं कारणों से किसी प्रकार से विलोपित कर दिया गया हो एवं जिसकी पंजिका में पुनः प्रविष्टि न की गयी हो एवं

(ग) अन्य कोई संशोधन जो विद्यमान सूची में आवश्यक हो।

(3) प्रकाशन जो उप खण्ड (1) द्वारा निर्धारित प्रारूप में किया जायेगा, में वे विवरण अंकित होंगे एवं उसके प्रकाशन की विधि वह होगी जो नियमों द्वारा विहित होगी।

(4) उपधारा (1) के अन्तर्गत तैयार की गयी सूची किसी भी न्यायालय के समक्ष तथा किसी भी न्यायिक अथवा अर्द्ध न्यायिक कार्य कार्यवाही के लिये निश्चायक साक्ष्य के रूप में मान्य होगी जो यह सिद्ध करेगी कि जो व्यक्ति इस सूची में विधेयक के प्राविधानों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट हो अथवा जिन व्यक्तियों के नाम इसमें उल्लिखित नहीं हैं, वे पंजीकृत अथवा अपंजीकृत माने जायेंगे जब तक कि प्रतिकूलता इस विधेयक के अन्तर्गत सिद्ध न हो जाय।

परन्तु

किसी स्थिति में यदि किसी व्यक्ति का नाम प्रकाशित सूची में आने से रह गया हो वह व्यक्ति निबन्धक से अपने नाम को पंजिका में अंकन होने की प्रमाणिक छाया प्रति प्राप्त करेगा जो इस विधेयक के अन्तर्गत उस व्यक्ति का विधेयक के अन्तर्गत पंजीकृत होने का साक्ष्य होगा।

अनुशासनिक कार्यवाही व पंजिका से नाम निकाला जाना

21. (1) परिषद् की एक अनुशासनिक समिति होगी जिसका गठन निम्नवत् होगा :–

(एक) सभापति – जो परिषद् नामित होगा।

(दो) एक सदस्य विधान सभा का – जो विधान सभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जायेगा।

(तीन) एक न्यायविद् जो न्याय विभाग द्वारा नामित किया जायेगा।

(चार) एक प्रतिष्ठित जन प्रतिनिधि जो शासन द्वारा नामित किया जायेगा।

(पांच) एक प्रतिष्ठित चिकित्सा विशेषज्ञ जो परिवाद संबंधी विषय में विशिष्टता रखता हो – परिषद् द्वारा नामित किया जायेगा।

(छः) उत्तरांचल राज्य चिकित्सा सेवा संघ का एक प्रतिनिधि जिसको चिकित्सा कार्य सम्पादन में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो।

(2) यदि किसी चिकित्सा व्यवसायी को नियमों द्वारा विहित तरीके से सम्यक जांचोपरान्त परिषद् अथवा कार्यकारी समिति द्वारा किसी उपचार हेतु दोषी पाया जाता है तो परिषद् –

(क) उस चिकित्सा व्यवसायी को चेतावनी दे सकती है अथवा

(ख) उस चिकित्सा व्यवसायी के नाम हेतु संस्तुति कर सकती है–

1. किसी निश्चित समय के लिये उसके नाम को पंजिका से हटाने हेतु

2. उस पंजिका से उसका नाम स्थायी रूप से हटाये जाने हेतु

स्पष्टीकरण – इस भाग के मूल्यांकन के लिये वह चिकित्सा व्यवसायी अवचार का दोषी होगा यदि –

(क) उसे किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा किसी अनैतिक अपराध हेतु दण्ड दिया गया हो जो अपराध दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (केन्द्रीय अधिनियम 2 वर्ष 1974) द्वारा संज्ञेय हो अथवा

(ख) यदि परिषद् की राय में उसका आचरण चिकित्सा व्यवसाय के संदर्भ में अपमानजनक हो अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा निर्धारित आचार संहिता जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (केन्द्रीय अधिनियम 102, वर्ष 1956) द्वारा बनाई गई है के विपरीत है।

(3) परिषद् द्वारा किसी चिकित्सा व्यवसायी जिसका नाम उपधारा 1 के अन्तर्गत पंजिका से निकाल दिया गया है पुनः लिखित तर्कसंगत साक्ष्यों के आधार पर प्रविष्ट करने का अधिकार होगा।

(4) परिषद् द्वारा स्वतः अथवा किसी व्यक्ति के शिकायती–पत्र के आधार पर शिकायतकर्ता को सुनवाई को पूर्ण अवसर देते हुए जांचोपरान्त पंजिका में की गयी किसी प्रविष्टि को संशोधित करने अथवा निरस्त करने का अधिकार होगा यदि यह सिद्ध हो जाय कि वह प्रविष्टि किसी कपटपूर्ण भाव अथवा त्रुटिवश हो गयी हो।

(5) परिषद अथवा कर्मचारी समिति द्वारा की जा रही जाच से समिति को यह अधिकार प्राप्त होंगे जो सिविल न्यायालय को वाद प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत निम्न विषयों के लिये प्राप्त है :–

(क) किसी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित कराना व उसकी शपथपूर्वक प्रति परीक्षा कराना।

(ख) उसके दस्तावेज आदि जांच हेतु भेजे जाने की बाध्यता एवं

(ग) साक्षी की परीक्षा हेतु फरमान जारी करना।

(6) इस धारा के अन्तर्गत की गयी सभी जांचे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193, 219 एवं 228 में अभिप्रेत मान्यता–प्राप्त होंगी।

(7) (क) परिषद् अथवा कार्यकारी समिति इस धारा के अन्तर्गत किसी जांच के दौरान उठाये गये कानूनी पहलुओं के मूल्यांकन हेतु जहां न्यायिक सलाह की आवश्यकता हो वह एक परामर्शी से सेवा प्राप्त कर सकेगी, जिसे न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो एवं वह

(1) एडवोकेट ऐक्ट, 1961 के अन्तर्गत नामावलिगत हो अथवा

(2) उच्च न्यायालय का महाधिवक्ता हो

स्पष्टीकरण –उपरोक्त उपधाराओं में किसी व्यक्ति को एडवोकेट की श्रेणी में नामावलिगत होने के मूल्यांकन में वह समय भी सम्मिलित किया जायेगा जिस दौरान वह प्रथम बार कौंसिल अधिनियम, 1926 में एडवोकेट की हैसियत से नामावलिगत किया गया हो।

(ख) जहां कहीं विधि परामर्शी द्वारा परिषद् अथवा कार्यकारी समिति जैसी स्थिति हो को यदि किसी विधि संबंधी प्रश्न, साक्ष्य, प्रक्रिया अथवा अन्य किसी विषय पर राय दी जाती है तो वह इसे हर व्यक्ति, वादी अथवा जांच में वादी का पक्ष प्रस्तुत कर रहे व्यक्ति के सामने राय देगा अथवा यह राय तब ही दी जाती है जब परिषद् अथवा कर्मचारी समिति द्वारा अपनी आख्या दी जा रही हो परामर्शी द्वारा दी गयी इस राय के बारे में वादी पक्ष के सभी व्यक्तियों को राय के संबंध में सूचित किया जायेगा। वादी पक्ष अथवा व्यक्ति को उस समय भी सूचना दिया जाना आवश्यक होगा। परिषद अथवा कार्यकारी समिति के लिये यह आवश्यक होगा कि परामर्शी की किसी विधिक बिन्दु पर दी गयी राय को न मानने की स्थिति में भी वह प्रतिवादी पक्ष को सूचित करें।

(ग) इस धारा के अन्तर्गत परामर्शी या तो साधारण तौर पर नियुक्त किया गया होगा अथवा किसी विशेष जांच हेतु नियुक्त किया गया होगा एवं उसको नियमों द्वारा विहित पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा।

पंजीकरण का नवीनीकरण

22. (1) विधेयक की धारा 15 अथवा 20 के प्राविधानों के होते हुए भी कार्यकारी समिति सरकार से अनुमति प्राप्त कर प्रत्येक पांच वर्ष बाद किसी एक दिन निर्धारित कर जो धारा 15 की उपधारा (6) में प्रकाशित की गयी तिथि की सूचना के बाद की तिथि होगी, निबन्धक द्वारा नियमों द्वारा विहित दो बार राजपत्र में सूचना प्रकाशित की जायेगी। प्रथम प्रकाशन का व्यवधान द्वितीय से 30 दिन से कम नहीं होगा। जैसा कि उपधारा (2) में प्रदत्त है कि समस्त पंजीकृत चिकित्सक निबन्धक को पुनः उनके नाम की प्रविष्टि की निरन्तरता को पंजिका में कर सकने हेतु आवेदन करेंगे।

(2) निबन्धक के लिये यह आवश्यक होगा कि उपधारा (1) के अन्तर्गत वह प्रथम सूचना प्रकाशन के बाद एक पंजीकृत डाक द्वारा जिसके साथ निर्धारित आवेदन–पत्र का प्रारूप भी होगा, पंजीकृत चिकित्सक को उनके पते पर जो पंजिका में अंकित होगा इस आशय की सूचना भेजेंगे कि वे अपना नाम पंजिका में प्रविष्टि की निरन्तरता बनाये रखने के लिये उपरोक्त आवेदन–पत्र की प्राप्ति के 45 दिन के अन्दर निबन्धक को भेजें। यदि कोई चिकित्सक इस प्रकार का आवेदन–पत्र समय से भेजने में असमर्थ होता है तो निबन्धक पुनः उस पंजीकृत व्यवसायी को पंजीकृत डाक द्वारा उपधारा (1) में संदर्भित द्वितीय नोटिस प्रकाशन के बाद आवेदन–पत्र का प्रारूप इस आशय से कि वह निबन्धक को प्राप्ति के 30 दिन के भीतर नियमों द्वारा समय–समय पर निर्धारित शुल्क के साथ प्रस्तुत करें।

(3) यदि पंजीकृत डाक द्वारा दी गयी उपधारा (2) की सूचना के बाद भी निबन्धक को किसी आवेदक का आवेदन–पत्र प्राप्त नहीं होता है तो वह व्यतिक्रमी चिकित्सक के नाम को पंजिका से निकाल देगा एवं उसको इसकी सूचना पंजीकृत डाक से दे देगा।

परन्तु

/निरन्तरता जारी रखने हेतु यदि कोई आवेदन–पत्र उपधारा (2) के अन्तर्गत दी गयी सूचना व सूचित की गयी तिथि के बाद प्राप्त होते हैं अथवा उस व्यक्ति का नाम यदि विलोपित कर दिया गया हो तो पंजिका में पुनः प्रविष्ट कराने हेतु नियमों द्वारा विहित शुल्क जमा करने के उपरान्त, प्रविष्ट कर लिया जायेगा।

अपील

23. (1) कोई व्यक्ति जो विधेयक के अन्तर्गत निबन्धक द्वारा दिये गये इस निर्णय से असन्तुष्ट हो या क्षुब्ध हो, वह उनके उस निर्णय की सूचना मिलने की तिथि से एक माह के अन्दर परिषद् के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा जिसको परिषद् सुनकर नियमों द्वारा विहित प्रकार से अपील को गुणदोष के आधार पर तय करेगी।

(2) यदि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (केन्द्रीय अधिनियम, 102 वर्ष 1956) अथवा कोई अन्य प्रकार न प्रस्तावित हो तो परिषद् का निर्णय अन्तिम होगा।

24. उस समय प्रवृत्त अन्य किसी भी विधान में किसी बात के होते हुए भी— पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों के अधिकार

(1) वह व्यक्ति विधि द्वारा अर्ह चिकित्सा व्यवसायी अथवा सम्यक् रूप से अर्ह चिकित्सा व्यवसायी अथवा कोई ऐसा शब्द जो विधि द्वारा मान्य चिकित्सा व्यवसायी को सम्बोधित करने हेतु आयात किया गया हो अथवा किसी चिकित्सा व्यवसायिक वृति जो किसी अधिनियम द्वारा उत्तरांचल की विधान सभा अथवा केन्द्रीय अधिनियम द्वारा परिभाषित (उनके उत्तरांचल में प्रवर्तन के प्रारूप के अनुसार) जहां तक किसी अधिनियम को विधान मण्डल द्वारा कानून बनाने हेतु संविधान के अनुच्छेद–239(ए) के खण्ड (3) द्वारा किया गया हो एवं वह चिकित्सक जिसका नाम इस विधेयक के अन्तर्गत पंजिका में अंकित किया गया है।

(2) प्रत्येक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी यदि वह चाहता हो तो किसी 'इनक्वेराट' के अन्तर्गत कार्यवाही न करने को स्वतंत्र होगा।

25. इस विधेयक के सारे प्राविधान भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (केन्द्रीय अधिनियम 102, वर्ष 1956) जो चिकित्सा व्यवसायियों पर लागू होते हैं के अतिरिक्त होंगे नहीं तो उसके अल्पीकरण में। सीमान्त प्राविधान जो चिकित्सा व्यवसायियों पर लागू होंगे

26. यदि किसी व्यक्ति द्वारा जिसका कि नाम उस समय की पंजिका में अंकित न हो अथवा उसके द्वारा असत्य रूप से यह दर्शाया जाय कि वह पंजीकृत है अथवा ऐसे किसी संबंध से, किसी अभिनाम से अथवा शब्द व अक्षर जो इस उद्देश्य को दिखाने की नीयत से रखा गया हो कि उसका नाम पंजिका में अंकित है तो उस व्यक्ति का दोष सिद्ध हो जाने पर उसे अर्थदण्ड दिया जायेगा जिसकी न्यूनतम सीमा रु0 25,000/– तथा उच्चतम सीमा रु0 50,000/– तक हो सकती है। पंजीकृत होने की असत्य सूचना पर दण्ड का प्राविधान

27. इस विधेयक के अन्तर्गत यदि किसी व्यक्ति द्वारा असत्य रूप से यह मान लिया जाता है कि वह चिकित्सा व्यवसाय कर सकता है अथवा वह विधेयक की धारा 2 खण्ड (7) के अभिप्राय के अनुरूप चिकित्सक है अथवा व्यवसाय को आधुनिक चिकित्सा पद्धति द्वारा कर सकता है तो वह सश्रम कारावास के दण्ड से दंडित किया जा सकेगा जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है अथवा अर्थ दंडित किया जा सकेगा जिसकी धनराशि पचास हजार रुपये तक हो सकती है अथवा दोनों सजायें एक साथ प्राप्त हो सकती है। अधिनियम के अन्तर्गत असत्यता के आधार पर चिकित्सा व्यवसायी का होना अपराध होगा

स्पष्टीकरण – इस प्राविधान के अन्तर्गत उस व्यक्ति को मात्र सजा दी जा सकती है जो इस विधेयक की धारा 2 के खण्ड (7) के अनुरूप चिकित्सा व्यवसायी होने का दावा करता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत पशु चिकित्सक अथवा पशु शल्य चिकित्सक, होम्योपैथी, सिद्ध अथवा यूनानी की पद्धति के चिकित्सा व्यवसायी व जो बी0 ए0 एम0 एस0 अथवा बी0 आई0 एम0 एस0 डिग्री धारक होंगे को दंडित नहीं किया जा सकता।

न्यायालय जो इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध का संज्ञान लेने में सक्षम होगा।

28. (1) कोई न्यायालय जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी से न्यून हो, इस विधेयक के अन्तर्गत किये गये अपराधों का संज्ञान नहीं लेगा और न ही वाद की सुनवाई कर सकेगा।

(2) किसी न्यायालय द्वारा इस विधेयक के अन्तर्गत किये गये किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लिया जायेगा जब तक इस विध ेयक के अन्तर्गत किये गये अपराध के संबंध में लिखित रूप से किसी अधिकारी द्वारा जो नियमों द्वारा इस हेतु प्राधिकृत हो द्वारा लिखित परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया हो।

सरकार का नियंत्रण

29. (1) यदि सरकार को किसी भी समय इस आशय का ज्ञान होता है कि परिषद् अथवा इसके अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दायित्व के अनुपालन में असफल है अथवा अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर अपने किसी अधिकार का, जो विधेयक द्वारा प्रदत्त हो, का दुरुपयोग कर रहे हैं अथवा कार्य संचालन में अक्षम है, एवं यदि सरकार यह समीचीन समझती है कि उपरोक्त असफलता, सीमाओं का उल्लंघन, पद के दुरुपयोग अथवा कार्य अकुशलता गम्भीर प्रकृति की हो, तो वह पूर्ण वर्णन के साथ उक्त को परिषद्, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष जैसा वांछनीय हो, को सूचित करेगी। यदि उपरोक्त द्वारा असफलताओं, सीमाओं के उल्लंघन पद की कार्य कुशलता जो सरकार द्वारा निर्धारित की गयी हो, को समय सीमा में नहीं सुधारा जाता, तो सरकार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को निकाल सकती है, एवं परिषद् को निर्धारित समय के लिये विघटित कर सकती है, जैसा वांछनीय हो एवं यदि परिषद् विघटित की गयी हो तो परिषद् के समस्त अथवा कुछेक अधिकार, कर्त्तव्य व कार्य प्रक्रिया का निष्पादन सरकार इस आशय से नियुक्त पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों अथवा चिकित्सकों द्वारा करवाने में सक्षम होगी :

परन्तु–

इस प्रकार विघटित परिषद् को विघटित किये जाने के दिनांक से दो वर्ष से पूर्व नये परिषद् का अनिवार्य रूप से गठन किया जाना होगा।

(2) यदि सरकार द्वारा किसी समय यह सुनिश्चित कर लिया जाता है कि परिषद् अथवा उसका कोई पदाधिकारी का गठन/नियुक्ति गैर संवैधानिक तरीकों से हुई हो तो सरकार किसी समय, किसी अधिकार, कर्तव्य एवं संचालन हेतु किसी व्यक्ति द्वारा वांछित तरीके से करवाने हेतु सक्षम होगी जिसकी अधिकतम समयावधि छः माह तक हो सकती है। जो विधेयक व उसके अन्तर्गत बने नियमों द्वारा वांछित नहीं होगा।

30. (1) सरकार राज-पत्र द्वारा सूचित कर पूर्व प्रकाशित तिथि व शर्तों के अनुसार विधेयक द्वारा प्रदत्त कार्यों हेतु नियम बना सकेगी। यह नियम विधेयक द्वारा प्रदत्त अधिकारों के क्रियान्वयन हेतु विधेयक द्वारा नियमावली में बनाये जाने के लिये जिस प्रकार वांछित होंगे, बनाये जायेंगे। नियम

(2) किसी विशेष परिस्थिति में बिना किसी विद्वेष के या सामान्य रूप से प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत सरकार सभी अथवा अन्य विषयों से संबंधित निम्न नियम बनाने में सक्षम होगी–

(क) धारा 3 की उपधारा (5) के अन्तर्गत, सदस्य, उपाध्यक्ष व अध्यक्ष के चुनाव हेतु तिथि, स्थान व प्रक्रिया का निर्धारण किया जाना।

(ख) परिषद् की बैठक धारा 8 की उपधारा (1) के अन्तर्गत किस रूप में संचालित की जायेगी व कहां आयोजित की जायेगी का तय करना।

(ग) परिषद् के अधिकार, कर्तव्य व कृत्य जिन शर्तों के अधीन प्रयुक्त व संचालित की जायेगी को तय करेगी एवं विधेयक की धारा 10 के प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सकों की आचार संहिता (नैतिक व व्यावसायिक) का विनियमन करेगी।

(घ) यह तय करेगी कि "कार्यकारी समिति" में परिषद् के चुने सदस्यों में से कितने सदस्य चुने जायेंगे, उनका कार्यकाल क्या होगा, उनकी आकस्मिक रिक्तियां कैसे भरी जायेंगी, उनके कार्य की क्या प्रणाली होगी एवं परिषद् के अधिकार, कर्तव्य व कृत्य जिसमें धारा 11 के प्राविधानों के अन्तर्गत परिषद् द्वारा कार्यकारी समिति को प्रत्यायोजित कार्य किये जाने की प्रणाली विहित किया जाना भी होगा।

(ङ) शुल्क व भत्ता जो परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों को अथवा कार्यकारी समिति के सदस्यों को धारा 12 के प्राविधानों के अन्तर्गत दिया जाना होगा, का निर्धारण किया जाना।

(च) निबन्धक को दिये जाने वाले वेतन, भत्तों का उसकी सेवा शर्तों को, उसके द्वारा परिषद् के आय-व्ययक का लेखा-जोखा किस प्रकार रखा जायेगा, उसके पर्यवेक्षकीय दायित्व जो परिषद् के कर्मचारियों पर होगा, इस अधिनियम द्वारा निर्धारित दायित्वों के अतिरिक्त निबन्धक द्वारा किये जाने वाले कार्य का निर्धारण किया जाना।

(छ) परिषद् के अधिकारियों, कर्मचारियों के सेवा शर्तों का बनाया जाना जैसा अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) द्वारा प्रस्तावित है का निर्धारण करना।

(ज) चिकित्सा व्यवसायियों हेतु पंजिका की तैयारी व अनुरक्षण, पंजिका का प्रारूप, पंजिका में अंकित किये जाने का विवरण, जिसमें पंजीकृत किये जाने वाले चिकित्सक का नाम, पता, अर्हता संबंधी विवरण सम्मिलित होगा, उस सूचना का प्रारूप जिसे राज–पत्र में अथवा समाचार–पत्रों द्वारा पंजीकृत किये जाने हेतु प्रकाशित किया जाना होगा। पंजीकरण हेतु शुल्क का निर्धारण उसे अदा किये जाने की पद्धति का प्रारूप, पंजीकृत किये जाने हेतु प्रत्येक व्यक्ति को भेजे जाने वाली सूचना का प्रारूप तथा प्रमाण–पत्र का प्रारूप जो पंजीकरण के उपरान्त पंजीकृत चिकित्सक को धारा 15 के अन्तर्गत देय होगा।

(झ) अनन्तिम पंजीकरण प्रमाण–पत्र का प्रारूप, इस हेतु देय शुल्क का निर्धारण तथा इस आशय में धारा 18 के अन्तर्गत दी जाने वाली सूचना का प्रारूप तैयार करना।

(ट) पंजिका के नाम आदि परिवर्तन हेतु शुल्क निर्धारण, अतिरिक्त सूचना की प्रविष्टि कराये जाने हेतु शुल्क का निर्धारण एवं पंजीकरण प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति विधेयक की धारा 19 के अन्तर्गत दिये जाने हेतु शुल्क का प्राविधान करना।

(ठ) पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों की सूची का प्रारूप निर्धारित करना जो धारा 20 के अन्तर्गत प्रकाशित की जानी है।

(ड) उन विधाओं का निर्धारण जो किसी पंजीकृत चिकित्सक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत अनुपालनीय होगी, जो परिषद् अथवा कार्यकारी समिति द्वारा की जायेगी, उन शर्तों का विनियमन जो किसी चिकित्सक के नाम को पुनः पंजिका में अंकित किये जाने हेतु निर्धारित शुल्क सहित आवश्यक होगा एवं पारिश्रमिक जो धारा 21 के अन्तर्गत नामित मूल्यांकित करने हेतु न्यायविद को देय होगी।

(ढ) सूचनाओं के एवं पंजीकरण हेतु जो पंजीकरण प्रारूप चिकित्सक द्वारा भरे जाने होंगे तैयार करना, शुल्क जो देय होगा, का निर्धारण करना यदि अधिनियम की धारा 22 के अनुपालन में नवीनीकरण के अभाव में छूटे नाम को पंजिका में पुनः प्रविष्ट करना हो, हेतु का निश्चित किया जाना।

(ण) वह प्रणाली निर्धारित की जानी होगी जो परिषद् द्वारा धारा 23 के अन्तर्गत अपनायी जायेगी।

(त) उप अधिकारियों को नियुक्त करना होगा जो धारा 29 की उपधारा 2 के अन्तर्गत न्यायालय में प्रवर्तन हेतु वाद प्रस्तुत करेंगे।

(थ) कोई अन्य विषय जिस हेतु नीति निर्धारित की जानी हो अथवा नियम जो भी विधेयक के प्रवर्तन हेतु बनाया जाना हो।

(3) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियमों को अधिकतम तीन दिन के अन्दर अथवा यथाशीघ्र उत्तरांचल विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जो कि विधान सभा के विखण्डन के अधीन होंगे अथवा ऐसे संशोधनों के अधीन होंगे जो विधान सभा के सत्र में होने पर अथवा निकट भविष्य में आहूत होने वाले सत्र में किये जायें। प्रस्तावना

(4) उत्तरांचल विधान सभा द्वारा किया गया कोई विखण्डन अथवा संशोधन राज-पत्र के प्रकाशित करने के उपरान्त प्रभावी होगा।

31. परिषद् को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित आचार तथा चिकित्सा नैतिक संहिता का अनुपालन करना होगा। आचार संहिता व नैतिकता

32. इस विधेयक के प्राविधान प्रभावी होने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार समय की आवश्यकतानुसार कठिनाई के निराकरण करने के उद्देश्य से आदेश द्वारा आवश्यक निराकरण कर सकेगी परन्तु परिषद् के गठन के पश्चात् दो वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त ऐसा कोई आदेश नहीं कर सकेगी। कठिनाइयों का निराकरण

33. उत्तरांचल आयुर्विज्ञान परिषद् अध्यादेश, 2002 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन उत्तरांचल अध्यादेश संख्या 07, सन् 2002

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-33 तक, खण्ड-1 और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तरांचल आयुर्विज्ञान परिषद् विधेयक, 2002 पारित किया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल आयुर्विज्ञान परिषद् विधेयक, 2002 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री मातवर सिंह कण्डारी एवं श्री मदन कौशिक का नाम पुकारे जाने पर वह खड़े नहीं हुए)

(व्यवधान)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) विधेयक, 2002

* आबकारी एवं पर्यटन मंत्री (श्री टी0पी0एस0 रावत)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–3 तक खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) विधेयक, 2002

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 16, सन् 2002)

(भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में विधान सभा द्वारा अधिनियमित)

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 का उत्तरांचल राज्य के लिए अग्रेतर संशोधन करने के लिए–

विधेयक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) यह विधेयक उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) विधेयक, 2002 कहलायेगा।
(2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में लागू होगा।
(3) यह 01 अक्टूबर, 2002 में प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अधिनियम संख्या 4, सन् 1910 की धारा 60, 63 व 68 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम संख्या 4, सन् 1910) जिसे आगे मूल अधिनियम कहा जायेगा, की धारा 60, 63 व 68 के स्थान पर निम्नलिखित धारा 60, 63 व 68 को रख दिया जायेगा अर्थात् :–

धारा 60 का संशोधन

60. अवैध आयात, निर्यात, परिवहन, निर्माण कब्जा, विक्रय आदि के लिए शास्ति–(1) जो व्यक्ति इस अधिनियम का या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी आदेश का, अथवा इसके अधीन प्राप्त किसी लाइसेन्स, परमिट या पास का उल्लंघन करके–

(क) चरस से भिन्न किसी मादक वस्तु का आयात, निर्यात या परिवहन करता है या उसको अपने कब्जे में रखता है; या

(ख) भांग (कैनेबिस सैटाइवा) की खेती करता है; या

(ग) भांग (कैनेबिस सैटाइवा) के किसी ऐसे भाग का संग्रह या विक्रय करता है, जिससे कोई मादक, भेषज निर्मित किया जा सकता है; या

(घ) कोई आसवनी, यवासनी या द्राक्षासवनी निर्मित करता है या चलाता है; या

(ङ) किसी प्रकार का कोई सामान, भभका, बर्तन, औजार या उपकरण ताड़ी से भिन्न किसी मादक वस्तु के निर्माण के लिए प्रयुक्त करता है या अपने पास या अपने कब्जे में रखता है; या

(च) इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्स प्राप्त स्थापित या चालू किसी आसवनी, यवासनी, द्राक्षासवनी या भाण्डागार से कोई मादक वस्तु हटाता है; या

(छ) विक्रय के लिए किसी शराब को बोतल में बन्द करता है; या

(ज) धारा 61 में व्यवस्थित दशा के सिवाय किसी, मादक वस्तु का विक्रय करता है; या

(झ) धारा 42 के अधीन अधिसूचित क्षेत्रों में ताड़ी पैदा करने वाले वृक्षों से ताड़ी चुआता है या निकालता है

तो उसे कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो दो वर्ष तक हो सकता है और अर्थदण्ड दिया जायेगा जो खण्ड (अ) के अधीन अपराध की स्थिति में ऐसे उत्पाद शुल्क की धनराशि जो, यदि ऐसी मादक वस्तु के सम्बन्ध में इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के अनुसार या इसके अधीन प्राप्त लाइसेन्स, परमिट या पास के अनुसार कार्यवाही की गयी होती तो उद्ग्रहणीय होती, के दस गुने से कम न होगा और किसी अन्य स्थिति में ऐसे उत्पाद शुल्क की धनराशि के दस गुने या 5000/– रुपये से, जो भी अधिक हो, कम न होगा।

(2) जो कोई इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये आदेश या इस अधिनियम के अधीन प्राप्त किसी लाइसेंस, परमिट या पास का उल्लंघन करके किसी मादक वस्तु का निर्माण करता है, या किसी नरस का आयात, निर्यात या परिवहन करता है, या उसको अपने कब्जे में रखता है, उसे कारावास का, जो छः मास से कम नहीं होगा और जो तीन वर्ष तक हो सकता है, दण्ड दिया जायेगा और अर्थदण्ड भी दिया जायेगा जो पांच हजार रुपये से कम नहीं होगा और जो दस हजार रुपये तक हो सकता है।

(3) जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या किये गये आदेश का उल्लंघन करके किसी मादक वस्तु का उपभोग करता है उसे अर्थदण्ड दिया जायेगा जो पांच हजार रुपये से कम नहीं होगा और जो दस हजार रुपये तक हो सकता है।

63. अवैध रूप से आयात की गयी मादक वस्तु आदि को कब्जे में रखने के लिए शास्ति–जो कोई व्यक्ति बिना वैध प्राधिकार के कोई मादक वस्तु किसी परिमाण में अपने कब्जे में यह जानते हुए कि उसे अवैध रूप से आयात किया गया है, उसका परिवहन किया गया है या उसे निर्मित किया गया है या यह जानते हुए कि उस पर विहित उत्पाद–शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है, रखे तो उसे ऐसी अवधि के लिए कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो एक वर्ष तक हो सकता है अथवा अर्थदण्ड दिया जायेगा जो पांच हजार रुपये से कम नहीं होगा और जो दस हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों दण्ड दिये जायेंगे। धारा 63 का संशोधन

धारा 68 का संशोधन

68. ऐसे अपराधों के लिए शास्ति जिनकी अन्यथा व्यवस्था न की गई हो—जो व्यक्ति इस अधिनियम के अथवा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी आदेश के किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन में किसी कार्य का या साभिप्राय कार्य लोप का जिसकी इस अधिनियम में अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो, दोषी हो, उसे प्रत्येक कार्य या कार्यलोप के लिए अर्थदण्ड दिया जायेगा जो पांच हजार रुपये से कम नहीं होगा और जो दस हजार रुपये तक हो सकता है।

निरसन

3. अध्यादेश संख्या 08 वर्ष, 2002 एतद्द्वारा निरसित समझा जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड—2 से खण्ड—3 तक, खण्ड—1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(व्यवधान)

श्री टी0पी0एस0 रावत—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री प्रकाश पंत एवं श्री मदन कौशिक का नाम पुकारे जाने पर वह खड़े नहीं हुए)

भारतीय स्टाम्प (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2002

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि भारतीय स्टाम्प (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(व्यवधान)

खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

भारतीय स्टाम्प (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2002

विधेयक

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का उत्तरांचल राज्य में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रेतर संशोधन के लिए भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2002 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करें।

अधिनियम सं0 2, सन् 1899 की (अनुसूची 1–ख) का संशोधन

2. भारततीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की (अनुसूची 1–ख) में,

(क) अनुच्छेद 35 (पट्टा) में, –............

(एक) खण्ड (क) में, उपखण्ड (VI), (VII), और (VIII) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात :–

"(VI) जहां कि पट्टा तीस वर्ष से अधिक अवधि के लिये या शाश्वता के लिये तात्पर्यित है या किसी निश्चित अवधि के लिये तात्पर्यित नहीं है,	वहीं शुल्क जो सम्पत्ति के, को पट्टे की विषय वस्तु हो, बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र [सं0–23 खण्ड (क)] पर देय हो।"

(दो) खण्ड (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात :–

(ख) जहां कि पट्टा किसी नजराने या प्रीमियम के लिये या अग्रिम दिये गये धन के लिये मंजूर किया गया है और जहां कि कोई भाटक आरक्षित नहीं है :–

(एक) जहां कि पट्टा तीस वर्ष से अनधिक अवधि के लिये तात्पर्यित है,	वही शुल्क जो ऐसे नजराने या प्रीमियम या अग्रिम धन की रकम या मूल्य के, जो पट्टा में उपवर्णित है, बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र [सं0–23 खण्ड (क)] पर देय हो।
(दो) जहां कि पट्टा तीस वर्ष से अधिक अवधि के लिये तात्पर्यित है, खण्ड (क)] पर देय हो।	वही शुल्क जो सम्पत्ति के, को पट्टे की विषय वस्तु हो, बाजार, मूल्य के, बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र [सं0–23

(ग) जहां कि पट्टा आरक्षित किये गये भाटक के अतिरिक्त किसी नजराना या प्रीमियम के लिये या अग्रिम दिये गये धन के लिये मन्जूर किया गया है:–

(एक) जहां कि पट्टा तीस वर्ष से अनधिक अवधि के लिये तात्पर्यित हैं,	वही शुल्क जो ऐसे नजराने या प्रीमियम या अग्रिम धन की रकम या मूल्य के, जो पट्टा में उपवर्णित है, बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र [सं0–23 खण्ड (क)] पर देय हो और जो उस शुल्क के अतिरिक्त होगा जो उस दशा में जिसमें कि कोई नजराना या प्रीमियम या अग्रिम धन नहीं दिया गया है या परिदत्त नहीं किया गया है, ऐसे पट्टे पर देय होता– परन्तु किसी भी दशा में जब पट्टा करने का करार, पट्टे के लिये अपेक्षित मूल्यानुसार स्टाम्प से स्टाम्पित है, और ऐसे करार के अनुसरण में पट्टा तत्पश्चात निष्पादित किया गया है, तब ऐसे पट्टे पर शुल्क पचास रुपये से अधिक नहीं होगा।
(दो) जहां कि पट्टा तीस वर्ष से अधिक अवधि के लिये तात्पर्यित है,	वही शुल्क जो सम्पति के, को पट्टे की विषय वस्तु हो, बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण [सं0–23 खण्ड (क)] पर देय हो।
(तीन) स्पष्टीकरण (5) निकाल दिया जायेगा।	

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(व्यवधान)

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि भारतीय स्टाम्प (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(व्यवधान)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 17–12–2002 को नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सभी सूचनाओं को मैं अस्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं बुधवार 11.00 बजे तक के लिए।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 25 मिनट पर बुधवार 18–12–2002 अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हो गया)

महेश चन्द्र,
सचिव, विधान सभा,
उत्तरांचल।

देहरादून :

दिनांक : 17–12–2002

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 15 विधान सभा/200–26–08–2003–200 पुस्तकें (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।